द्वितीय माला, खण्ड २०——अंक २५

१२ सितम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

196(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०--अंक २१ से ३०--८ सितम्बर से १६ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००६, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१--२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३--२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७--५३

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३--५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा २५५९-६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक--पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक--पुरःस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२--९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९--९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य २५९७--२६००

दैनिक संक्षेपिका २६०१--०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५९, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६९, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७९ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८९ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

९वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . . २६७७—९५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६९४–९५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . . . . २६९५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०९

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०९ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . . २७३४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४९—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२-९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३-९४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५—२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३—३९

अंक २५—शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०—७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७—३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०-११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११—१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६-१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८-१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४
अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८६ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—
किमाय और मात्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३९

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३९

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव-- ३१३९--५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४--७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८--८४

अंक २७--मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६९, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५--३२०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०९--११

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२९६, और १२८९ से १३०५ . ३२११--२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० से २१७६ ३२२०--५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५-५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६--९५

दैनिक संक्षेपिका ३२९६--३३०२

अंक २८--बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३--२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०-३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२९ और १३३१ से १३४९ . . . . ३३३१--४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३ ३३४१—७९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३३७९—८०

जानकारी का प्रश्न ३३८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८०—८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां प्रतिवेदन . ३३८१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप ३३८१

विष (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . ३३८१—८२

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .

खण्ड २ से २०, २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ . ३३८२—३४१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ३४१३—१६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३४१६—२८

दैनिक संक्षेपिका . ३४२९—३४

अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . . ३४३५—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . . ३४५७—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६ ३४६९—३५१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३५२०

एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . . ३५२१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३५२१—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५६२—६९

अंक ३०—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १६५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३६६, १३६८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०६, १४११, १४१२ और १४१४ .	३५७१—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३६७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ .	३५६५—३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६	३६०२—२६
डा० भगवान दास का निधन	३६२६—३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६३०—३१
राज्य सभा से सन्देश	३६३१
सभा का कार्य . .	३६३१—३२
समितियों के लिये निर्वाचन .	३६३२—३३
१. प्राक्कलन समिति; और	
२. लोक लेखा समिति ?	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	३६३३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . .	३६३३—४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	३६४७
अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३६४८
छावनी (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३६४८—५६
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	३६५६—६३
कार्य मंत्रणा समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन . . .	३६६३
सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	३६६३
दैनिक संक्षेपिका	३६६४—७०

नोटः— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १२ सितम्बर १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेंगनीज अयस्क का निर्यात

+

†*११८५. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने प्रत्यक्ष रूप से और अपने एजेन्टों के जरिये से ३१ मार्च, १९५८ तक के लिये जितने टन मैंगनीज अयस्क के ठेके किये थे उनको पूरा करने में कमी पड़ने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कमी पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है । मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य का मतलब डिलीवरी की तारीख को पीछे हटा देने से है । लेकिन यह प्रायः सब को मालूम है कि खपत करने वाले बाजारों में अस्थायी रूप से मन्दी आ जाने के फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो गया ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : ७ मई, १९५८ के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि कुल बिक्री लगभग ५,६६,००० टन की थी जब कि वास्तव में कुल १,३४,००० की डिलीवरी दी गयी है । क्या अवशिष्ट भाग की इस बीच डिलीवरी कर दी गयी है या अब भी कुछ बाकी है ?

†**श्री कानूनगो** : आप यह समझ सकते हैं कि दो ठेके, जिनमें से एक मार्च में पूरा होने वाला था और दूसरा अप्रैल में शुरू हुआ, एक दूसरे से मिल गये और अब भी चल रहे हैं और माल भेजा जाना जारी है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या खरीदारों को कोई जुर्माना या मूल्य का अन्तर भरना पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । खरीदारों की मर्जी से ही इस देर की अनुमति दी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

196(A) LSD—1

†**श्री पाणिग्रही :** क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये व्यवसाय में सहायकों का चुनाव करते समय राज्य व्यापार निगम टेंडर मांगता है ?

†**श्री कानूनगो :** इसका व्यवसाय में सहयोग करने वालों से कोई सम्बन्ध नहीं है और टेंडर नहीं मांगे जाते हैं। बाजार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जाती है और जो कोई कम से कम भाव बताता है उसे ही ठेके दे दिये जाते हैं।

†**श्री पाणिग्रही :** इन लोगों द्वारा खरीदी गयी मैंगनीज़ के लिये कितनी कीमत अदा की जाती है ?

†**श्री कानूनगो :** यह बताना निगम के हित में नहीं होगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** अब तक कितने की डिलीवरी की गयी है और कितना शेष है ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं पर मेरा ख्याल है कि लगभग २३० या २४० हजार टन की डिलीवरी दी जा चुकी है।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या इसका स्टाक जमा होता जा रहा है और यदि हां, तो वह कितना है ?

†**श्री कानूनगो :** हम स्टाक जमा करने को बाध्य हो गये हैं क्योंकि जहाजी कम्पनी वालों की मर्जी के अनुसार इन्हें जहाजों में भर कर नहीं भेजा जा सका है।

†**श्री जयपाल सिंह :** वह कितना है ?

†**श्री कानूनगो :** मोटे तौर पर करीब तीन लाख टन होगा।

†**श्री दामानी :** मंत्री महोदय ने बताया है कि डिलीवरी मार्च-अप्रैल में दी जानी थी। क्या हम ने उसी समय उस सारे परिमाण का उत्पादन कर लिया था या हम बाद में कर पाये थे, और यदि हम ने उसी तिथि तक उसका उत्पादन कर लिया था तो क्या हम ने डिलीवरी में देरी होने का कुछ मुआवज़ा वसूल किया है ?

†**श्री कानूनगो :** हमारी बिक्री खरीद से पूरी हो गयी थी। मैं अभी बता चुका हूं, हमारे पास स्टाक जमा है और हम उसके भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी मुआवजे या जुर्माने की मांग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि विश्व के बाजार की जैसी अवस्था थी हमें उसमें खरीदारों की मर्जी का ध्यान तो रखना ही था।

†**श्री दामानी :** हमारी बिक्री किसी विशेष अवधि के लिये थी और उसी के अनुसार हमें खरीद करनी पड़ी थी। खरीदारों के अनुरोध पर हम ने यह समय बढ़ा दिया है। ऐसा तो कुछ उपबन्ध होना ही चाहिये जिससे हमें कुछ ब्याज गोदामों पर हुआ खर्च ही मिल जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस पूरे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं--वह जानकारी नहीं मांग रहे हैं।

†**श्री दामानी :** कुछ सूद या अन्य कोई राशि मांगी गयी थी या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : मैं उत्तर दे चुका हूं। हम ने कुछ भी जुर्माना नहीं मांगा है क्योंकि हम अपने गाहकों की मर्जी पूरी करना चाहते हैं।

†श्री वीरेन्द्र सिंहजी : क्या यह स्टाक रेलवे की कमी के कारण जमा हो गया है ?

†श्री कानूनगो : रेलवे की कमी की बात तो मालूम ही है लेकिन जहाजों में भर कर भेजने में रेलवे की कमी की वजह से देर नहीं हुई है वरन् मुख्य रूप से इस वजह से हुई है कि हम अपने ग्राहकों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं।

†श्री वें० प० नायर : एक पिछले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि आंकड़े बताना राज्य व्यापार निगम के हित में नहीं होगा। लेकिन, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पूरा स्टाक, एक ही भाव पर खरीदा गया था या यदि भाव में कुछ फर्क था तो अधिकतम और न्यूनतम कीमत कितनी अदा की गयी है ?

†श्री कानूनगो : मैं यह आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि इन से भी भाव का हिसाब लगाया जा सकता है।

†श्री वें० प० नायर : मैं केवल अन्तर जानना चाहता हूं। मैं निश्चित मूल्य नहीं मालूम करना चाहता।

†अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं। माननीय सदस्य ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर वही हो जो वह चाहते हैं।

†श्री वें० प० नायर : वह गलत समझे हैं। मैं भावों का अन्तर मालूम करना चाहता था। मैं यह नहीं जानना चाहता था कि एक टन का अधिक से अधिक और कम से कम कितना मूल्य अदा किया गया।

†श्री कानूनगो : मैं कह चुका हूं कि कुल निर्यात की कीमत और परिमाण प्रकाशित दस्तावेजों में दिये हुए हैं और यदि मैं यह आंकड़े भी दे दूं तो होशियारी से उनके भाव का हिसाब भी लगाया जा सकता है।

†श्री रंगा : क्या मैंगनीज खान उत्पादकों को ही निर्यात के कोटे का अधिकांश भाग दिया गया है ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम से स्वतंत्र निर्यात के कोटे उनके कार्य के आधार पर दिये जाते हैं। फिर वे चाहे खान मालिक हों या जहाज वाले हों।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

+

†*११८६. { श्री बांगशी ठाकुर :
श्री अब्दुल सलाम :
श्री दामानी :
श्री संगण्णा : }

क्या योजना मंत्री ५ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८**]

†**श्री बांगशी ठाकुर** : त्रिपुरा की यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या त्रिपुरा में अन्तर्देशीय रेलवे और आसाम से भी रेल सम्पर्क की स्थापना को तृतीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अभी से प्रत्येक परियोजना के बारे में नहीं सोचा जा सकता ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या त्रिपुरा की बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिये तृतीय योजना काल में किसी मध्यम आकार के या बड़े उद्योग की स्थापना की जायेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : वही उत्तर इस पर भी लागू होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरी योजना अभी समाप्त नहीं हुई है ।

†**श्री विमल घोष** : क्या तीसरी योजना योजना आयोग या किसी बाहरी निकाय द्वारा उपलब्ध किये गये ढांचे के भीतर रह कर बनायी जा रही है या मंत्रालय और राज्य सरकारें किसी लक्ष्य का निर्देश किये बिना स्वतंत्र रूप से अपने आप योजनायें बना रही हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : अभी तो कुछ बुनियादी अध्ययन चल रहे हैं । कोई सामान्य रूपरेखा तो होगी ही और केन्द्र तथा राज्यों दोनों की योजनाओं को उसी के भीतर रहना पड़ेगा लेकिन यह बात अभी बाद में आयेगी ।

†**श्री विमल घोष** : क्या द्वितीय योजना के समान इसके लिये भी योजना का कुछ ढांचा है, और जैसा इस में जिक्र है कि १५-२० वर्षों तक के लिये योजना बनायी जायेगी तो क्या इस योजना के लिये लक्ष्य निर्धारित कर लिये गये हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : माननीय सदस्य यह भी समझते होंगे कि इसके लिये कई प्रकार के अध्ययनों, जांच और इसी प्रकार के सब कार्यों की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय यही काम हो रहा है । १५-२० वर्षों की योजना बनाने में भी तो कुछ समय लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तो हमारी द्वितीय योजना ही पूरी नहीं हुई है । अगला प्रश्न ।

डालमिया-व्यापार संस्थाओं के बारे में जांच

+

†*११८७. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डालमिया-व्यापार संस्थाओं की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन होंगे और इसके निर्देश-पद क्या होंगे; और

(ग) क्या उपर्युक्त आयोग डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड के बारे में भी जांच करेगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां। इसका निर्णय कुछ समय पहले किया गया था।

(ख) आयोग के सदस्यों और उसके निर्देश-पदों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री राम कृष्ण :** २२-४-१६५८ को माननीय मंत्री ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यदि इस फर्म को भी सूची में शामिल कर लिया जाय तो उन्हें प्रसन्नता होगी। इस फर्म को उस सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** अगस्त के आखरी हफ्ते में ही न्यायमूर्ति श्री विवियन बोस उस आयोग के अध्यक्ष बनाये गये हैं। आयोग की बैठक आरम्भ होते ही सरकार यह प्रस्ताव करेगी कि इस फर्म की भी जांच की जाय।

†**श्री राम कृष्ण :** सेठ राम कृष्ण डालमिया ने हाल ही में अपनी शेष सार्वजनिक कम्पनियों को निजी कम्पनियों का रूप देने का जो कार्य आरम्भ किया है उस को ध्यान में रखते हुए लोक-हित की रक्षा के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य शायद समवाय अधिनियम की धारा ३६५ के अधीन किये गये कुछ हस्तांतरणों का जिक्र कर रहे हैं और मैं इसी विषय पर व्यौरेवार उत्तर दे चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को अपने आप कुछ भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है लेकिन यदि अंशधारियों में से १० प्रतिशत से अधिक ऐसा चाहें तो वह इस मामले में समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अदालती कार्यवाही कर सकते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से पता चलता है कि रोहतास उद्योग को, जो डालमिया के अधीन सब से बड़ा उद्योग है, जांच के लिये शामिल नहीं किया गया है। इस उद्योग को शामिल न करने के क्या कारण हैं; क्या वहां सब ठीक-ठाक है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** डालमिया समूह में कई उद्योग हैं। केवल उन्हीं कम्पनियों को इस अनुसूची में शामिल किया गया है जिनके बारे में निश्चित शिकायतें थीं, लेकिन निर्देश-पदों के खण्ड २ के अधीन आयोग को यह अधिकार है कि यदि जांच के सिलसिले में कुछ अनियमिततायें उसके ध्यान में आयें तो वह किसी भी अन्य कम्पनी को अपनी जांच में शामिल कर सकता है।

श्री स० म० बनर्जी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। आयोग बन गया है। यदि माननीय सदस्यों के पास कोई जानकारी हो तो वह उस जानकारी को यहां लाने की बजाय उसे आयोग के समक्ष रख दें। श्री वें० प० नायर।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या मेरा नाम इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये पुकारा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं। आप अगला प्रश्न पूछें।

---

† मूल अंग्रेजी में

ग्रैफाइट

†*११८८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ग्रैफाइट के उत्पादन और मांग के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) वर्ष में कितने मूल्य की ग्रैफाइट और ग्रैफाइट की बनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) भारत वर्ष में उस समय ग्रैफाइट का वार्षिक उत्पादन १६०० टन है जब कि मांग २,५०० टन प्रति वर्ष है ।

(ख) वर्ष में लगभग ३० लाख रुपये की ग्रैफाइट और १०३ लाख रुपयों की ग्रैफाइट की बनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार को पता है कि १६०० से १६१२ तक अकेले त्रावन्कोर में ही मेसर्स मार्गन क्रुसिबल्स लिमिटेड के जरिये से लगभग ३५,००० टन ग्रैफाइट निकलता था ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मुझे यह तो पता नहीं है कि १६०० और १६१२ में क्या होता था । लेकिन मैं बता चुका हूं कि आजकल हमारे देश में बिहार, उड़ीसा, आंध्र और मैसूर की खानों से वर्ष में १६०० टन ग्रैफाइट निकलता है । मुझे त्रावन्कोर की किसी खान का पता नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार को पता है कि त्रावन्कोर क्षेत्र में ग्रैफाइट सब से व्यापक रूप से पाये जाने वाले खनिज पदार्थों में से है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यदि ऐसी बात है तो इस्पात, खान और ईधन मंत्रालय निश्चय ही इस बात की जांच करेगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत में ग्रैफाइट पर आधारित उद्योग, अर्थात् ग्रैफाइट से चीज़ें बनाने वाले कुछ उद्योग हैं; और यदि हैं तो उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हाल ही में शुरूआत हुई है और भारत में ग्रैफाइट की क्रुसिबल्स[1] बनाई जा रही हैं । कार्बन के ब्रुश, इलेक्ट्रोड्स, आर्क लैम्पों के कार्बन और अन्य चीजों के निर्माण के लिये भी छोटे पैमाने पर कार्य आरम्भ किया गया है ।

†**श्री वारियर :** देश में वर्ष में कितने ग्रैफाइट का आयात किया जाता है ?

†**श्री वें० प० नायर :** मैं ने बताया था कि ९०० टन ग्रैफाइट का आयात किया जाता है । इस के अलावा इस समय ग्रैफाइट की बनी लगभग १ करोड़ पये के मूल्य की वस्तुओं का भी आयात करना पड़ता है ।

†**श्री वें० प० नायर :** रंगों, क्रुसिबलों, पेन्सिलों, कार्बनों आदि में ग्रैफाइट के विविध उपयोगों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने ग्रैफाइट को देश के भीतर के स्रोतों का ही उपयोग करने की कोई योजना बनाई है जिस से देश की पूरी आवश्यकतायें पूरी हो सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Crucibles

†**श्री सतीश चन्द्र:** उन को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि यह उद्योग क्रमशः विकसित हो जायगा ।

मैंगनीज अयस्क का व्यापार

+

†*११९०. { **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री वोडयार :** **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारत का मैंगनीज़ अयस्क का पुराना बाजार उस के हाथ से निकलता जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने मैंगनीज़ अयस्क का वह सब स्टाक नहीं उठाया है जिसे खरीदने का उसने ठेका किया था ;

(ग) यदि हां, तो यह मैंगनीज अयस्क कितनी है ; और

(घ) इस के न उठाये जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]**

†**श्री रामेश्वर टांटिया:** विवरण में कहा गया है कि जो देश खपत करने वाले बाजार के निकट हैं उन के साथ होड़ बड़ी सख्त हो गई है । क्या सरकार चीनी और सीमेंट की तरह कुछ घाटा होने पर भी मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के लक्ष्य कायम रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** यह घाटा निर्यात करने वालों और जहाज़ देने वालों को होगा, सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** वैदेशिक निर्यात व्यापार के निदेशक के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि मैंगनीज़ अयस्क के बारे में अमरीका से बातचीत चलाई जा रही है, क्या उस बातचीत को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है और यदि हां तो कितने मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** अभी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** १९५७ में, जब दुनिया के बाजारों में अभी इस की अच्छी मांग थी, मैंगनीज़ अयस्क का कोटा अचानक कम क्यों कर दिया गया था ?

†**श्री रंगा :** निर्यात का कोटा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : राज्य व्यापार निगम का लौह अयस्क का कोटा तो बढ़ा दिया गया था लेकिन मैंगनीज़ अयस्क के बारे में वह घटा दिया गया था। १९५७ के कोटे में से राज्य व्यापार निगम ने वास्तव में कितना अयस्क उठाया है ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य व्यापार निगम का कोटा ३३ प्रतिशत से बढ़ कर ५० प्रतिशत हो गया और उन का कार्य भी कुल कोटे के लगभग ही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह बात नहीं पूछ रही थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या का कहना है कि कोटा घटाया गया था जबकि मंत्री महोदय कहते हैं कि कोटा बढ़ाया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मेरा प्रश्न यह है कि कोटा भले ही बढ़ा हो लेकिन उस से पिछले वर्ष में कहीं अधिक माल उठाया गया था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि राज्य व्यापार निगम के जन्म लेते ही उस का कोटा फौरन कम क्यों कर दिया गया ?

†**श्री कानूनगो** : यह बात सही नहीं है ; १९५७ में तो पिछले दस वर्षों में सब से अधिक निर्यात हुआ है।

†**श्री वोडयार** : मैसूर राज्य में व्यापार बढ़ाने के लिये राज्य व्यापार निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : मैसूर राज्य के खान मालिकों और जहाज वालों से काफी बड़े परिमाण में खरीद की गई थी लेकिन पत्तनों से दूर होने के कारण मैसूर कुछ असुविधाजनक स्थिति में है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम तो केवल बढ़िया किस्म के मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात की व्यवस्था कर पाता है, और बढ़िया किस्म के अयस्क के साथ साथ कुछ घटिया किस्म के अयस्क के निर्यात के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं किया जाता है।

†**श्री कानूनगो** : पिछले २० वर्षों में भारत से केवल बढ़िया किस्म के मैंगनीज़ अयस्क का ही निर्यात किया जाता रहा है और विश्व के बाजारों में घटिया किस्म के अयस्क का उपयोग घटता जा रहा है। हाल में कुछ देशों में, विशेष रूप से अमरीका में इस्पात बनाने के नये तरीके में घटिया किस्म की मैंगनीज़ अयस्क का इस्तेमाल बन्द कर दिया गया है। फिर भी, अपनी सारी बातचीत में हम घटिया किस्म की मैंगनीज़ अयस्क के बारे में भी 'एक मुश्त सौदा'[1] करने का प्रयास करते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने मैंगनीज़ अयस्क के स्थान पर फैरो-मैंगनीज़ का निर्यात करने की संभावनाओं पर विचार किया है ; क्योंकि, इस से जहाजों पर स्थान बचेगा और यहां हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, फैरो-मैंगनीज़ का एक कारखाना शुरू हो रहा है और इसीलिये हम अपने विदेशी खरीदारों को फैरो-मैंगनीज़ देने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां उत्पादन लागत कितनी पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Package Deal.

समाचार-पत्रों के लिये मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची

+

*११९१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के लिये मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची इस बीच लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जारी किये गये आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). अभी तक इस बात का पूरा फैसला नहीं आ है ।

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध का जो अधिनियम है, उस को बने हुए दो वर्ष के लगभग हो गये हैं और आज से एक वर्ष पहले—१५ अगस्त, १९५७ को—माननीय मंत्री जी ने कहा था कि दो तीन सप्ताह में आदेश जारी हो जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बता सकेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, जिन के कारण इस सम्बन्ध में देरी हो रही है ?

†**डा० केसकर :** इस विलम्ब के कारणों का ब्यौरा बताना तो मेरे लिये कठिन होगा । जिस समय श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में एक मुकदमा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था तब कई बातें आ गयीं । ऐसा विचार था कि वहां समाचारपत्रों की स्वतंत्रता और अन्य संबंधित विषयों के बारे में कुछ आधारभूत बातें उठाई जा रही थीं । हम उस के बारे में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । साथ ही सभी समाचारपत्रों के विभिन्न समूहों के दृष्टिकोणों पर विचार करने का भी प्रश्न है । अखबारी कागज की कमी की वजह से एक अतिरिक्त बात और उठ खड़ी हुई है और इसी सब के कारण विलम्ब हुआ है ।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि अनुसूची को अन्तिम रूप प्रदान कर लेने के बाद भी उसे लागू करने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि इस अनुसूची को लागू करने से पहले सम्बन्धित हितों की राय के लिये उन के सामने रखना होगा ।

श्री भक्त दर्शन: इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि कुछ बड़े बड़े समाचारपत्रों के मालिकों ने इस आशय की चेतावनी केन्द्रीय सरकार को दी है कि यदि इस शैड्यूल को जारी किया गया तो और मामलों की तरह से वे फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० केसकर** : किसी ने सरकार का यह नहीं लिखा है कि वह न्यायालय में जा रहे हैं। लेकिन हम ने कुछ अखबारों में पढ़ा है। लेकिन सरकार इस मामले में जरा भी चिन्तित नहीं है। यदि मामला अदालत में जाता है तो अदालत वही फैसला करेगी जो उचित होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या ऐसे कोई अखबार हैं जो इस मामले के निर्णय में विलम्ब कराने के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहे हैं ?

†**डा० केसकर**: यह स्पष्ट है कि कुछ अखबारों के समूह इस के विरुद्ध हैं और उस से भी बड़ा समूह इस के पक्ष में है। लेकिन यदि कोई समूह इसे रुकवाना चाहे तो वह केवल सरकार के समक्ष अपनी बात रख कर ऐसा कर सकता है और हमें कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और हम उन पर सावधानी-पूर्वक विचार करते हैं जैसा हमें दूसरे समूह की बातों पर भी करना पड़ता है।

†**श्री महन्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन छोटे अखबारों की कुशलता पृष्ठानुसार मूल्य-सूची पर ही पूर्णतः निर्भर है, सरकार इस सम्बन्ध में प्रेस आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लेगी ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं उन्हें पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सोचने और विचारने की बात है कि अखबारों की कुशल्ता पूर्णतः पृष्ठानुसार मूल्य-सूची पर ही निर्भर है।

†**श्री वें० प० नायर** : उन का प्रयोजन छोटे अखबारों से था।

†**श्री महन्ती** : जी हां, छोटे अखबारों से।

†**डा० केसकर** : जी हां छोटे अखबार भी। यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या सभी समाचार-पत्रों की कुशलता पूर्णतः इसी पर निर्भर है या इस का उन पर काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा। हम इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं और हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और मुझे आशा है कि इस मामले में अनुचित रूप से विलम्ब नहीं होगा।

†**श्री महन्ती** : मंत्री महोदय ने कहा है कि पृष्ठानुसार मूल्यसूची को लागू करने में विलम्ब का एक कारण यह भी है कि अखबारी कागज की कमी है। क्या यह सच नहीं है कि अखबारी कागज की कमी का प्रतिकूल प्रभाव बड़े अखबारों और शृंखलाबद्ध अखबारों के बजाय छोटे अखबारों पर अधिक पड़ा है ?

†**डा० केसकर** : मैं इस का बाद का भाग नहीं समझ सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस कमी का असर छोटे अखबारों पर बड़े अखबारों की अपेक्षा भिन्न नहीं पड़ा है।

†**डा० केसकर** : अखबारी कागज बचाने की दृष्टि से पृष्ठानुसार मूल्य सूची का प्रश्न बिल्कुल अनुचित होड़ से बचाने के लिये पृष्ठानुसार मूल्य-सूची के प्रश्न जैसा ही नहीं है जो संसद् द्वारा पारित किये गये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। स्वाभाविक है कि एक अनुसूची होगी और यह अनुसूची भिन्न उद्देश्यों के कारण भिन्न प्रकार की होगी। यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या इन दोनों को मिला कर एक साथ लाया जा सकता है या नहीं।

†**श्री खाडिलकर** : एक बार मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा था कि अनुसूची पूरी हो गई है और शीघ्र ही इस की घोषणा कर दी जायेगी। अब के उन के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि अखबार

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग के कुछ हितों ने अपने निषेधाधिकार[1] का प्रयोग कर दिया है। क्या यह सच है कि जहां तक विलम्ब होने का प्रश्न है, कुछ अखबारों के मालिक वर्ग का अड़ियल रुख उस के लिये उत्तरदायी है ?

†**डा० केसकर** : जी नहीं। इस विलम्ब के लिये किसी अखबार का मालिक या अखबार मालिकों का कोई वर्ग उत्तरदायी नहीं है। मैं कह चुका हूं कि अनुसूची का प्रश्न, किस प्रकार की अनुसूची लागू की जानी चाहिये, ऐसा नहीं है जिस का आसानी से निर्णय किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस का समाचारपत्रों के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जब मैंने कहा था कि अनुसूची प्रायः तैयार है तब मेरा तात्पर्य यह था कि कुछ अनुसूचियों के प्रारूप करीब-करीब तैयार थे। उन्हें विभिन्न हितों के पास भेज कर उन के विचारों का पता लगाया गया है। लेकिन मैं पिछली बार बता चुका हूं कि ये विचार बहुत परस्पर विरोधी थे, और, इसलिये, हमें उस अनुसूची के संबंध में, बहुत सावधान रहना है जिसे हम लागू करें।

†**श्री प्रभातकार** : दो वर्ष पहले यह कहने के बाद कि निर्णय कर के अधिसूचना निकाल दी जायगी, अब बाद में यह कारण बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है जिस में यह प्रश्न उठाया गया है कि कहीं इस का असर अखबारों की आजादी पर तो नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ मालिकों ने श्रमजीवी पत्रकारों को चुनौती दे दी थी। इसलिये आज क्या कारण है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ने तो दो वर्ष पहले अधिसूचना जारी करने का निश्चय कर लिया था ?

†**डा० केसकर** : सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है कि किसी खास अवसर पर वह पृष्ठानुसार मूल्य-सूची के बारे में अधिसूचना निकाल देगी। यह निश्चय किया गया था कि वह उपयुक्त अवसर पर उसे निकालेगी। मैं बता चुका हूं कि कुछ महत्वपूर्ण मसले आ गये। इसलिये हम ने सोचा कि अच्छा हो यदि हम यह देख लें कि अखबारों की आजादी के सिद्धान्त पर क्या निर्णय होता है और क्या इस निर्णय का उस कार्य पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है जो हम करने जा रहे हैं, और उस के बाद इस मामले में कुछ फैसला करें।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री महोदय ने पिछले दो वर्षों में जो उत्तर दिये हैं उन से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रश्न सदा के लिये समाप्त कर दिया गया है या कुछ आशा अभी बाकी है ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य जो निष्कर्ष चाहें निकाल लें। मैं उन्हें संतुष्ट कर सकने में असमर्थ हूं।

मैसूर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

+

†*११९२. { **श्री शिवनंजप्पा** :
श्री वोडयार :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मैसूर के नगर पेरियापटना में पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Veto.

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पेरियापटना नगर में नहीं बल्कि पेरियापटना तालुक में बसाने के लिये एक योजना स्वीकृत की गई थी : उस योजना में निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

(१) वृक्षों को गिनने और गिराने का काम शुरू हो चुका है।

(२) उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने और उस का विकास करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(३) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ, जिसे भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम सौंपा गया है, वहां अपनी मशीनें ले जाने के लिये प्रबन्ध कर रहा है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : वहां कितने शरणार्थी बसाये जायेंगे ?

†**श्री पू० शे० नास्कर:** लगभग ८०० कृषि परिवार।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मैसूर सरकार को इस के लिये कितनी सहायता देने का विचार हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : प्रत्येक परिवार पर लगभग ४,००० रुपये ख़र्च होंगे। इस योजना का सारा ख़र्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इन शरणार्थियों के लिये कृषि भूमि की व्यवस्था करने के हेतु कितना जंगल साफ किया जाना है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : अभी राज्य सरकार ने केवल ५,००० एकड़ भूमि दी है और हमें पता चला है कि वहां जंगल है। परन्तु यह नहीं कह सकते कि कितना जंगल गिराना पड़ेगा।

†**श्री वोडयार** : क्या इस बारे में विस्थापित परिवारों और पेरियापटना तालुक के लोगों की राय ली गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जब कभी विस्थापित लोगों को पश्चिमी बंगाल से बाहर बसाने की योजना पर कार्यवाही की जाती है तो पश्चिमी बंगाल सरकार के पदाधिकारियों को लिया जाता है और क्षेत्र का चुनाव करने से पूर्व प्रायः उन की मंत्रणा प्राप्त कर ली जाती है। जहां तक उस क्षेत्र के लोगों का सम्बन्ध है, मैं ने राज्य सरकार से बातचीत की है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : प्रत्येक शरणार्थी को कितनी ज़मीन दी जायेगी और ज़मीन कितनी उपजाऊ है। क्या उस से परिवार का निर्वाह हो सकता है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : प्रत्येक परिवार को छः एकड़ भूमि दी जायेगी और राज्य सरकार के कथनानुसार वह एक कृषक परिवार के लिये पर्याप्त है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह भूमि सीमान्त भूमि है या उप-सीमान्त ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला दूं कि जो भूमि कृषि योग्य बनाई जा रही है वह बहुत उपयोगी होगी।

एशिया के लिये सामान्य विपणि[1]

+

†*११९३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम शंकर लाल :
श्री दामानी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया के लिये उसी प्रकार एक सामान्य विपणि स्थापित करने का विचार है जैसे कि पश्चिमी योरूप में सीमा शुल्क तथा प्रशुल्क संघ की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ? और इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को इस बारे में देश के लोगों से कोई सुझाव मिला है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी नहीं, मिस्र में हुए एक सम्मेलन में और एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग में भी अफरीकी एशियाई देशों में व्यापार बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई थी, परन्तु सामान्य विपणि की स्थापना के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं तो चाहता हूं कि सारे संसार के लिये एक विपणि हो परन्तु अभी केवल यही बता दिया जाये कि क्या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिये एक मार्केट की स्थापना की जा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या भारत सरकार ने एशिया के लिये ऐसी मंडियां स्थापित करने की सम्भावना को देखने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस मामले पर चर्चा की गई थी परन्तु यह ख्याल किया गया कि अभी कई कारणों से ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। ऐसी मंडियां तभी सफल हो सकती हैं जब राजनैतिक और सामाजिक विचार और आर्थिक ढ़ांचा एक सा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Common Market for Asia.

जूतों का बिना बिका स्टाक

+

†*११६४. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री सूपकार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी खरीदारों ने जिन जूतों को खरीदने से इन्कार कर दिया वे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के पास बड़ी संख्या में पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने इन्कार क्यों किया और उस में कितनी पूंजी रुकी हुई है;

(ग) क्या सम्भरण करने वालों को इन जूतों का पूरा मूल्य चुका दिया गया है; और

(घ) इन जूतों को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]**

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** जो जूते अभी भेजे नहीं गये हैं उन का मूल्य कितना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जो जूते अभी तक नहीं भेजे गये हैं उन्हें अगली खेप में भेजने की आशा है और मूल्य के बारे में बात चीत चल रही है । इसलिये शायद माननीय सदस्य नहीं चाहेंगे कि मैं उन का मूल्य बताऊं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** वे जूते घटिया किस्म के होने के कारण नहीं लिये गये थे तो उन्हें पुन: किन आधारों पर खरीदा जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** ऐसी बात नहीं है। रूस से वास्तव में ३ लाख जूते मंगवाये गये थे परन्तु समय पर माल न भेजने के कारण आर्डर में ५०००० की मांग घटा दी गई थी इसलिये रूस के आर्डर में से ५४००० जूते बचे हुए हैं। आशा है कि अगली खेप में इन्हें भेज दिया जायेगा। घटिया होने के कारण उन्हें अस्वीकृत नहीं किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि ये जूते इस लिये अस्वीकृत किये गये कि पोलैंड के प्रतिनिधि के कथनानुसार, जो माल का निरीक्षण करने आया था, जूते हिदायतों के अनुसार नहीं बनाये गये थे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** वे १४००० जोड़े और हैं। वे भी अच्छे हैं। जब वे तैयार किये गये थे तो पोलैंड के पोज़नन मेले में उन का एक नमूना रखा गया था और पोलैंड से उन के कई आर्डर प्राप्त हुए थे। बाद में उन्होंने कहा कि वे इन में कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं। यह नई मार्किट थी इसलिए हमने उन की हिदायतों के अनुसार नया माल तैयार करा कर भेज दिया। ये १४००० जूते भी अच्छे हैं और वे अगली खेप में किसी देश को भेज दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि दिल्ली के व्यापारियों को भी ये जूते दिये गये थे परन्तु घटिया होने के कारण उन्होंने भी स्वीकार नहीं किये ?

†श्री सतीश चन्द्र : मुझे यह मालूम नहीं। मुझे तो यह बताया गया है कि वे जूते अच्छे हैं और उन्हें अन्य देशों में भेजा जा रहा है। खरीदारों के निरीक्षक उन्हें देख रहे हैं।

†श्री त्यागी : क्या सरकार को पता चला है कि योरुप के वामपक्षी देशों में केवल बायें पैर के जूते ही भेजे गये थे ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है ?

†श्री सतीश चन्द्र : जूतों के लाखों जोड़े भेजे गये थे। सम्भव है कि एक डिब्बे में दाहने पैर के या बांयें पैर के जूते ही गल्ती से डाल दिये गये हों। एक दर्जन के करीब डिब्बों में ऐसा ही हुआ था। परन्तु खरीदार उन्हें बदलवा सकते थे क्योंकि गल्ती से ही ऐसा हुआ होगा।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा कि जूते घटिया नहीं हैं और उन्हें बेचने के लिये बातचीत चल रही है। यदि और प्रश्न पूछने से उन्हें बेचने में सहायता मिल सकती है तो मैं अनुमति दे देता हूं परन्तु अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने से ऐसी धारणा बन जायेगी कि वे वाकई घटिया हैं चाहे वे वास्तव में घटिया न हों।

†श्री स० म० बनर्जी : ये जूते ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा बनाये गये थे और वे जान बूझ कर ऐसा करते रहे हैं . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : कुछ अर्से के बाद यह प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है।

बम्बई की कपड़ा मिलें

†*११९५. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई राज्य की कुछ कपड़ा मिलों को बहुत ही कम लाभ हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कपड़ा मिलों के काम का अनुसन्धान करने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार देश की कपड़ा मिलों, जिनमें बम्बई की कपड़ा मिलें भी शामिल हैं, के संचालन के परिणामों का लगातार अध्ययन कर रही है। यह देखा गया है कि १९५६ में कुछ मिलों को बहुत ही कम लाभ हुआ।

(ख) सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई जांच समिति नियुक्त नहीं करना चाहती। देश में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

†श्री पांगरकर : क्या कम लाभ होने के कारण बम्बई राज्य में कुछ कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कानूनगो कुछ मिलें मुख्यतः इसी कारण बन्द कर दी गई हैं कि उन्हें चलाना लाभप्रद नहीं था और उनके पास काफी स्टाक जमा थे ।

†श्री रामेश्वर टांटियां : क्या चीन की प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे वस्त्र निर्यात को हानि पहुंची है और क्या हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†श्री कानूनगो : यदि आप की आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं कि यह प्रश्न बम्बई की मिलों के लाभ के बारे में है ? वैसे यदि आप स्वीकृति दें तो मैं इस का उत्तर दे सकता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री दामानी : क्या मंहगाई भत्ते में वृद्धि के आंकड़ों के बारे में सरकार को मालूम है । इस के कारण दरम्याने दर्जे की मिलों को हानि पहुंच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये मजूरी बोर्ड को कोई हिदायत दी है ?

†श्री कानूनगो : यह तो राय जानने की बात है । मजूरी बोर्ड तो मजूरी के ढांचे की जांच कर रहा है ।

†श्री दामानी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंहगाई भत्ते के बढ़ जाने के कारण मोटा और दरम्याना कपड़ा बनाने वाली मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†श्री कानूनगो : इस में तो राय मांगी गई है ।

†श्री हेम बरुआ : कितनी कपड़ा मिलों को मशीनरी की हालत ठीक न होने के कारण कम लाभ हो रहा है । वस्त्र जांच समिति का कहना है कि मशीनों की मरम्मत और उन्हें बदलने की ओर ठीक ध्यान न देने के कारण कपड़ा मिलों को कम लाभ हो रहा है ।

†श्री कानूनगो : मुझे यह तो स्मरण नहीं कि कितनी मिलों की मशीनें बहुत पुरानी हैं । क्योंकि कुल मिलें ४७९ हैं और हमारे पास सभी के बारे में सूचना नहीं रहती । बारी बारी से सब का निरीक्षण किया जा रहा है और सब के बारे में आंकड़े एकत्र करने में काफी समय लग जायेगा ।

†श्री खाडिलकर : वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि नरसिंहजी मिल्स जो बन्द हो गई थी उसे अब सरकार ने लेकर सहकारिता के आधार पर चलाया तो उस से काफी लाभ होने लगा । इसे देखते हुए क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि एक बोर्ड स्थापित कर दिया जाये जो उन मिलों को अपने हाथ में ले ले जिन्हें मितव्ययतापूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण बन्द किया जा रहा है ?

†श्री कानूनगो : उत्तर में मैंने बताया था कि वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है और मैं उन के निष्कर्षों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता ?

†श्री स० म० बनर्जी : क्या १६वें श्रम सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि इन्दौर और कानपुर के लिये दो समितियां स्थापित की जायेंगी । क्या समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के बाद इस मामले पर विचार किया जा रहा है ?

†श्री कानूनगो : जी नहीं, वस्त्र जांच समिति जिसके सभापति श्री जोशी थे, की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० म० बनर्जी : इन्दौर और कानपुर के लिये दो समितियां नियुक्त करने का निर्णय किया गया था। क्या वे समितियां नियुक्त की जा रही हैं ?

†श्री कानूनगो : मुझे ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

श्री रा० क० वर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कपडा उद्योग में मिसमैनेजमेंट होने के कारण मिलों को जो नुकसान हो रहा है और वे बन्द होती हैं उस को रोकने के लिये गवर्नमेंट ने कुछ विचार किया है ?

श्री कानूनगो : हर जगह मिसमैनेजमेंट होता है। टैक्सटाइल में भी होता है, दूसरी जगह भी होता है और उस के सम्बन्ध में जहां से कोई शिकायत आती है, उस की एन्क्वायरी की जाती है।

श्री रा० क० वर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मिसमैनेजमेंट होता है, जिस के कारण देश को नुकसान पहुंचता है, उसको वैसे ही चलने दिया जायेगा या उस पर कोई कंट्रोल लगाया जायेगा ?

श्री कानूनगो : इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट ऐंड रेगुलेशन एक्ट के मातहत बराबर उसकी ऐन्क्वायरी की जाती है और कुछ कदम उठाया जाता है।

श्री रा० क० वर्मा : इनक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट के अन्दर .....

†अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रश्न पूछने से क्या लाभ ? उन्होंने बताया कि उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

श्री रा० क० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि मैनेजमेंट के बारे में समय-समय पर जो टैक्सटाईल इनक्वायरी कमेटियां यहां कायम की गई हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि मिसमैनेजमेंट के कारण मिलें नुकसान कर रही हैं उस सम्बन्ध में मुत्तफ़िका कोई ऐक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कानून के अनुसार नहीं लिया गया और मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐक्शन लिया जायेगा ?

श्री कानूनगो : अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि कितनी इनक्वायरीज़ हुई और क्या क्या कदम उठाये गए तो उसका जवाब दे दिया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक संभव हो माननीय सदस्यों को सामान्य प्रश्न नहीं पूछने चाहियें। उन्हें जिस मिल विशेष के बारे में मालूम हो कि उसका प्रबन्ध खराब है वे उसी के बारे में प्रश्न पूछें। वह यह भी पूछ सकते हैं कि विशेष मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

+

†*११९६. { श्री संगण्णा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत श्रमिकों को नगदी प्राप्त करने में बड़ी असुविधा और विलम्ब होता है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रम और रोजगार मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री संगण्णा : क्या इस योजना का विस्तार किया जा रहा है, और यदि हां, तो किस हद तक ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इसका एक विशेष प्रयोजन है और किसी अन्य प्रयोजन के लिये इस का विस्तार नहीं किया जा सकता ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सच है कि दिल्ली में ही श्रमिकों को ५ से ६ बजे तक खड़े हो कर नगदी मिले बगैर ही जाना पड़ता है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : समाचारपत्रों में भी ऐसी कुछ शिकायतों का उल्लेख किया गया है परन्तु जांच करने पर पता चला कि यह सही नहीं था ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या इस योजना को श्रमिकों के परिवारों पर भी लागू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय हुआ है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : योजना का जहां तक सम्भव हो विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में चाय के छोटे उत्पादक

+

†*११६८. { **श्री हेम राज :**
श्री अनिरुद्ध सिंह : }

†क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चाय के छोटे बागानों के पुनः संस्थापन तथा पुनर्गठन सम्बन्धी योजना पंजाब सरकार से प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री हेम राज : क्या हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और क्या अफगानिस्तान के पास हरी चाय बेचने का प्रयत्न किया गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : किसी वस्तु को खरीदना या न खरीदना तो खरीदार पर निर्भर करता है । एक करार किया गया है जिसके अनुसार हम अफगानिस्तान से खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य भारतीय रुपयों में चुकायेंगे और अफगानिस्तान वे रुपये भारत से खरीद करने पर खर्च करेगा । हमें आशा है कि इस से हरी चाय की हालत भी सुधर जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज :** हरी चाय सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया क्या सरकार ने उसका परीक्षण कर लिया है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और उनमें से किन को सरकार ने कार्यान्वित किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह करार भी उन्हीं सिफारिशों का अध्ययन करने के फलस्वरूप किया गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** सभा में और बाहर भी कई बार यह कहा जा चुका है कि हरी चाय मंहगी हो गई है और पंजाब के चाय के बाग अलाभप्रद हो गये हैं । क्या सरकार स्थिति में सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की आय काफी होती है ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** वह बिल्कुल अलग प्रश्न है उस पर केवल पंजाब सरकार की कांगड़ा योजना के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि समस्त भारत के चाय बागों के बारे में विचार किया जा रहा है । अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री हेम राज :** पिछली बार माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देते समय कहा था कि केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को इस उद्योग की सहायता के लिये कोई सहायता दे रही है । गत तीन वर्षों में पंजाब सरकार को कुल कितना अनुदान दिया गया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को एक कारखाना लगाने के लिये ऋण दे रही थी जिस से उच्च चाय को काली चाय में बदला जा सकता था परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं हमें पंजाब सरकार से उस की योजना की प्रगति का पता नहीं चला और न ही उसने हमसे रुपया मांगा है ।

†**श्री हेम राज :** पंजाब सरकार की एक योजना केन्द्रीय सरकार ने लौटाई थी क्या केन्द्रीय सरकार ने उसी विषय में पंजाब सरकार से दूसरी योजना मांगी थी ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** योजना राज्य सरकार ने स्वयं भेजी थी । उसे कार्यान्वित करने के लिये हमने कुछ सहायता देने का वायदा किया परन्तु इस में कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि पंजाब सरकार अब महसूस करती है कि सहकारिता सेक्टर में यह कारखाना नहीं लगाया जा सकता । सहकारी संस्था बनाने के लिये पर्याप्त संख्या में लोग तैयार नहीं हैं ।

अमरीका को कपास का संभरण

†*११९९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका को शार्ट स्टेपल कपास का संभरण करने के मामले में पाकिस्तान भारत का स्थान ले रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : अमरीका में शार्ट स्टेपल कपास का आयात धीरे-धीरे कम होता जा रहा है । भारत और पाकिस्तान से अमरीका में आयात भी १९५५-५६ से कम होता जा रहा है । यह सही नहीं कि पाकिस्तान भारत का स्थान ले रहा है । हमारा निर्यात तो आन्तिरिक मांग के पूरा हो जाने के बाद जो शेष बचता है उसी पर निर्भर करता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में और हिन्दुस्तान में जो शार्ट स्टेपल कौटेन होती है, तो पिछले तीन वर्षों में इन दोनों देशों ने अमरीका को कितनी-कितनी सप्लाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : भारत से अमरीका में आयात के आंकड़े ये हैं :—

		(हजार) गट्ठे
१९५४–५५	१७.४१	,,
१९५५–५६	५.८०	,,
१९५६–५७	३.७०	,,
१९५७–५८	३.२०	,,

(अगस्त से मार्च)

पाकिस्तान से अमरीका को दिये गये निर्यात के आंकड़े ये हैं :—

		(हजार) गट्ठे
१९५४–५५	११.२७	,,
१९५५–५६	२२.८०	,,
१९५६–५७	१६.१०	,,
१९५७–५८ (अगस्त से मार्च)	१०.३०	,,

श्री रघुनाथ सिंह : इस से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान की अपेक्षा अमरीका को ज्यादा रूई दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिरकार हमारी जो यह शार्ट स्टेपल कोटन है, इस के एक्सपोर्ट के वास्ते अगर हम ने अमरीका के मार्केट को लूज कर दिया तो हमारे मार्केट का क्या होगा और उसको लूज न करने और बनाये रखने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री कानूनगो : उस के लिये प्रयास कया जा रहा है लेकिन उसमें रुकावट यह है कि हमें अपनी अंदरूनी जरूरत को पहले पूरा करना होता है।

†**श्री दामानी** : क्या अन्य देशों को हमारे शार्ट स्टेपल कपास का निर्यात भी कम हो गया है और यदि हां तो कहां तक ? स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : शार्ट स्टेपल कपास की सामान्य मांग सारे संसार में ही कम हो गई है इसके स्थान पर हाथ से बनाये गये फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच है कि भारत म शार्ट स्टेपल कपास की अब भी कमी है ?

†**श्री कानूनगो** : घटिया किस्मों में यह आवश्कता काफी से अधिक रहती है परन्तु हमें इसे रखना पड़ता है क्योंकि मानसून के कारण न मालूम फसल कम हो या अधिक। इसलिये देश की मांग के पूरा हो जाने के बाद हम निर्यात की अनुमति देते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच नहीं है कि हमारा निर्यात कम हो रहा है ?

†**श्री काननगो** : मैंने बताया कि सारे संसार में शार्ट स्टेपल कपास की मांग कम हो रही है।

†**श्री त्यागी** : इसका क्या कारण है कि अमरीका में हमारी कपास की मांग कम हो रही है जब कि पाकिस्तानी कपास की मांग बढ रही है। आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि तीन वर्ष में हमारा

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात १७.४१ से कम हो कर ३.७० हजार गट्ठे रह गया जब कि पाकिस्तान का ११.२७ से बढ़ कर १६ हजार गट्ठे हो गया। अभी और बढ़ रहा है। हमारा निर्यात क्यों नहीं बढ़ सका ?

†**श्री कानूनगो** : पाकिस्तान की शार्ट स्टेपल कपास की अपनी खपत बहुत कम है।

†**श्री अ० चं० गुह** : इस कारण से हमारा निर्यात तो नहीं घट सकता।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह मंडी हमारे हाथ से निकल रही है।

†**श्री रंगा** : क्या इन तीन चार वर्षों में हमारी शार्ट स्टेपल कपास की खपत बढ़ी है ?

†**श्री त्यागी** : नहीं।

†**श्री रंगा** : यह क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : शार्ट स्टेपल कपास ३/४ इंच से कम होती है। सब से घटिया बंगाल देसी और सब से बढ़िया कुछ गुजराती किस्में होती हैं ३/४ और इस से कम के कपास को शार्ट स्टेपल किस्मों में रखा जाता है। सामान्यतः घटिया किस्मों का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है बढ़िया किस्मों की नहीं।

†**श्री रंगा** : उत्तर संतोषजनक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक प्रश्न पर ५० अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : सारे संसार में हमारी कपास की मार्केट खत्म हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछने से इसका व्यापार बढ़ तो नहीं जायेगा। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या निर्यात कम हो गया है या देश में खपत बढ़ गई है या दोनों में कमी हुई है।

†**श्री कानूनगो** : देश में खपत के ठीक-ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं परन्तु मैं कह सकता हूं कि देश में खपत बढ़ रही है।

†**श्री त्यागी** : परन्तु वह कहते हैं कि भारत में यह कपास आवश्यकता से अधिक है।

†**श्री अ० चं० गुह** : भारत में कच्ची कपास फालतू है।

†**श्री प्रभातकार** : माननीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में कपास की आन्तरिक खपत भारत से कम है इसीलिये पाकिस्तान अधिक निर्यात करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या भारत में इस अवधि में खपत बढ़ गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : इसके अतिरिक्त हम जानना चाहते हैं कि पहले जो कपास निर्यात की जाती थी क्या उसका निर्यात अब कम हो गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने बताया कि कपास का निर्यात अबाध रूप से नहीं किया जा सकता। फसल और देश की अपनी आवश्यकता को देखते हुये इसका विनियमन किया जाता है। देश की अपनी मांग भी बढ़ रही है। अतः हम अधिक निर्यात की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** हमको इस पर बहस करने के लिये एक घंटे का समय मिलना चाहिये । उत्तर से हम लोगों को सन्तोष नहीं हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य लिख कर दे सकते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** बहुत अच्छा, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं । यदि यह इतना महत्व का विषय है तो मैं अवश्य इस पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा ।

ताज ग्लास फैक्ट्री लिमिटेड

†१२००. **श्री नागी रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य आंध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने इस आशय का प्रस्ताव रखा है कि वह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १६५१ के अधीन ताज ग्लास फैक्टरी लिमिटेड की व्यवस्था अपने हाथों में ले लें ?

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब रखा गया था ; और

(ग) सरकार ने अभी तक क्या कार्यवही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग) . हैदराबाद की तत्कालीन सरकार से अक्तूबर, १६५६ में इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ था कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १६५१ की धारा १५, १६ और १८-क के अधीन केन्द्रीय सरकार हैदराबाद में सनतनगर स्थित ताज ग्लास वर्क्स की व्यवस्था अपने हाथ में ले क्योंकि उक्त फैक्टरी पर्याप्त रूप में बन्द पड़ी हुई है । इस मामले की प्राथमिक जांच के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १६५१ के अधीन उसी समय व्यवस्था संभाली जा सकती है जब उन्हें यह सन्तोष हो जाए कि विपदा का एकमात्र कारण कुव्यवस्था है । राज्य सरकार यह सिद्ध नहीं कर सकी और हैदराबाद सरकार की पूर्व प्रार्थना पर ज़ोर नहीं दिया गया ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या यह फैक्टरी आजकल चल रही है और यदि यही कारण है तो फिर सरकार इसकी व्यवस्था क्यों नहीं संभालना चाहती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** फैक्टरी नहीं चल रही है । यह लम्बे अर्से से बन्द पड़ी है ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या औद्योगिक ट्रस्ट फंड और हैदराबाद राज्य बैंक ने फैक्टरी को ऋण दिया है और यदि हां, तो कितना ऋण दिया है ।

†**श्री सतीश चन्द्र:** यह सच है । आंध्र सरकार का इस फैक्टरी में अब काफी हित है । वह इस विषय की जांच कर रहे हैं । मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने फैक्टरी में कितनी पूंजी विनियोग की है किन्तु वह पर्याप्त रकम होगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नागी रेड्डी :** विवरण में बताया गया है कि केवल कुव्यवस्था की दशा में ही फैक्टरी को हाथ में लिया जा सकता है। यह फैक्टरी कुव्यवस्था के कारण बन्द हुई थी अथवा किसी अन्य कारण ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जब तत्कालीन हैदराबाद सरकार ने इसकी व्यवस्था किसी प्राइवेट उद्योगपति को सौंप दी थी उसी समय हुई भारी हानि के परिणामस्वरूप फैक्टरी बन्द कर दी गई है जब हानि शेयर पूंजी से भी अधिक हो तो उस स्थिति में इस फैक्टरी की व्यवस्था संभालना भारत सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

†**श्री प्रभात कार :** हैदराबाद राज्य बैंक और औद्योगिक निगम ने इस कम्पनी को अग्रिम राशि दे रखी है फिर क्या सरकार इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी कि बैंक और निगम को उनकी रकम वापस मिल जाये ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** आंध्र सरकार इसकी व्यवस्था के लिये स्वतन्त्र है। यह अच्छा सुझाव है और आंध्र सरकार चाहे तो इसका संचालन कर सकती है। यदि केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता आवश्यक हुई तो हम इस पर विचार करेंगे।

†**श्री प्रभात कार** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब केवल सुझाव हैं। माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं कि इसकी व्यवस्था संभाली जाये। इसे करना अथवा नहीं करना स्थानीय सरकार का काम है।

भारत की हस्तशिल्प संथायें[1]

†*१२०१. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्तशिल्प बोर्ड भारत में हस्तशिल्प एसोसियेशनो का सर्वेक्षण प्रारम्भ कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) सर्वेक्षण पर किननी रकम खर्च होने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा प्रवर्तित सर्वेक्षण दल ने हस्तशिल्प से सम्बद्ध श्रमिकों को एसोसियेशन और राजस्थान, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र, मद्रास, केरल और पाण्डिचेरी के हस्तशिल्प विक्रेताओं के बारे में सांख्यकी एकत्रित कर ली है।

(ग) सर्वेक्षण की अनुमानित लागत ४०,००० रुपये है।

†**श्री जाधव :** क्या सर्वेक्षण की रिपोर्ट लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सर्वेक्षण हो रहा है। और स्पष्टतः हस्तशिल्प बोर्ड की पिछली रिपोर्टें मिली हैं। हस्तशिल्प बोर्ड ने यह कार्य भारतीय सहकारी संघ के सुपुर्द कर दिया है। उन्हें कुछ रिपोर्टें मिली हैं। जब हस्तशिल्प बोर्ड इन्हें सरकार के सामने रखेगा तो हम इन रिपोर्टों का परीक्षण और इन्हें लोक-सभा के पटल पर रखने की वांछनीयता पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Handicrafts Associations.

विदेशी फिल्मों का आयात

†*१२०२ **श्री चांडक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में विदेशी फिल्मों के आयात पर कुल विदेशी मुद्रा (स्टर्लिंग डालर और अन्य मुद्रा) कितनी खर्च की गई है ;

(ख) क्या विदेशी फिल्मों का भुगतान भारतीय मुद्रा में करने का कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में धुली हुई फिल्मों[1] के आयात की अलग अलग मुद्रा में मूल्य बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान ११ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में निर्दिष्ट समझौते की ओर आमंत्रित किया जाता है । दी रैंक फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स आफ इण्डिया (पी०) लिमिटेड, बम्बई ने भी भारत सरकार से यही प्रार्थना की थी कि ब्रिटेन में उनके द्वारा बनाई गई धुली हुई फिल्मों के आयात के लिये उन्हें समान सुविधा प्रदान की जाये । यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और लाइसेंस देने वाले अधिकारियों को इस प्रकार के अनुदेश जारी कर दिये गये कि इस फर्म को लाइसेंस उसी आधार पर दिये जायें जिनके अनुसार अमेरिका की मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन के सदस्य-समवायों को लाइसेंस दिये जाते हैं ।

†**श्री चांडक :** क्या भारतीय फिल्मों के बदले में विदेशी फिल्मों के आयात का सौदा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी सम्भावनाओं पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो :** प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है । दूसरे भाग के उत्तर में निवेदन है कि भारतीय फिल्मों के निर्यात की सम्भावना के लिये हमने हाल ही में एक समिति स्थापित की है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अब हमारी समाचार सम्बन्धी फिल्में अन्तर्राष्ट्रीय जगत को भी स्पर्श करने लगी हैं तो फिर विदेशी फिल्मों के आयात की अनुमति क्यों दी जाती है ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे उन्हीं फिल्मों की जानकारी है जिनकी अनुमति दी गई है । यह अनुमति सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है ।

†**श्री रंगा :** हम अपने फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये काफी मात्रा में कच्ची फिल्में मंगाते हैं इसे दृष्टि में रखते हुये क्या विदेशी फिल्मों के आयात की संख्या में कमी करने की सम्भावना का अध्ययन किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां । प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । और धुली हुई फिल्में अधिकांश मात्रा में रुपयों के मूल्य में ही मंगाई जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]**Exposed films**

जूट मिलें

†*१२०३. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन जूट मिलों की लाभ-क्षमता में वृद्धि का निर्धारण किया है जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर अपनी मशीनों का नवीकरण कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सम्भवतः प्रश्न का निर्देश राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण से है। यह ऋण हाल ही में दिया गया है अतः इन मिलों में लाभ का निर्धारण इतने शीघ्र नहीं किया जा सकता है।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है कि मिलों के वैज्ञानिकरण और नवीनतम मशीनों के प्रयोग के परिणामस्वरूप होने वाले अतिरिक्त लाभ का हिस्सा कर्मचारियों को भी मिलेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। निगम अपने हितों की देखभाल करता है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : कितना ऋण दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : २ करोड़ ९५ लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं इनमें से १ करोड़ ३६ लाख रुपये अभी तक लिये गये हैं।

दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति

\+

†*१२०७. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में बिना नीलामी ही निष्कांत सम्पत्ति आवंटित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी जायदादें आवंटित की गई हैं ; और

(ग) क्या यह पद्धति अभी भी जारी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). विभाजन के समय जब निष्क्रांत सम्पत्ति नई दिल्ली के कस्टोडियन के अधीन ली गई तब जायदादें पुराने किरायेदारों के अधिकार में थीं अथवा यदि खाली हुईं तो उन्हें बाद में आवंटित कर दिया गया।

(ग) हमारी जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में कोई निष्क्रांत जायदाद खाली नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न ।

†**श्री स० म० बनर्जी** उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पहले अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने आवंटन के बारे में उत्तर दिया है । मैं यह जानना चाहती थी क्या निष्क्रांत सम्पत्ति बिना नीलामी दी गई है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** प्रश्न यह है कि क्या निष्क्रांत सम्पत्ति नई दिली में बिना नीलामी आवंटित की गई थी । विभाजन के पश्चात् निष्क्रांत सम्पत्ति कस्टोडियन के अधिकार में आ गई और उन्हें १९४७ और १९४८ में आवंटन किया गया । उस समय नीलामी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ ।

आसाम में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी

†*१२०८. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने आसाम में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी स्थापित करने का आसाम सरकार का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** नाहरकटिया में प्राकृतिक गैस से कृत्रिम रबड़ बनाने का प्रस्ताव एक प्राइवेट उद्योग की ओर से आसाम सरकार की मार्फत प्राप्त हुआ है । नाहरकटिया में उद्‌भूत गैस के यथासम्भव श्रेष्ठ उपयोग के बारे में समुचित अध्ययन कर लेने पर ही इस पर विचार किया जायेगा ।

भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९०** { **श्री रघुनाथ सिंह :** **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने १९४८ में किये गये भारत और पाकिस्तान द्वारा नहरी पानी समझौता भंग कर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** ४ मई, १९४८ को नहरी पानी विवाद के बारे में अन्तर्राज्यिक[1] समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् दो वर्ष से भी अधिक बीतने पर, अगस्त, १९५० में पाकिस्तान सरकार ने पहली बार यह सूचना दी कि पाकिस्तान ने दबाव में यह समझौता स्वीकार किया था, यदि समझौता कभी पाकिस्तान पर लागू भी था तो वह अवधि समाप्त हो चुकी है और उसे "वतमान में प्रभावहीन" समझना चाहिये । हमने उत्तर में पाकिस्तान सरकार को सूचित किया कि समझौता करते समय अनिच्छा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और पश्चिम पंजाब सरकार द्वारा पंजाब विभाजन समिति को तीन सप्ताह बाद प्रस्तुत किये गये नोट में भी उस प्रकार का कोई सुझाव नहीं था और न बाद में किसी भी समय ऐसी चर्चा उत्पन्न हुई थी । अतः हम यह बात स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पाकिस्तान ने यह समझौता अनिच्छापूर्वक और विवशता के अधीन स्वीकार किया था । हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को एक पक्षीय रूप में भंग कर देने की बात स्वीकार नहीं करते हैं । बाद में और पत्र-व्यवहार के पश्चात् सितम्बर, १९५७ में पाकिस्तान सरकार को यह जानकारी दी गई कि यदि उन्हें इस समझोते की वैधता में कोई सन्देह हो तो उस सरकार के लिये उचित मार्ग यही है कि वह किसी निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार से न्यायिक निर्णय की याचना करे और यदि वह अपने ही किसी मार्ग

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Inter dominion

का अनुसरण करना चाहे तो इस प्रकार के मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया के भारत सरकार चर्चा करने को इच्छुक है । अभी तक उस प्रस्ताव का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है यह समझौता अभी विद्यमान है । और इस समझौते के अधीन ही भारतीय राज्य क्षेत्र की नहरों के माध्यम से पाकिस्तानी नहरों को पानी संभरण किया जाता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या पाकिस्तान द्वारा इस समझौते को भंग करने के बाद भी हम पाकिस्तान में पानी का संभरण कर रहे हैं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** जैसा हमने उत्तर में कहा था यह सच है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इसका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** पाकिस्तान को पानी संभरण करने के तीन तदर्थ समझौते थे । पाकिस्तान को पानी संभरण करने के अन्तिम तदर्थ समझौते की तारीख क्या थी तथा उसके लिये कितनी अदायगी निश्चित की गई थी ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** अन्तिम तदर्थ समझौता ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हुआ था और भारत के प्रधान मंत्री प्रत्येक तिमाही के लिये रक़म निश्चित करेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** जब वह एग्रीमेंट १९५७ में समाप्त हो गया, तो उसके समाप्त होने के बाद क्या हमने इस बात की कोशिश की कि हम पाकिस्तान से कोई एग्रीमेंट करके उसको पानी दें ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** उसके बाद एक समझौता किया गया था जिसके आधार पर पानी का संभरण जारी रखा गया ।

†**श्री त्यागी :** विवरण से यह प्रतीत होता है कि ३० दिसम्बर, १९५७ तक पाकिस्तान पानी का विवादहीन शुल्क नियमित रूप से दे रहा था और विवादग्रस्त रक़म के बारे में उन्होंने जून, १९५० तक बक़ाया राशि रिजर्व बैंक में जमा करा दी अब विवादहीन और विवादग्रस्त दोनों ही रक़में नहीं दी गई हैं । विवरण के अनुसार ९७ लाख रुपये विवादग्रस्त रक़म बताई गई है और विवादहीन रक़म ज्ञात नहीं है । पाकिस्तान की ओर कुल कितनी रक़म बक़ाया है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** शुल्क न देने की बात प्रश्न में उठाना चाहिये था । इसका कारण यह है कि इसकी गणना के बारे में दोनों देशों में कुछ विवाद है । इस पर बातचीत हो रही है । इसके तय होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

†**श्री त्यागी :** क्या इसका अभिप्राय यह है कि केवल गणित सम्बन्धी गुत्थियां इसमें बाधक हैं और किसी प्रकार का मतभेद नहीं है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** निस्सन्देह ।

†**श्री अ० चं० गुह :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान ने १९४८ का समझौता भंग कर दिया है क्या इसका अर्थ यह भी है कि पाकिस्तान ने किसी प्रकार के शुल्क को भुगतान करने का इरादा भी भंग कर दिया है । भविष्य में हम किस आधार पर बकाया रक़म मांगेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** जी नहीं। समझौता भंग केवल शब्दों में किया गया है व्यवहार में नहीं। यह समझौता अभी लागू है और भुगतान किया जा रहा है तथा पानी का संभरण भी हो रहा है। केवल शब्दों में ही इसे भंग किया गया है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** जब उन्होंने समझौता भंग कर दिया है तो फिर बकाया राशि की कानूनी स्थिति क्या है?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह केवल शब्दों में ही भंग किया गया है।

†**श्री अ० चं० गुह :** समझौते का अनुपालन हमारी ओर से ही किया जा रहा है। हम जल संभरण कर रहे हैं। उन्होंने भुगतान नहीं किया है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** प्रश्न यह है। उस समझौते के अनुसार हमें लगभग १ करोड़ और १९ लाख रुपये लेना है। किन्तु जब पाकिस्तान सरकार ने यह समझौता भंग कर दिया है तो अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** समझौते के बाद भी भुगतान के रूप में वह उसकी वैधता स्वीकार कर रहे हैं।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या यह सच नहीं है कि विश्व बैंक ने यह सुझाव दिया था कि पानी संभरण करने का हमारा उत्तरदायित्व पांच वर्ष बाद समाप्त हो जाना चाहिये। यह सुझाव १९५४ में रखा गया था और समाप्त करने का समय १९५९ था। हम किस आधार पर पानी संभरण कर रहे हैं जब उन्होंने समझौता भंग कर दिया है और वह भुगतान भी नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री हाथी :** १९५४ में बैंक ने यह प्रस्ताव रखा था किन्तु पांच वर्ष की अवधि का केवल अनुमान ही लगाया था कि इस दौरान पाकिस्तान सहायक नहरों अथवा किन्हीं अन्य संसाधनों से पानी के संभरण की व्यवस्था कर ले इस अवधि का १९५४ में केवल अनुमान ही लगाया गया था। इसके पश्चात् मामला बढ़ गया। १९५७ में यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़े। बैंक ने फिर सहकारितापूर्ण प्रवृत्ति अपनाने का सुझाव दिया। उस समय हमने यह विचार किया कि जब हम पाकिस्तान को पानी संभरण कर रहे हैं तो हम अनिश्चित समय तक इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हम कब तक पानी मिलने के लिये तैयार रहें। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि १९६२ में राजस्थान में नहरें तैयार हो जायेंगी और जब पानी को प्रयुक्त न करना सम्भव नहीं हो सकेगा। हम उसके लिये तैयार रहेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : जब पाकिस्तान १९४८ के समझौते को नहीं मानता है, तो क्या फिर भी आप वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसके साथ समझौता करने के लिये तैयार हैं और वर्ल्ड बैंक के सामने जो प्रोपोज़ल है, उसको मानने के लिये तैयार है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आता कि इस पेचीदा सवाल को इस तरह सवाल-जवाब से हल करना तो दूर है, समझा भी सकना कैसे मुमकिन है। यह एक निहायत पेचीदा सवाल है, जिसमें दो मुल्कों में बात हो रही है। तीसरा फ़रीक उस में पड़ा हुआ है। हम बातचीत कर रहे हैं। उसमें न हम कोई इस तरह से धमकी देकर सवाल को हल कर सकते हैं, न और ज़रिये से। बातचीत हो रही हैं। उसके बीच में हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। जो वाकयात अब तक हैं, वे बता दिए गए हैं। ज़ाहिर है कि हमारी कोशिश है और शुरू से १९४८ के एग्रीमेंट में हमने जो कहा है, वह यह है कि हम चाहते हैं कि इस पानी से दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो, जितना कि हो सकता है। ज़ाहिर है

†मूल अंग्रेज़ी में

कि अपने मुल्क की हमें फ़िक्र करनी है, लेकिन दूसरे मुल्क का हमने नुकसान नहीं करना है---दूसरे मुल्क से मतलब है लोगों का इस ढंग से हम देखते हैं और देखते रहेंगे। जो लाखों आदमी वहां हैं, हम उन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। पानी, दरियाओं और नहरों के ये सवाल पेचीदा होते हैं, फिर भी उनको हल करने की कोशिश हो रही है। जो यह सिलसिला है, जो यह बातचीत हो रही है, यहां पर जवाब में हम कोई ऐसी बात कहें कि जिससे बातचीत बन्द हो जायें, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा।

पत्र पत्रिकाओं का डाक से भेजा जाना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. { श्री गोरे : / श्री नाथ पाई : / श्री जाधव : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि डाक तथा तार निर्देशिका के खण्ड ७४ के कठोर रूप से पालन करने के परिणामस्वरूप देश में पत्र-पत्रिकाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने और इस बात का निश्चय करने के लिये कि वर्तमान सुविधाएं जारी रहेंगी सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :(क) सरकार को इस विषय में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

†**श्री गोरे** : क्या सरकार को यह मालूम है कि गत वर्ष मैगजीनों के परिचालन में लगभग तीन लाख प्रतियों की कमी हो गई है?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारे पास यह जानकारी नहीं है।

†**श्री जाधव**: उपरोक्त अधिकांश मैगजीनें हिन्दी भाषा में हैं अथवा यह अन्य प्रादेशिक भाषाओं की मैगजीनें हैं?

†**श्री स० का० पाटिल**: यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या अमुक नियम को लागू करने से कठिनाई उत्पन्न हो गई है किन्तु नियम लागू करने के लिये ही होते हैं।

†**श्री गोरे** : गत कई वर्ष से यह नियम लागू नहीं किये जा रहे हैं। फिर सरकार उन्हें अभी क्यों लागू कर रही है।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह तर्क औचित्य संगत नहीं है यदि कोई नियम अब तक लागू नहीं किया गया तो भविष्य में भी लागू न किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि वे नियम अभी तक लागू क्यों नहीं किये गये थे तथा उन्हें अब क्यों लागू किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० का० पाटिल:** जब हमें यह मालूम हुआ कि हमें किसी दिशा में अत्यधिक हानि हो रही है तो नियमों की कार्यान्विति प्रारम्भ कर दी गई । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनसे कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है । हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस स्थिति का सामना कैसे किया जाये ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या नियम की क्रियान्विति का अखबारों में परिचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ? देश में अखबारों का चलन पहले ही कम है । क्या माननीय मन्त्री का यह विचार है कि लोग इन मैगजीनों और अखबारों के लाभ से वंचित हो जायें ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह प्रश्न भविष्य में उत्पन्न होगा । अभी तो क्रियान्विति प्रारम्भ भी नहीं हुई है इसी लिये यदि अखबारों की बिक्री में गत वर्ष कुछ असर हुआ है तो उसका कारण यह नियम नहीं है ।

†**श्री जाधव :** क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि जब यह नियम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया तो उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस नियम का कठोरतापूर्वक पालन नहीं किया जाये ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी हां, किन्तु यह ठीक ऐसा ही है । कुछ अखबार कोर्ट में पहुंचे थे तथा निषेध आज्ञा जारी की गई है । अतः यह प्रश्न अभी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एसेटिलीन[1]

†*११८९. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एसेटिलीन के निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है और उसमें इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसेटिलीन का कितना अंश है; और

(ख) तीनों नये इस्पात संयंत्रों के पूर्णरूपेण उत्पादन आरम्भ करने पर वेल्डिंग के लिये कुल कितनी एसेटिलीन की आवश्यकता होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) देश में इस समय घुली हुई एसेटिलीन गैस का वार्षिक उत्पादन लगभग ६७० लाख वर्गफुट है और जिससे मेसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता (जो पहले मेसर्स इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसेटिलीन कम्पनी) का अंश इस उत्पादन में लगभग ८० प्रतिशत है ।

(ख) लगभग १,३००/१४,०० लाख टन प्रतिवर्ष ।

आकाशवाणी

†*११९७. **श्री कुमारन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २६ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के चुने हुये स्टेशनों पर नाटकों, गीतों आदि का चुनाव करने और कार्यक्रम के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये एक मंत्रणा समिति बनाने की योजना कार्यान्वित हो गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Acetylene.

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) अभी नहीं श्रीमान् ।

आन्ध्र प्रदेश में सिल्क तैयार करने का कारखाना[1]

†*१२०४. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में सिल्क तैयार करने का एक कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ग) कारखाना स्थापित करने में कुल कितनी राशि व्यय की जाने वाली है ; और

(घ) यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में चलाया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ) ७ आन्ध्र प्रदेश में सिल्क तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने की एक योजना पर फरवरी, १६५८ में सहमति दी गई थी और आन्ध्र राज्य को इस प्रयोजन हेतु ४६,७५४ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी । राज्य सरकार ने तत्पश्चात् एक पुनरीक्षित योजना सहमति के लिये भेजी है जिस पर १,१२,५१० रुपये व्यय होगा । परियोजना के ब्यौरे की जांच हथकरघा बोर्ड द्वारा की जा रही है ।

आन्ध्र में विद्युत परियोजनायें

†*१२०५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि बढ़ाई गई है ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में १६५५—५६ में गांवों में बिजली लगाने के लिये कोई अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में मकानों का अधिग्रहण

†*१२०६. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्धकाल में नई दिल्ली में जिन मकानों का अधिग्रहण सरकार ने किया था और तत्पश्चात् जिन्हें विदेशी दूतावासों को दे दिया गया था उन्हें अभी तक वापस नहीं लिया गया है तथा जिन का कब्जा अब उन के मालिकों को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Silk Processing Factory.

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) कुछ विदेशी मिशन अभी तक अपने लिये कोई स्थान न तो पट्टे पर ले सके हैं और न कोई दूसरे स्थान का निर्माण कर सके हैं। कुछ अन्य मामलों में वे सम्पत्ति कम करने अथवा अधिग्रहण को पट्टे में बदलने के बारे में मालिकों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

कलकत्ता में पटसन मिलें

†*१२०९. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की पटसन मिलें पर्याप्त कच्चा माल न मिलने के कारण अपनी पूर्ण क्षमता भर कार्य नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुखों द्वारा भारत को रुपया भेजा जाना

†*१२१०. **श्री दिनेश सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय भारत को भेजे गये रुपये सम्बन्धी विवरण भेजे जाने की प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जोकि विदेश में सेवा करने वाले भारतीय कर्मचारियों को भेजने होते हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जी हां।

बीड़ी की तम्बाकू तथा पत्तों का मूल्य

†*१२११. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी की तम्बाकू और उस के पत्तों के मूल्य में १९५६-५८ में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) उत्पादन शुल्क में वृद्धि का इस पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या बहुत से छोटे-छोटे व्यापारियों और निर्माताओं ने अपना रोजगार बन्द कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस से कितनी बेरोजगारी बढ़ी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) बीड़ी की तम्बाकू का मूल्य १९५६ से १९५८ में लगभग २० रुपये चढ़ गया है। "बीड़ी के पत्तों" के मूल्य सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) बीड़ी की तम्बाकू के मूल्य में वृद्धि का प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार की बीड़ी बनाने की तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क बढ़ जाना है।

(ग) और (घ). बीड़ी की तम्बाकू के उत्पादन शुल्क में वृद्धि हो जाने से किसी छोटे व्यापारी अथवा निर्माणकर्ता द्वारा उस के प्रतिष्ठान बन्द कर दिये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

†मूल अंग्रेजी में

पैकिंग के लिये टीन की चादरें

†*१२१२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने वाले उद्योग को डिब्बे तथा पीपे आदि उस की आवश्यकतानुसार नहीं मिलते ;

(ख) इस उद्योग के लिये टीन की चादरों की मांग और संभरण सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या इस उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ). खाद्य पदार्थ पैक करने वाले उद्योग को विशेषकर वनस्पति के पैकिंग के लिये टीन की चादरों की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्योग की मांग प्रति वर्ष २४,३२० टन है। पैक किये जाने वाले अन्य खाद्यों की ठीक-ठीक मांग सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यथासम्भव देश के उत्पादन से ही मांग की पूर्ति की जाती है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए केवल उतने आयात की अनुमति उपभोक्ता-निर्माताओं को दी जाती है जो देशीय उत्पादन और पैकिंग सम्बन्धी आवश्यकता अथवा क्षमता, जो भी कम हो, की पूर्ति कर सके।

वनस्पति उद्योग द्वारा हाल में एक सुझाव दिया गया है कि सभी वनस्पति कारखाने, चाहे उन के अपने निर्माण संयंत्र हों अथवा नहीं, सम्पूर्ण पैकिंग सम्बन्धी आवश्यकता के लिये कोटा मिलना चाहिये ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं के लिये कोटा निर्धारित किया जाये जो स्वयं निर्माण करते हैं। सुझाव विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा फिजो को शरण दान

†*१२१३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोही नेता, श्री फिजो के पलायन और उन्हें दी गई शरण की जानकारी पाकिस्तान सरकार को दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है। जब संसद में यह कहा गया था कि श्री फिजो ढाका में थे, तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी उद्योग

†*१२१४. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वें० प० नायर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्र० के० देव:
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५८ में उन के मंत्रालय द्वारा मोटर गाड़ियों और आटोमोटिव इंजनों के निर्माताओं की एक बैठक वर्तमान विदेशी मुद्रा स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण मोटर गाड़ी उद्योग के लिये आयात सम्बन्धी कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने के लिये बुलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या-क्या सुझाव दिये गये और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख): एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३].**

भारत-बर्मा व्यापार करार

†*१२१५. **श्री राम कृष्ण :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरूआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बर्मा आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में जिस प्रबन्ध के लिये सहमति दी गई थी उस की दोनों देशों की सरकारों ने पुष्टि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रबन्ध का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रति-जारणकर्ता (एन्टी-आक्सीडेंट)

†*१२१६. **श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय बुटीलेटेड-हाइड्रोक्सी-टाउलीन किस काम आता है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९५७-५८ में इस में से कितना प्रति जारणकर्ता (एन्टी-आक्सीडेंट) का आयात किया गया है ; और

(ग) बुटीलेटेड-हाइड्रोक्सी-टाउलीन की तटागत मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) भारत में इस समय प्रति-जारणकर्ता (एन्टी-आक्सीडेंट) काम में नहीं आता है ।

(ख) वाणिज्यिक आधार पर अभी तक उस का आयात नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंशों का हस्तेकरण[1]

†*१२१७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पब्लिक लिमिटेड समवायों के अंशों के हस्तेकरण को रोकने के लिये कार्यवाही करने का विचार करती है ;

(ख) क्या सरकार के पास बहुमत अंशभागियों द्वारा हाल में निदेशकों को बदलने के संबंध में कुछ, आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ४०९ के अधीन की गई शिकायतों का उल्लेख कर रहे हैं जो निदेशक बोर्ड में परिवर्तन करने की दृष्टि से की गई हैं और जिस से इस बात की आशंका थी कि यदि अंशों के स्वामित्व में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गई तो समवाय के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । सरकार को अभी तक सात समवायों के निदेशकों अथवा प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास से ९ आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

इन में से ४ आवेदन रद्द कर दिये गये थे । शेष ५ मामलों में अन्तरिम आदेश जारी किया गया था जिस में इस बात का निदेश दिया गया था कि पारित किया गया कोई भी संकल्प अथवा की गई कार्यवाही से निदेशक बोर्ड में तब तक कोई परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस की पुष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा न कर दी जाये । तत्पश्चात् यह अन्तरिम आदेश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था जबकि वह इस बात से सन्तुष्ट हो गई थी कि उन की परिस्थितियां बदल जाने के कारण अधिनियम की धारा ४०९ के अधीन अन्तिम आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Cornering of shares

लघु सिंचाई निर्माण कार्य[1]

†*१२१८. { श्री संगण्णा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणुका राय :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये विकास कार्यों पर दिये गये अत्यधिक जोर के परिणामस्वरूप द्वितीय योजना में लघु सिंचाई कार्यों के लिये आवंटित छः करोड़ रुपये की राशि में वृद्धि कर यह राशि ८३·५ करोड़ रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए आवंटन में से उड़ीसा को कितना आवंटन किया गया है ; और

(ग) क्या उड़ीसा में लघु सिंचाई कार्यों की प्रगति सन्तोषजनक है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) फिलहाल लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिये ६६ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। हाल में योजना के नवीनतम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि आंशिक रूप से बड़े सिंचाई निर्माणकार्यों और आंशिक रूप से लघु सिंचाई निर्माण कार्यों हेतु नहरों के लिये २६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित कर दी जाये।

(ख) कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

भारत-पाकिस्तान व्यापार करार

†*१२१९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान १९५७ के भारत-पाकिस्तान व्यापार करार को कहां तक कार्यान्वित कर रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: कुछ कठिनाइयां विशेषकर सीमान्त व्यापार और भारतीय फिल्मों के निर्यात के सम्बन्ध में महसूस की जा रही हैं। इन कठिनाइयों पर छः मास में होने वाले पुनर्विलोकन सम्मेलन में चर्चा करने का विचार है।

मिदनापुर में विस्थापितों का पुनर्वास

†*१२२०. **श्री घोषाल**: क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई योजना विस्थापितों को पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में बसाने की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Minor Irrigation Works

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). पुनर्वास की सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्तियों को मिदनापुर की बेकार भूमि पर बसाने की सम्भाव्यताओं की खोज कर रही है। मिदनापुर के केलेघाई में २०० परिवार बसाने की एक योजना पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। मिदनापुर जिले के गरबेटा सल्वेनी में १,००० परिवारों को बसाने की दूसरी योजना विचाराधीन है।

सोवियत रूस को जूतों का निर्यात

†*१२२१. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री हाल्दर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से जूतों के लिये कोई नया आर्डर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने का ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) आगे का ब्योरा इस अवस्था में बताना उचित नहीं होगा।

सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण

†* १२२२. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) सड़क कूटने के इंजन बनाने के लिये अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या भारत में सड़क कूटने के इंजनों की कमी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क कूटने के इंजनों के निर्माण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु १९६०-६१ में आशा की जाती है कि ४०० इंजनों की वार्षिक मांग होगी ।

(ख) तीन ।

(ग) जी नहीं ।

प्रधान मंत्री की पहाड़-यात्रा

१९१९. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री यादव : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने अवकाश काल में पहाड़ी प्रदेश में रहने का व्यय स्वयं वहन किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सारा व्यय भारत सरकार ने वहन किया था और यदि हां, तो उनके सम्पूर्ण अवकाश काल में कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या ऐसी सब सुविधायें अन्य सारे संघ मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों को उपलब्ध हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) जी हां, यह खर्च प्रधान मंत्री ने स्वयं बरदाश्त किया था। इस सम्बन्ध में यह बतलाया जाना जरूरी है कि प्रधान मंत्री उस अरसे में छुट्टी पर नहीं थे और उनके रोजमर्रा के काम का काफी हिस्सा मनाली से ही होता रहा, जहां पर उनके पास कागजात नियमित रूप से भेजे जाते रहे।

(ख) प्रधान मंत्री के मनाली में ठहरने के दौरान में उनके निजी खर्च का कोई हिस्सा भारत सरकार या पंजाब सरकार ने बरदाश्त नहीं किया।

(ग) इस प्रश्न में किन खास सुविधाओं की तरफ़ इशारा किया गया है यह ज़ाहिर नहीं। केन्द्रीय या राज्य सरकारों के मंत्री वहां के विश्राम घर में लागू नियमों के अनुसार अपना निजी खर्च स्वयं बरदाश्त कर यकीनन ठहर सकते हैं।

कपड़े का उत्पादन

१६२०. { **श्री यादव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य-वार) १६४८ से प्रति वर्ष कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसी अवधि में इस उत्पादन में से मिलों, हथकरघों तथा अन्य साधनों से (पृथक्-पृथक्) कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में (राज्य-वार) कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत १६४८ में कितनी थी और अब कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]**

अम्बर चर्खा कार्यक्रम के संगठन तथा तरीकों सम्बन्धी जांच समिति

१६२१. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री यादव : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० मार्च, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बर चर्खा कार्यक्रम के संगठन तथा तरीकों की जांच करने के लिये १६५७ में स्थापित की गई जांच समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

---

† मूल अंग्रेजी में

बम्बई की श्रम सहकारी समितियां

†१९२२. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई की श्रम सहकारी समितियों को १९५७-५८ के दौरान में सहायता के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : वन श्रमिक सहकारी समितियों तथा यायावरीय[1] और अर्द्ध-यायावरीय[2] आदिमजातियों की श्रम संविदा समितियों के लिये १,४६,४०० रुपये की राशि आवंटित की गई थी ?

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†१९२३. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारत को प्रव्रजन करते समय पाकिस्तान के मुसलमानों से सम्पर्क का विनिमय कर लिया था;

(ख) क्या ये विनिमय विधिवत करार दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इन सम्पत्तियों के बारे में कानून न बनने का क्या परिणाम होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) से (ग). नवम्बर, १९५७ तक त्रिपुरा के ३२ विस्थापित परिवारों ने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ अपनी सम्पत्ति का विनिमय किया था। नवम्बर, १९५७ के पश्चात् विनिमय की गई सम्पत्तियों, यदि किया गया हो, तथा विनिमय की गई सम्पत्तियों का व्यौरा उपलब्ध नहीं है जो त्रिपुरा प्रशासन से मांगा गया है। मांगी गई जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी।

पहाड़ी रंगचित्रों पर आधारित फिल्म

†१९२४. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी रंगचित्रों (कांगड़ा तथा अन्य घाटियां) पर आधारित रंगीन फिल्म पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह पर्दे पर कब दिखाया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). फिल्म तैयार हो गया है और उसकी रंगीन कापी तैयार करने के लिये इंग्लिस्तान भेजी गई है। आशा की जाती है कि वह आगामी वर्ष तक दिखाया जा सकेगा।

पाकिस्तानियों का भारत आगमन

†१९२५. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से १९५८ में अब तक कितने पाकिस्तानी भारत आये; और

(ख) उक्त काल में कितने भारतीय पश्चिमी पाकिस्तान गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nomadic.

[2]Semi-nomadic.

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १-१-१६५८ से लेकर ३१-७-१६५८ के दौरान में ४०,०४२ पाकिस्तानियों ने भारत यात्रा की ।

(ख) उक्त काल में ५६,४३० भारतीयों ने पश्चिमी पाकिस्तान की यात्रा की ।

भारत का विदेशी व्यापार

†१६२६. श्री पांगरकर: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के आयात और निर्यात व्यापार के बीच अन्तर की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री(श्री लाल बहादुर शास्त्री): जनवरी-जून, १६५८ के दौरान में भारत के आयात और निर्यात व्यापार के बीच का अन्तर १२८ करोड़ रुपये था। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा में २७ अगस्त, १६५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १००४ के दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । आगे के महीनों के बारे में स्थिति क्या है, इसका अभी पता नहीं है ।

मराठवाड़ा प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†१६२७. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश के वे छोटे पैमाने के उद्योग कौन-कौन से हैं जिनको केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलने के कारण अब तक लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कुछ योजनाओं पर सहमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]

हिमाचल प्रदेश में गृह-निर्माण ऋण

†१६२८. श्री दलजीत सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको १६५७-५८ में मकान बनवाने के लिये ऋण दिया गया था;

(ख) क्या उनमें से कुछ के पास पहले से ही अपने मकान हैं;

(ग) क्या ऋण के रूप में जो राशि दी गई है वह वास्तव में मकानों के निर्माण पर व्यय की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) हिमाचल प्रदेश में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत १६५७-५८ में मकान बनवाने के लिये ६८ व्यक्तियों को ऋण दिया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां, ९८ व्यक्तियों में से ६३ व्यक्तियों के पास पहले से ही मकान थे। ये मकान या तो उन व्यक्तियों के परिवार की आवश्यकता से बहुत छोटे थे अथवा उनकी अवस्था इतनी जर्जर थी कि जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन उस व्यक्ति को राशि देने में कोई आपत्ति नहीं है, भले ही उसका अपना मकान हो बशर्ते कि उसका यह मकान उसके अपने रहने के ही काम में लाया जाये।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रमिक विवाद

†१९२९. **श्री ओंकार लाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९५७-५८ के दौरान में सीमेंट कारखानों में कुल कितने श्रमिक विवाद हुए;

(ख) ऐसे विवाद किस प्रकार के थे; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) चार।

(ख) वे सामान्यतः मजूरी बढ़ाने, अवकाश, काम की स्थिति और निवृत्ति आदि के बारे में थे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इन विवादों का निर्देश न्यायनिर्णयन के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण को कर दिया गया है।

नागा विद्रोही

†१९३०. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ मई, १९५८ से लेकर १५ अगस्त, १९५८ के दौरान में कितने नागाओं विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : २०२ ने।

उड़ीसा का औद्योगिक विकास

†१९३१. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०७ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाकाल के दौरान में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य के विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये आवंटित राशि में से उड़ीसा राज्य सरकार न कुल कितनी राशि व्यय की है ; और

(ख) वे उद्योग कौन-कौन से हैं और किन-किन स्थानों पर हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और वांछित रूप में राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

"आकाशवाणी भवन"

१६३२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के "आकाशवाणी भवन" में मंत्रालय के कौन-कौन से कार्यालय चले गये हैं ;

(ख) इस भवन पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इस भवन को वातानुकूलित करने में कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के जो दफ्तर आकाशवाणी भवन में ले जाय गये उन के नाम यह हैं :—

प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो, गवेषणा तथा संदर्भ विभाग, फोटो यूनिट और आल इंडिया रेडियो के मेंटेनेंस इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर और सेंट्रल प्राजेक्ट सर्कल के प्राजेक्ट आफिसर के दफ्तर और डाइरेक्टोरेट जनरल आफ आँल इंडिया रेडियो का कुछ हिस्सा ।

(ख) इस भवन के बनाने पर कुल लगभग ४० लाख रुपये खर्च हुए ।

(ग) भवन को वातानुकूलित कराने पर कुछ खर्च नहीं किया गया लेकिन कान्फ्रेंस हाल और कुछ कमरों को वातानुकूलित कराने की लागत लगभग ८४,००० रुपया होगी ।

सुगम संगीत

१६३३. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आकाशवाणी में सुगम संगीत की धुनें तैयार करने वाली जो आठ टुकड़ियां हैं वे किन-किन केन्द्रों में स्थापित की गई हैं;

(ख) सुगम संगीत की ये धुनें किन-किन भाषाओं में तैयार की गई हैं ; और

(ग) इनके रिकार्ड तैयार करने से पहले क्या यह जांच कर ली जाती है कि ये धुनें लोकप्रिय हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस समय सुगम संगीत की कुल पांच मंडलियां आकाशवाणी के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ स्टेशनों पर काम कर रही हैं । बाकी सब स्टेशनों पर एक एक सहायक निर्माता मौजूद है जिसका काम भी इसी ढंग का होता है ।

(ख) हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तामिल, तेलूगू उड़िया और पंजाबी ।

(ग) जो धुनें लोकप्रिय मानी जाती हैं उनके गाने बनाये जाते हैं और जिन धुनों के लोकप्रिय होने की उम्मीद होती है उन्हें मंजूर कर लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तर

†१९३४. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा रजिस्टर किये गये अब तक कुल कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जुलाई, १९५८ के अन्त तक कुल २९,३२,३७८ व्यक्तियों को काम मिला है ।

कपड़ा निर्यात

†१९३५. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कैसी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अभी तक सरकार ने तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिये जो उपाय किये है, उनकी सूचना सभा को समय-समय पर दी गई है । सरकार कुछ और उपायों पर विचार कर रही है और उनका व्यौरा शीघ्र ही बताया जायेगा ।

बेरोजगारी सहायता निधि

†१९३६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री सूपकार :
श्री हेम बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी सहायता निधि बनाने के लिये सरकार ने कोई शुल्क लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कैसा शुल्क लगाया जायेगा ; और

(ग) इस योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा पारित संकल्प

†१९३७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा पारित संकल्पों पर विचार हो चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर कैसे निर्णय किये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ग्राबिद ग्रली)** : (क) जी, हां।

(ख) मई, १९५८ में त्रिदलीय भारतीय श्रम सम्मेलन के १६वें सत्र में चर्चा के ग्रन्य विषयों के साथ-साथ मजूरी बोर्ड स्थापित करने, प्रबंध की संयुक्त परिषदें बनाने, मिलों का बन्द होना बचाने के लिये कार्यवाही करने, मजदूरों के कुटुम्बों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल करने, सामाजिक सुरक्षा योजना के एकीकरण को शीघ्र ग्रंतिम रूप देने, राष्ट्रीय ग्रावास ग्रधिनियम के ग्रधिनियमित करने तथा परिवहन श्रमिकों के लिये विधान बनाने ग्रादि से सम्बन्धित बातों सहित मुख्य संकल्पों पर विचार किया गया था।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१६३८. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने ग्रपने कर्मचारियों के लिये नियुक्ति, सेवा-पथ निर्देश, छुट्टी पदों पर रखने ग्रादि से सम्बन्धित नियम ग्रौर विनियम ग्रादि बनाये हैं;

(ख) राज्य निगम में कुल कितने ग्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) कितने ग्रधिकारियों ग्रौर कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया गया है ; ग्रौर

(घ) निगम के कर्मचारियों पर कौनसी श्रमिक विधियां लागू होती हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) १४३ ग्रधिकारी। ग्रन्य कर्मचारी १०२७। कुल संख्या ११७०।

(ग) निगम के कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है ग्रौर प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ग्रल्प ग्राय-वर्ग गृहनिर्माण योजना

†१६३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, ग्रावास ग्रौर संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ ग्रगस्त, १९५८ तक प्रत्येक राज्य में ग्रल्प-ग्राय-वर्ग निर्माण योजना सम्बन्धी कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, ग्रावास ग्रौर संभरण उपमंत्री (श्री ग्रनिल कु० चन्दा)** : ग्रल्प ग्राय-वर्ग योजना के नवम्बर, १९५४ में प्रारम्भ होने से लेकर जून १९५८ के ग्रन्त तक उसमें प्रत्येक राज्य ग्रौर संघ राज्य क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसे बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, ग्रनुबन्ध संख्या ५७]**

वनस्पति तेल के कारखाने

†१६४०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राजकल देश के वनस्पति तेल के कितने कारखाने बन्द हैं ; ग्रौर

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ख) क्या उन कारखानों में काम चालू करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) उत्तर प्रदेश के केवल उन चार कारखानों को छोड़ कर जिन के बारे में यह कहा गया है कि उन्हें पिछले तीन या चार महीनों से या तो साझेदारों में विवाद होने से अथवा तिलहनों की कमी के कारण अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है सरकार को देश के ऐसे कारखाने के बारे में नहीं मालूम जोकि बन्द हैं।

(ख) अस्थायी रूप से बन्द कर दिये गये उपर्युक्त चार कारखानों के सिवाय चूंकि देश में और कोई कारखाना बन्द नहीं है अतएव उन्हें चालू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मालनाड क्षेत्र का विकास

†**१९४१. श्री शिवनंजप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने मालनाड क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस विकास योजना के लिये वित्तीय सहायता देने के संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). मालनाड, क्षेत्र की विकास योजना, राज्य योजना का एक अंग है और इस सम्बन्ध में मैसूर सरकार ने अलग से कोई उल्लेख नहीं किया/मार्च १९५८ में मैसूर सरकार ने मालनाड क्षेत्र के लिये एक विकास बोर्ड बना दिया है।

लिवर एक्स्ट्रेक्ट

†**१९४२. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कम्पनियां लिवर एक्स्ट्रेक्ट बना रही हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में लिवर एक्स्ट्रेक्ट के इंजैक्शनों तथा उस से बनी खाने की दवाइयों का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]**

सेंधा नमक

†**१९४३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन स्थानों में सेंधा नमक के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक जगह में निक्षेप की क्या मात्रा है; और

(ग) इन खानों का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी की नमक खानें ही सेंधा नमक का एकमात्र ज्ञात संसाधन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन खानों के सेन्धा नमक निक्षेपों से आगामी दस वर्षों तक सालाना ६६,००० टन शुद्ध नमक मिल सकेगा ।

(ग) अब तक मंडी खानों से सेंधा नमक का सालाना उत्पादन १.३ लाख मन रहा है। खानों को उचित रूप से तथा वैज्ञानिक आधार पर काम में लाने के लिये और उत्पादन बढ़ाने के लिये द्रांग की खदानों में १३.६१ लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर दो शेफ्ट लगाने तथा गुम्मा की खदानों में खुदाई तथा छिद्रण के लिये एक बिजली के कम्प्रैसर को लगाने और नई सुरंगें बनाने के लिये काम चल रहा है ।

पंजाब में ग्रेफाइट

†१९४४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में यदि कुछ ग्रेफाइट उपलब्ध है तो उसकी अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ख) आजकल सालाना कितना ग्रेफाइट निकाला जा रहा है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). ंजाब की एक पहाड़ी पर ग्रेफाइट के अनियमित सुभाजा समूह के निक्षेपों के होने का पता लगा है । उस का निकलना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा । अतएव उस के निक्षेपों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया । इस क्षेत्र से कोई ग्रेफाइट नहीं निकाला जा रहा है ।

तम्बाकू का आयात

†१९४५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ से अब तक अमेरीका और अन्य देशों से सालाना और प्रत्येक देश से कितनी पाइप की तम्बाकू और सिगार लपेटने की तम्बाकू आयात की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जनवरी, १९५७ के पहिले भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अधीन तम्बाकू को दो वर्गों में नामतः तैयार की हुई तम्बाकू और साधारण तम्बाकू वर्गों में बांटा गया था । इन में से ैयार की हुई तम्बाकू को और भी उपशीर्षों में बांटा गया है । १९५५–५६ और १९५६–५७ (अप्रैल-दिसम्बर, १९५६) में साधारण तम्बाकू का आयात निम्नलिखित है:—

देश	१९५५-५६		१९५६-५७ (अप्रैल-दिसम्बर १९५६-५७)	
	मात्रा (हजार पौंडों में)	मूल्य (हजार रुपयों में)	मात्रा (हजार पौंडों में)	मूल्य (हजार रुपयों में)
सीलोन	५५९	१०९३	४९३	९०२
अमेरीका	२६१९	११५६४	१११३	५१६८
अन्य देश	५३९	१९८	४२६	४२२
कुलजोड	३७१७	१२८५६	२०३२	६४९२

† मूल अंग्रेजी में

जनवरी, १९५७ से तम्बाकू इन्हीं दो शीर्षों के अन्तर्गत अनेकों कई उपशीर्षों में विभाजित कर दी गई है जिन में से "साधारण तम्बाकू" शीर्ष के अधीन (१) सिगार और चुरुट के लिये साधारण तम्बाकू और (२) पाइपों के लिये तम्बाकू मिश्रण बनाने के लिये साधारण तम्बाकू उपशीर्ष हैं। जनवरी, १९५७ में और उस के बाद आयात की गई सिगार और चुरुट के लिये साधारण तम्बाकू के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(मात्रा हजार पौंडों में और मूल्य हजार रुपयों में)

	जनवरी-मार्च १९५७		१९५७-५८		१९५८-५९ (अप्रैल-जून)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सिगार और चुरुट के लिये साधारण तम्बाकू						
अमेरीका	अप्राप्य	४	अप्राप्य	२३	—	—
बर्मा	२११२८०	११	७८४०	४	—	—
पूर्वी पाकिस्तान	७२०	*	२९८३	२	—	—

*नहीं के बराबर है।

"पाइपों का मिश्रण तैयार करने के लिये साधारण तम्बाकू" शीर्ष के अधीन कोई आयात नहीं हुआ।

सिन्ध में साम्प्रदायिक दंगे

†१९४६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंध में होने वाले साम्प्रदायिक दंगों की खबर मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख), प्रेस रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम पाकिस्तान के जिला थाट्टा की मिरपुर साकरी तहसील में इस गलत अफवाह के कारण कि एक मुसलमान स्त्री का अपहरण हिन्दुओं न कर लिया है, अनेक हिन्दुओं पर हमले किये गये और उन के घरों को लूट लिया गया। कुछ हिन्दू साधुओं (फकीरों) को शारीरिक यंत्रणा दी गई थी और उन की १२ स्त्रियों तथा १८ बच्चों का भी हरण कर लिया गया।

परन्तु १० जून, १९५८ को जारी किये गये प्रेस नोट में पाकिस्तान सरकार ने इस घटना के समाचार का निराकरण किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

†१९४७. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने "संसार की रोजगार-स्थिति" पर एक रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां, "संसार की रोजगार स्थिति" पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय ने एक प्रारूप-रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) प्रारूप-रिपोर्ट में खास तौर पर अमेरिका में होने वाली रोजगार की कमी की ओर ध्यान दिलाया गया है और उसमें यह विवेचना की गई है कि उसके क्या कारण हैं और उसका अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें उसके बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

अस्वायत्त राज्य-क्षेत्र[1]

†१९४८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** एक ऐसा विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :—

(क) अस्वायत राज्य-क्षेत्रों की सूचना समिति की हाल ही की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इस रिपोर्ट पर महा सभा ने विचार कर लिया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इस समिति की सबसे ताजी रिपोर्ट में अस्वायत्त राज्य-क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक परिस्थितियों से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया गया है। उसमें कुछ राज्य-क्षेत्रों में होनेवाले सामुदायिक विकास के विस्तार तथा कार्मिक संघों तथा सहकारी समितियों आदि के बनने का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि आर्थिक क्षेत्र में अधिकांश राज्य क्षेत्रों ने आर्थिक विकास के लिये आयोजना तथा गवेषणा सम्बन्धी प्रगति की है। शिक्षा के बारे में रिपोर्ट में यह लिखा है कि १९५६ से अब तक निरक्षरता दूर करने की दिशा में कम काम हुआ है तथा प्रशासनीय प्राधिकारों का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि वे सब के लिये मुफ्त शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के सुझावों को शीघ्रातिशीघ्र अमल में लायें।

(ख) महा सभा के १६ सितम्बर, १९५८ को प्रारम्भ होने वाले सत्र में इस रिपोर्ट पर विचार किये जाने की आशा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा छात्रवृत्तियां

†१९४९. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **श्रम और योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विदेशों में श्रम व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये कुछ छात्र-वृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत भेजे गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं और वे किन देशों को भेजे गये हैं; और

(ग) उनका अध्ययन किस प्रकार का है और वह कितने दिनों का था ?

†**श्रम उप मन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय संघ संगठन ने श्रम व्यवस्था तथा सम्पर्क अध्ययन में भाग लेने के लिये दो छात्र-वृत्तियां दी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Non-Self-governing Territories.

(ख) इस अध्ययन-प्रवास में श्री एन० एम० वकील जो भारत के नियोजक संघ के सदस्य हैं तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के श्री मोतीलाल जैन भाग ले रहे हैं। वे जिनेवा, यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी के फेडरल गणराज्य में दौरा करेंगे।

(ग) उनका अध्ययन का विषय यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी के फेडरल गणराज्य में मालिकों तथा मजदूरों के सम्बन्ध तथा श्रम-प्रबन्ध होगा। ये लोग निम्नलिखित स्थानों पर दर्शाई गई अवधि तक रहेंगे :—

जिनेवा . .	१ से ६ सितम्बर, १९५८
यूनाइटेड किंगडम . .	६ सितम्बर से १८ अक्टूबर, १९५८
जर्मनी का फेडरल गणराज्य . .	१८ अक्टूबर से ८ नवम्बर, १९५८
जिनेवा .	८ से २२ नवम्बर, १९५८

पश्चिमी अफ्रीका के देशों से व्यापार

†१९५०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) पिछले तीन सालों में इन देशों को क्या निर्यात तथा वहां से क्या आयात किया गया है; और

(ग) उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ग) पश्चिमी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) सूती वस्त्रनिर्यात संसवर्धन परिषद् के एक निर्यात संवर्धन अधिकारी को लागोस (नाईजीरिया) में रखा गया है जिससे कि वे वहां के बाजारों में हमारे सूती वस्त्रों के हितों की रक्षा कर सकें।

(२) इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ने (३१–८–५८ को) पश्चिमी अफ़्रीका के देशों में एक प्रतिनिधि मंडल यह समन्वेषण करने के लिये भेजा है कि वहां के बाजारों में हमारा इंजीनियरिंग का सामान बिकने की क्या संभावनायें हैं।

(३) दिसम्बर, १९५७—जनवरी १९५८ में घाना से एक व्यापार तथा सद्भावना प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। प्रतिनिधि मंडल को उस दृष्टि से भारत के विभिन्न औद्योगिक एकक दिखाये गये थे कि उन्हें यह मालूम हो जाये कि भारत उनकी किस प्रकार के सामान की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) घाना में स्थित हमारे उच्चायुक्त कार्यालय से सम्बद्ध एक सहायक आयुक्त की नियुक्ति लागोस में की जा रही है। वे घाना तथा नाइजीरियों में हमारे वाणिज्यिक हितों की देखभाल करेंगे ।

(५) सन् १९५६ में आक्रा (घाना) तथा लागोस (नाईजीरिया) में भारतीय प्रदर्शनियां की गईं थीं ।

फिल्म्स डिवीज़न

†१९५१. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या फिल्म्स डिवीज़न ने बड़े बड़े शहरों में भारतीय प्रलेखीय चलचित्रों के नियमित प्रदर्शन की कोई योजना बनाई है;

(ख) इन शहरों के क्या नाम हैं, और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). दिसम्बर, १९५७ से नई दिल्ली के फिल्म्स डिवीजन आडीटोरियम, जनपथ, में प्रलेखीय चलचित्रों तथा समाचार-चित्रों के नियमित प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार के नियमित शो भारतीय विद्या भवन, बम्बई, में भी एक माह तक दिखाये गये थे। भारत के अन्य बड़े शहरों में प्रलेखीय चलचित्रों को नियमित रूप से दिखाने की व्यवस्था की जा रही है।

कुटीर उद्योग

†१९५२. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने दरी बुनाई उद्योग, पश्मीना उद्योग, तथा फूलकारी उद्योग के बारे में कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं पर विचार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है या दी जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार करार

†१९५३. { **श्री हेम राज :**
श्री पांगरकर : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक कितने देशों से फिर से नये व्यापार करार कर लिये गये हैं ; और

(ख) क्या इन करारों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५८-५९ में फिनलैंड, रूमानिया, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार अस्थायी रूप से बढ़ा दिये गये हैं या फिर से नये कर दिये गये हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ नया व्यापार-करार भी किया गया है ।

(ख) इन व्यापार करारों के करारपत्र कागज़ात संसद् के पुस्तकालय को दिये जा चुके हैं ।

चाय उद्योग

†**१९५४. श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय उद्योग के वे कौन से विभिन्न मद हैं जिनके विकास के लिये चाय बोर्ड ने जुलाई १९५८ तक अपनी निधियां खर्च की हैं ; और

(ख) उन्हीं मदों पर मार्च से जुलाई १९५८ तक उसने कितना रुपया खर्च किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). १ अप्रैल, १९५४ को चाय-बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड की सारी गतिविधियां चाय उद्योग के विकास के लिये ही होती हैं। चाय बोर्ड द्वारा १९५४-५५ से अब तक जो खर्च किया गया है उसे बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**

बेतिया शरणार्थी शिविर

†**१९५५. श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेतिया शिविर के शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये बेड़ी-हारी, पी० एस० बाघा, तथा धूमातनर पी० एस० मैंतानर, में ऊंची कीमतों पर खरीदी गई जमीन कम उपजाऊ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है; और

(ग) उसका क्या नतीजा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). बेड़ीहारी तथा धूमातनर में जमीन २०० रुपये से ४५० रुपये प्रति एकड़ की उस कीमत पर खरीदी गई है

†मूल अंग्रेजी में

जो राज्य सरकार के अनुसार उस क्षेत्र की जमीन की साधारण कीमत है। कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने शिकायत की है कि ये जमीनें कम उपजाऊ वाली हैं और राज्य सरकार से उस बारे में जांच करने के लिये कहा गया है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१९५६. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (त्रिपुरा के) कमालपुर डिवीजन में कायमी तालुका नं० १४/६३४ की भूमि का कुछ भाग सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अर्जित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि के उस अर्जन से कितने कृषक परिवारों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) इस प्रकार अर्जित की गई भूमि के स्वामियों को क्या कोई हर्जाना दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो भू-स्वामियों को उसका हर्जाना कब तक दिये जाने की आशा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) २५ परिवार ।

(घ) और (ग). इन भू-स्वामियों में से १५ भू-स्वामियों को पूरा हर्जाना चुका दिया गया है और शेष १० भू-स्वामियों के हर्जाने का हिसाब लगा लिया गया है और अब मांगे जाने पर उसे चुकाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

†१९५७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों को बसाने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार राजी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा कोई सहायता दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) इन कुटुम्बों को किन स्थानों पर बसाया जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नैनीताल और तराई क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पहिले ही बसाये गये १००० कुटुम्बों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में ३,००० और कुटुम्बों को बसाने के लिये राजी हो गई है ।

(ख) हमेशा की नाईं विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का खर्च भारत सरकार भुगतेगी।

(ग) अभी तक मंजूर की गई योजनाओं के अनुसार उन्हें नैनीताल, पीलीभीत, गोरखपुर और खेरी जिलों में बसाया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग

†१९५८. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में हथकरघा उद्योग विशेष तौर पर ईछाल कारंगी में हथकरघा उद्योग, असंतोषप्रद स्थिति में हैं और हजारों हथकरघे बंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार उस स्थिति का सुधार करने के मार्ग तथा उपाय बताने के लिये कोई जांच-बोर्ड बनाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं । (ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लघु उद्योग

१९५९. **श्री भ० दी० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगार और ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिनके पास अलाभप्रद खेत हैं और जिन्हें पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से प्रतिवर्ष बड़े बड़े कारखानों अथवा लघु उद्योगों में रोजगार मिला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े इस आधार पर इकट्ठे नहीं किये जाते ।

सहकारी पद्धति के बारे में प्रकाशन

१९६०. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी पद्धति के सम्बन्ध में १९५७-५८ में कुल कितने प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी में अलग अलग निकाले गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५७–५८ में हिन्दी और अंग्रेजी में एक एक प्रकाशन निकाला गया ।

अम्बरनाथ वूलन मिल्स

†१९६१. **श्री आसर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ३१ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ वूलन मिल्स पूरी अदायगी पर बेची गई है अथवा किस्तों के आधार पर ; और

(ख) उसे किन-किन शर्तों और निबन्धनों पर बेचा गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) किस्तों के आधार पर ।

(ख) बिक्री की मुख्य मुख्य शर्तें और निबन्धन ये हैं कि श्री राजनाथ को ३० लाख रुपये पेशगी देने हैं और शेष राशि ७ बराबर की वार्षिक किस्तों में अदा की जायेगी । समय समय पर बकाया

---

†मूल अंग्रेजी में

राशि पर ४ १/२ प्रतिशत ब्याज लगेगा। जब तक पूरी कीमत अदा नहीं की जाती, तब तक सम्पत्ति सरकार के पास बन्धक रहेगी। यह अदायगी या तो नकद रुपया देकर की जा सकती है या कंवर राजनाथ अथवा किसी अन्य ऐसे सम्बन्धित विस्थापित व्यक्तियों के मंजूरशुदा दावों की राशि में से काटी जा सकती है जो अपने दावे उन्हें (कंवर राजनाथ को) दे दें।

रायसीना रोड, मार्केट दिल्ली

†१९६२. **श्री पांगरकर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अन्तरिम योजना के अधीन पी० ब्लाक के सामने के रायसीना रोड मार्केट को दिल्ली में किसी और स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या उस मार्केट के फ्लेटों, शौचालयों, स्नानालयों और बरामदों की मरम्मत की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) रायसीना रोड मार्केट के हटाने के सम्बन्ध में इस समय कोई भी प्रस्थापना नहीं है, और न ही अन्तरिम सामान्य योजना में इस प्रकार की कोई प्रस्थापना है। परन्तु क्योंकि उस मार्केट के पास नये दफ्तरों की जो इमारतें बन रही हैं उनमें केन्टीन और सहकारी स्टोर होंगे, इसलिये बाद में रायसीना रोड मार्केट की कोई जरूरत नहीं रह जायेगी। हो सकता है कि तब उसे तोड़ दिया जाये।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस मार्केट की इमारत और उसके कम्पाउण्ड आदि की बराबर मरम्मत करता रहता है। हाल ही में मेडिकल आफिसर आफ़ हैल्थ ने यह सुझाव दिया है कि मार्केट की खाने-पीने की दूकानों में कुछ एक परिवर्तन कर दिये जायें। इस पर भी विचार किया जा रहा है।

चीनी की फैक्टरियों के लिये मशीनें

†१९६३. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चीनी की फैक्टरियों के लिये कितनी मशीनें आयात की गई थीं ; और

(ख) वे मशीनें किस किस देश से आयात की गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि १९५५ से १९५८ (जनवरी--जून) तक किस-किस देश से चीनी तैयार करने वाली तथा साफ़ करने वाली मशीनें मंगायी गई थीं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

खाल और चमड़े की चीजें

१९६४. श्री गणपति राम : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि कच्ची खाल और चमड़े का निर्यात बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो भारत में खालों की कीमतों पर निर्यात का क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या देश में पैदा की जाने वाली सारी खालें चमड़े का सामान तैयार करने वाले और चमड़ा रंगने वाले कारखानों में ही खप जाती हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो उनके निर्यात में क्या कठिनाइयां हैं ;

(च) क्या यह सच है कि कुछ देशों में भारतीय खालों और चमड़े की चीजों की बहुत अधिक मांग है ; और

(छ) यदि हां, तो वे कौन कौन से देश हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) बकरी तथा भेड़ों की कच्ची खालों को जिन्हें 'पपड़ा' कहते हैं, छोड़ कर कच्चे चमड़े और खालों के निर्यात पर १९५१ से प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

(ख) यह प्रतिबन्ध इस उद्देश्य से लगाया गया है कि देश में चमड़ा और खालें कमाने की वर्तमान क्षमता काम में लायी जा सके और उन्हें कमायी हुई तथा समापित हालत में निर्यात किया जा सके जिससे अधिक विदेशी मुद्रा कमायी जा सके और अधिक लोगों को रोजगार मिल सके ।

(ग) इसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है ।

(घ) जी, हां ; बकरी और भेड़ों की कच्ची खालें छोड़ कर जिन्हें 'पपड़ा' कहते हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) और (छ). बकरी की खालों की मांग मुख्यतः सं० रा० अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, प० जर्मनी, इटली और चैकोस्लावाकिया में है । चमड़े के सामान की वहां अधिक मांग नहीं है ।

खानों में दुर्घटनायें

†**१९६५. सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, से ३१ अगस्त, १९५८ तक कोयला खानों में प्रति मास कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुये ; और

(ग) उक्त अवधि में प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १ मार्च से ३१ जुलाई, १९५८ तक कोयला खानों में प्रति मास हुई दुर्घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है। ये आंकड़े पक्के नहीं हैं। अगस्त १९५८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं :—

मास	दुर्घटनाओं की संख्या	
	घातक	गम्भीर
मार्च	१६	१८५
अप्रैल	२३	२५२
मई	२३	२४५
जून	१३	२५८
जुलाई	१०	२१७

(ख) ९१ व्यक्ति मारे गये और ११८५ घायल हुये (ये आंकड़े पक्के नहीं हैं)।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति

†**१९६६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति स्थापित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन अखिल भारतीय संघटनों से उसके लिये प्रतिनिधि लिये गये हैं ;

(ग) समिति की प्रथम बैठक के लिये क्या तिथि निश्चित की गई है ; और

(घ) इस समिति में किस किस विषय पर चर्चा की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रूसी सहायता से फिल्मों का निर्माण

†**१९६७. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहायता से फिल्में तैयार करने की कोई परियोजना प्रारम्भ की गई है ;

(ख) अभी तक इस प्रकार की कौन कौन सी फिल्में तैयार की गई हैं ; और

(ग) रूस ने इस सम्बन्ध में किस प्रकार की सहायता दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). रूसी सरकार के अधीन एक स्टूडियो में सम्मिलित रूप से केवल एक ही प्रलेखीय चलचित्र तैयार किया गया है, जिसका नाम है "डॉन ओवर इण्डिया"। यह फिल्म रूसी प्रविधिज्ञों ने हमारे फिल्म डिवीजन के कर्मचारियों की सहायता से ली गई है। इसे फिर रूस में भारतीय फिल्म डिवीजन के दो प्रविधिज्ञों की सहायता से तैयार किया गया था और इसका सम्पादन किया गया था। रूसी प्रविधिज्ञों पर, जब वे भारत में थे, आने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था और दो भारतीय प्रविधिज्ञों का खर्च जब वे रूस में थे, रूसी सरकार द्वारा वहन किया गया था।

रूसी सरकार की सहायता से गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं द्वारा तैयार की गई फिल्मों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण के लिये सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिये सरकार इनके सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखती।

न्यास राज्य-क्षेत्र[1]

†१९९८. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूआण्डा-उरूण्डी के न्यास राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में ट्रस्टीशिप कौंसिल को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या ट्रस्टीशिप कौंसिल ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) रूआण्डा-उरूण्डी के न्यास राज्य-क्षेत्र पर बेल्जियम का प्रशासन है। जैसी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में व्यवस्था है, बेल्जियम, ट्रस्टीशिप कौंसिल की प्रश्नावली के आधार पर, रूआण्डा-उरूण्डी के सम्बन्ध में जनरल एसेम्बली को वार्षिक प्रतिवेदन भेजता है। इन प्रतिवेदनों पर जनरल एसेम्बली और ट्रस्टीशिप कौंसिल दोनों द्वारा विचार किया जाता है।

रूआण्डा-उरूण्डी के बारे में बेल्जियम द्वारा भेजा गया गत प्रतिवेदन १९५६ के सम्बन्ध में था।

(ख) इस प्रतिवेदन में रूआण्डा-उरूण्डी के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

(ग) ट्रस्टीशिप कौंसिल ने इस प्रतिवेदन पर ३० जनवरी से २६ मार्च, १९५८ तक न्यूयार्क में विचार किया था।

(घ) ट्रस्टीशिप कौंसिल ने रूआण्डा-उरूण्डी में विद्यमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के परिणाम प्रशासनीय अधिकारी से आगामी वार्षिक प्रतिवेदन और संयुक्त राष्ट्र संघ के विजिटिंग मिशन के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही जाने जा सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Trust Territory.

स्वचालित करघे

†१६६९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कपड़ा मिलों को इन शर्तों पर स्वचालित करघे लगाने की अनुमति दी गई है कि इनसे निर्मित वस्तुओं को निर्यात करने के लिये रक्षित किया जायेगा ; और

(ख) प्रत्येक मिल में कितने स्वचालित करघे लगाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]**

आकाशवाणी में महिला कर्मचारी

†१६७०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र में इस समय कितनी महिलायें काम कर रही हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कितनी महिलायें काम कर रही हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४]**

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

†१६७१. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) अभी तक वर्षवार कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के कुटीर उद्योगों के विकास के लिये निम्नलिखित राशियां आवंटित की गई थीं :—

	लाख रुपये
हथकरघे	१११.९०
दस्तकारियां . .	२०.००
रेशम कृमि पालन .	६.००
नारियल जटा उद्योग	१.००
*खादी तथा ग्रामोद्योग . .	२०८.००

*इसके लिये कोई राशि अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। यह राशि अभी अस्थायी रूप से निर्धारित की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६–५७ और १९५७–५८ में खर्च की गई राशियों का विवरण निम्नलिखित है :—

उद्योग	१९५६–५७ रुपये	१९५७–५८ रुपये
हथकरघे	२२,७९,९४९	१५,४९,९३९
दस्तकारियां	१,३६,९८०	२,५८,२०५
रेशम कृमि पालन	३७,२८७	१,९०,३८२
नारियल जटा	२४,२५०	२४,२५०
*खादी परम्परागत	७,७५,६११	१,८६,७१६
*खादी अम्बर	३,४८,३१०	१४,४०,३३५
*ग्रामोद्योग	१५,३१,१९६	१८,०६,७५५

*ये वे राशियां हैं जो कि आवंटित की गई हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†१९७२. **श्री एन्थनी पिल्ले :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में किन-किन उद्योगों में अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू किया गया है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन-किन और उद्योगों पर उस अधिनियम को लागू करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं माना गया है ।

(ख) अन्य उद्योगों पर भी इसे लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है—यदि अन्य उद्योगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया तब सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योग इस के अन्तर्गत लाये जायेंगे ।

पटसन की मिलों के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण[1] के लिये ऋण

†१९७४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की मिलों के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण के लिये ऋण देने से पहले सरकार ने बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). पटसन की मिलों के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया है । पटसन उद्योग के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण संबंधी नीति १० सितम्बर, १९५४ को इस सभा में पारित संकल्प द्वारा संचालित होती है ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rationalisation.

खादी ग्रामोद्योग भवन

†१९७५. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४, नई दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन पर भी लागू होता है ;

(ख) क्या यह उद्योग उक्त अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या दिल्ली दूकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४, नई दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन पर भी लागू होगा या नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले पर दिल्ली दूकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ के प्रशासन प्राधिकारी विचार कर रहे हैं ।

पंजाब में निष्क्राम्य सम्पत्तियां

†१९७६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पंजाब तथा अन्य स्थानों पर निष्क्राम्य सम्पत्तियों के रूप में कितने ईंटों के बने हुये तथा कच्चे मकान उपलब्ध हुये थे ; और

(ख) ये मकान कितने परिवारों को आवंटित किये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) और (ख). लगभग १०० करोड़ रुपयों की शहरी निष्क्राम्य सम्पत्ति थी । उसमें लगभग २,७५,००० इमारतें थीं । उनके लिये मांगे गये व्योरों को इकट्ठा करने में इतना परिश्रम और समय लगेगा कि वह प्राप्त नहीं होने वाली जानकारी के अनुरूप न होगा ।

भूमि सुधार की कार्यान्विति के सम्बन्ध में गवेषणा

†१९७७. **श्री वाजपेयी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति भूमि सुधार की कार्यान्विति के संबंध में एक गवेषणा कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या अनुसंधान करने के लिये डिजाइन और प्रविधि के बारे में कोई नोट तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक नोट रखा जाता है जिसमें इन अनुसंधानों के क्षेत्र, डिजाइन और संक्षेपिका निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६५]**

नाटक मण्डली

१९७८. श्री बाला साहिब पाटिलः क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक विभागीय नाटक मंडली स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का ब्योरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). एक नियमित विभागीय नाटक मंडली स्थापित करने के संबंध में तो कोई प्रस्थापना नहीं है । हां, प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है कि आकाशवाणी के गीत तथा नाटक विभाग में कुछ एक नाटक कलाकार नियुक्त किये जायें जिन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये अभिप्रेत नये नाटक खेलने और स्वीकृत नाटकों को आदर्श प्रदर्शन करने के प्रयोगनार्थ एक नाटक मंडली का श्रीगणेश किया जा सके ।

लघु उद्योगों के लिये इस्पात

†१९७९. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में लघु उद्योगों के लिये पंजाब राज्य द्वारा कितना इस्पात मांगा गया था ; और

(ख) उक्त अवधि में लघु उद्योगों के लिये कितना इस्पात आवंटित किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख).

	मांगी गयी मात्रा	आवंटित की गयी मात्रा
	टन	टन
१९५६–५७	४६,८०७	१६,१००
१९५७–५८ . . .	४३,०००	८,१५०

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में लघु उद्योग

१९८०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों (तिहाड़, तिलक नगर, रमेश नगर, मोती नगर आदि) में बेकारी दूर करने के लिये लघु उद्योग स्थापित करने की एक योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक नोट सभा-पटल पर रख दिया गया है,जिसमें विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में लघु/कुटीर उद्योग स्थापित करने की सरकार की साधारण योजना का विवरण दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६]** विशिष्ट योजनाएं उद्योगपतियों/व्यक्तियों को प्रस्तुत करनी होंगी।

बम्बई राज्य में शक्ति-चालित करघे

†**१९८१. श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में इस समय कितने शक्ति चालित करघे हैं ;

(ख) वे कहां कहां स्थापित हैं और प्रत्येक स्थान पर कितने कितने करघे हैं ;

(ग) १९५६ के अन्त में कितने शक्ति चालित करघे थे ;

(घ) १९५७ और १९५८ में उस राज्य में कितने और किस किस स्थान पर शक्ति चालित करघे लगाने की अनुमति दी गयी थी ; और

(ङ) अलग अलग व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं को क्रमशः कितने कितने करघे लगाने की अनुमति दी गयी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ङ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७]**

विस्थापित व्यक्तियों के लिये गृह-निर्माण अनुदान

†**१९८२. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विस्थापित व्यक्तियों को जिनको बिना मकान की जमीन आवंटित की गई है। विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५, के नियम ५७ के अधीन गृह-निर्माण अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) इस संबंध में कितनी राशि दी गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). नियम ५७ के अधीन गृह-निर्माण के लिये अभी तक कोई राशि नहीं दी गयी।

†मूल अंग्रेजी में

जापान को फिल्मों का निर्यात

†१९८३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक जापान को कितनी फिल्में भेजी गयी हैं ; और

(ख) १९५८ का यह निर्यात १९५७ के निर्यात की तुलना में कैसा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** जनवरी–जून, १९५८ में और १९५७ के उन्हीं महीनों में जापान को भेजी गयी सिनेमा की फिल्मों का विवरण निम्नलिखित है :—

	१९५८ (जनवरी–जून)	१९५७ (जनवरी-जून)
	फुट	फुट
स्टैंडर्ड ३५ मिली मीटर	शून्य	१७,१०६
सब स्टैंडर्ड	१,९६०	३८,२१८

टिप्पण–(१) व्यापार संबंधी आंकड़ों में फिल्मों का निर्यात फुटों में रखा जाता है, संख्या में नहीं।

(२) जून, १९५८ के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब की खादी सहकारी संस्था को निधि आवंटन

†१९८४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में खादी सहकारी संस्था के लिये १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये कुल आवंटन में से अभी तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** किसी भी राज्य की खादी सहकारी संस्थाओं के लिये कोई विशेष राशि आवंटित नहीं की गयी है। वित्तीय सहायता मांग और कार्य के आधार पर केवल उन्हीं खादी सहकारी संस्थाओं को दी जाती है जो कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रभावित की गयी है। पंजाब में केवल एक ही खादी सहकारी संस्था है जिसे हाल ही में प्रमाणित किया गया है।

हथकरघे के कपड़े का बिना बिका स्टाक

†१९८५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में हथकरघा वस्त्र का कितना बिना बिका स्टॉक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी जर्मनी को फिल्मों का निर्यात

†*१९८६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक पश्चिमी जर्मनी को कितनी फिल्में भेजी गयी हैं ; और

(ख) यह निर्यात १९५७ के निर्यात की तुलना में कैसा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). जनवरी-जून, १९५८ और जनवरी-जून, १९५७ में पश्चिमी जर्मनी को भेजी गयी फिल्मों का विवरण निम्नलिखित है :—

	१९५८ जनवरी-जून फुट	१९५७ जनवरी-जून फुट
स्टैंडर्ड ३५ मिलीमीटर . .	१५,०००	११,०००
सब-स्टैंडर्ड . .	१,०००	३१,०००

टिप्पण :—(१) व्यापार संबंधी आंकड़ों में फिल्मों का निर्यात फु टों में दिखाया जाता है, संख्या में नहीं ।

(२) जून १९५८ के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

आयरलैंड में राजदूतावास की इमारत

†१९८७. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयरलैंड में राजदूतावास की इमारत में फर्नीचर लगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) इस वित्तीय वर्ष में उस पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) ३१-८-१९५८ तक ९३१-१६-३ पौंड । इसके अतिरिक्त वह पुराना फर्नीचर भी लगभग जिसका पुस्त-मूल्य[1] पौंड १५३१-७-२ था और जो कि भारतीय उच्च उद्योग, लन्दन में फालतू हो गया था, पुस्त-विकलब[2] के अधीन डब्लिन के राजदूतावास में प्रयोग के लिये भेज दिया गया है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिये १९५८-५९ के चालू वित्तीय वर्ष के लिये ८०० पौंड की व्यवस्था की गयी है । जिसमें से ४७-२-४ पौंड की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Book Value.

[2]Book Debit.

हिन्द-चीन में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†१९८८. **श्री दिनेश सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मासों में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा कितनी शिकायतों और अनियमितताओं की ओर (१) वियत मिन्ह और (२) वियत नाम प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) उनमें से कितनों के संबंध में सन्तोषजनक कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) (१) ५; (२) १४६

(ख) अभी तक ९ मामलों का अन्तिम रूप से निपटा दिया गया है।

दवाइयों के लिये कच्ची सामग्री

†१९८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३० जून, १९५८ तक दवाइयों के निर्माण के लिये कितनी कीमत का कच्चा सामान आयात किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : आयात व्यापार सामग्री वर्गीकरण में दवाइयों के निर्माण के लिये कच्ची सामग्री का कोई अलग वर्ग नहीं रखा जाता, इसलिये १ जनवरी से ३० जून, १९५८ तक की अवधि में आयात की गयी सामग्री के संबंध में आकड़े नहीं दिये जा सकते। फिर भी यदि दवाइयों के लिये आयात की गयी आधारभूत कच्ची सामग्री के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हुये, तो उन्हें एकत्रित करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस संबंध में यह भी बता देना चाहते हैं कि जनवरी से जून, १९५८ तक दवाइयों के लिये लगभग ५३० लाख पयों के कच्चे सामान के आयात की मांग थी, अतः इस दृष्टि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त अवधि में लगभग ५३० लाख रुपयों के कच्चे सामान का आयात किया गया था।

फिल्म उद्योग के लिये सामग्री

†१९९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में फिल्म निर्माताओं को कितनी कीमत के कच्चे सामान की आवश्यकता होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि १९५८–५९ में फिल्म निर्माताओं को कितनी कीमत के कच्चे सामान की आवश्यकता होगी ।

हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प

†१९९१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पथ प्रदर्शन में किसी प्रकार के हस्तशिल्प का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितने व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है और उनकी प्रति व्यक्ति औसतन आय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सीधे नियंत्रण में किसी हस्तशिल्प उद्योग का विकास नहीं किया जा रहा है। हस्तशिल्प बोर्ड हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा बनाई गयी हस्तशिल्प योजनाओं की छानबीन करता है और उनको उसकी सिफारिशों पर स्वीकृत करता है।

(ख) अब तक जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है वे हस्तशिल्प के प्रशिक्षण से सम्बन्धित हैं, जिनसे सीधे ही व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता।

सरकारी बस्तियों में बाजार

१९९२. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारत सरकार द्वारा बनाई गई किन-किन बस्तियों में बाजार बनाने की योजना है ;

(ख) इन बाजारों में से प्रत्येक में कितनी दुकानें होंगी ; और

(ग) क्या सरकार इन बाजारों के प्लाट बेचेगी या स्वयं दुकानों का निर्माण करेगी ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). बस्तियों के नाम और प्रत्येक बस्ती में निर्माण की जाने वाली दुकानों की संख्या निम्नलिखित है :

बस्ती का नाम	दुकानों की संख्या
वेस्ट विनयनगर . . .	१२८
नार्थ आफ़ मेडीकल एनक्लेव . .	९८
क्लर्कों के क्वार्टर साउथ आफ़ विनय नगर .	२७
रिंग रोड, साउथ आफ विनय नगर . .	५०
साउथ आफ़ कृष्ण नगर (दक्षिण बस्ती) .	१२०
साउथ आफ़ कृष्ण नगर (मध्यस्थ बस्ती)	८२
हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी . .	११८
पिंजरापोल .	५८
ईस्ट विनय नगर	६६
योग	७४७

(ग) सरकार दुकानों का निर्माण आरम्भ करेगी।

प्रेस सहचारी[1]

†१९९३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विदेश स्थित मिशनों में प्रेस सहचारियों की संख्या क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

[1] Press Attaches.

(ख) उन लोगों की संख्या क्या है जो उस देश की भाषा जानते हैं जहां वे नियुक्त हैं ; और

(ख) विदेशों में स्थित प्रेस सहचारियों को उस देश की राष्ट्र-भाषा सीखने के लिये क्या पग उठाये गये हैं जहांकि वे नियुक्त हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). विदेश स्थित मिशनों में प्रचार अधिकारियों की तीन श्रेणियां हैं जन सम्पर्क अधिकारी, प्रेस सहचारी और सहायक प्रेस सहचारी। सारी श्रेणियों के कुल अधिकारियों की संख्या ५२ है, इनमें से २८ ऐसे हैं जोकि जिस देश में लगे हैं वहां की भाषा जानते हैं। बाकी भी सम्बद्ध भाषाओं का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं।

सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक प्रचार अधिकारी को एक विदेशी भाषा में निर्धारित परीक्षा पास करनी होती है। परीक्षा पास करने के बाद जो ट्यूशन फीस अधिकारी ने दी होती है वह उसे वापिस दे दी जाती है। जब कोई प्रचार अधिकारी किसी अतिरिक्त विदेशी भाषा में उच्चस्तरीय परीक्षा पास करता है तो उसे एक मुश्त राशि का पारितोषिक भी दिया जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्राविधिक अधिकारी

†**१९९४. श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९५८ को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के राजपत्रित और गैर-राजपत्रित प्राविधिक अधिकारी कितने थे जिनकी कि सेवा तीन वर्ष से ऊपर हो चुकी है ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको अर्ध-स्थायी बना दिया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]**

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†**१९९५. श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में ३१ जुलाई, १९५८ को विभिन्न विभागों में कितने असिस्टेंट और क्लर्क काम कर रहे थे ;

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने प्रतिनियुक्त हैं ;

(ग) उनमें हटाये गये लोगों (आउस्टीज़) की संख्या कितनी है ; और

(घ) उनमें अनुसूचित जाति वालों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :**

(क) सहायक	४३
क्लर्क .	२४१
(ख) कोई नहीं।	
(ग) सहायक	१
क्लर्क .	६५
(घ) कोई नहीं।	

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसचिवीय कर्मचारी

†१९९६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में इस समय काम कर रहे असिस्टेंटों और क्लर्कों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति वालों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :**

पद	मंत्रालय में काम करने वालों की संख्या	अनुसूचित जाति वालों की संख्या
असिस्टेंट	२२७	१३
अपर डिवीज़न क्लर्क	११५	२
लोअर डिवीज़न क्लर्क . .	४०९	१३
योग	७५१	२८

विदेशों में भारतीय व्यापारी

†१९९७. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सहयोग से गत पांच वर्षों में विदेशों में भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया है ; और

(ख) उससे किस सीमा तक भारतीय व्यापारियों को लाभ पहुँचा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) अन्य बातों के अतिरिक्त भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए निम्न पग उठाये हैं।

(१) २६ देशों से व्यापार करार/प्रबन्ध हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त १५ देशों से मित्रता, व्यापार और नौपरिवहन सम्बन्धी सन्धियां भी हो चुकी हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) समय समय पर व्यापार प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजे गये हैं ताकि भारतीय माल के लिए विदेशी मंडियों में स्थान बनाया जा सके। विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भी भारत में आमन्त्रित किया गया है ताकि वे यहां आकर देख सकें कि भारत उन्हें क्या माल दे सकता है।

(३) गत ५ वर्षों में १६ देशों में व्यापार कार्यालय खोले गये हैं ताकि हमारे व्यापारिक हितों की देख भाल की जा सके।

(४) समय समय पर विदेशों में प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन भी किया गया है।

(५) २९ देशों में प्रदर्शन कक्ष/व्यापार केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(६) १३ निर्यात संवर्धन समितियां निर्माण की गयी हैं ताकि विशेष प्रकार के माल के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये।

(७) समय समय पर निर्यात और आयात नीति बनाई गई है ताकि भारत से विदेशों को निर्यात में वृद्धि की जा सके।

(ख) ठीक अन्दाजा करना तो कठिन है, परन्तु विश्वास है कि सरकार के प्रयत्न काफी लाभदायक सिद्ध हुये हैं।

नाभिकीय परीक्षण

†१९९८. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि बहुत से देशों ने किन्हीं शर्तों पर नाभिकीय परीक्षण बन्द करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनकी शर्तें (देशवार) क्या हैं;

(ग) क्या किसी देश ने वास्तव में ये परीक्षण बन्द कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). अभी तक तीन देशों—अमेरिका, रूस और ब्रिटेन—ने नाभिकीय अस्त्रों का परीक्षण किया है। परीक्षण बन्द करने के सम्बन्ध में इन तीनों देशों के संगत बयान लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६९]**

†मूल अंग्रेज़ी में

औद्योगिक विकास

†१९९९. { **श्री रामी रेड्डी :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों पर कितनी राशि खर्च करने की व्यवस्था है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों पर कितना खर्च किये जाने की व्यवस्था है ;

(ग) इस खर्चे का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) वे उद्योग जिन पर भाग (क) और (ख) में उल्लिखित खर्च किये जाने की व्यवस्था है ; और

(ङ) यह उद्योग कहां स्थित है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) से (ङ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०]**

सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सरदार सम्पूर्ण सिंह के निधन का शोकपूर्ण समाचार देना है। आप की आयु ७२ वर्ष की थी। आप का १० सितम्बर, १९५८ को जालन्धर में देहांत हो गया है। आप सन् १९४५ में भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे ।

मैं विश्वास करता हूं कि यह सभा उनके परिवार को हम सब की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी। माननीय सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति शोक प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़े रहें।

(इसके पश्चात सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भाखड़ा व कद्दम बांधों की क्षत्ति के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) भाखड़ा बांध की मध्यवर्ती पानी की (स्पिलवे) दीवार को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९१४/५८]

(२) आंध्र प्रदेश में कद्दम बाध को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—९१५/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) जी० एस० आर० संख्या ७६४ दिनांक ६ सितम्बर, १९५८

(२) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७६५ दिनांक ६ सितम्बर, १९५८

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—९१६/५८]

नारियल जटा उद्योग (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना) नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७ दिनांक २२ फरवरी, १९५८ में प्रकाशित नारियल जटा उद्योग (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—९१२/५८]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्रों में संशोधन

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—९१३/५८]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि १ सितम्बर, १९५८ को लोक-सभा द्वारा पारित किये गये सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत व पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच ९ तथा १० सितम्बर, १९५८ को हुई बात चीत के परिणाम

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

"भारत व पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच ९ तथा १० सितम्बर, १९५८ को हुई बातचीत के परिणाम।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** अध्यक्ष महोदय, जैसा सभा को पता है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हमारे निमन्त्रण पर पिछले दिनों भारत आये। वह इस मास की ६ तारीख को आये थे और कल प्रातः वापस लौट गये हैं।

जब वह यहां रहे तो हम ने उनसे प्रमुख रूप से सीमा समस्याओं के बारे में बात चीत की। उनके यहां से जाने के समय इस बात चीत के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी किया गया है। जो कि आज प्रातः अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। यदि आप चाहें तो मैं उसकी एक प्रति सभा के पटल पर भी रख सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस वक्तव्य में यह बताया गया है कि पूर्वी सीमान्त संबंधी अनेक सीमा समस्याओं का हल हो गया है तथा उनके बारे में दोनों देशों में समझौता हो गया है। कुछ अन्य विषयों पर अभी बात चीत की जानी बाकी है तथा उनके संबंध में कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे लिये विभिन्न छोटे मोटे गांवों की विशिष्ट सीमा संबंधी समस्याओं को यहां समझा सकना तथा इस सभा के सदस्यों के लिये यहां बैठ कर इन्हें समझ सकना कहां तक सम्भव हो सकेगा। फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा।

पूर्वी सीमा पर पश्चिमी बंगाल तथा पाकिस्तान के बीच एक सीमा संबंधी विवाद मुर्शिदाबाद जिले तथा राजशाही जिले में था, जिसमें थाना नवाबगंज (पाकिस्तान) तथा शिवगंज थाना आते थे, जो विभाजन से पहले मालदा जिला था। इस विवाद को बागे पंचाट में विवाद संख्या १ कहा गया है।

विभाजन से कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा का निश्चय करने के लिये न्यायाधीश रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपना एक निर्णय दिया और उसे ज्यादातर माना भी गया। किन्तु उनके पंचाट के कुछ भागों के निर्वाचन के संबंध में कुछ मत भेद पैदा हो गया। इसलिये उसके कुछ समय बाद एक और न्यायाधीकरण नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश बागे थे और जिसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों के एक एक न्यायाधीश सम्मिलित थे।

बागे न्यायाधीकरण ने पूर्वी सीमा संबंधी कुछ झगड़ों पर विचार किया तथा उसने कुछ सिफारिशें या पंचाट भी दिये। इनमें से अधिकतर बातों को मान लिया गया है और उनके अनुसार काम भी किया गया है। किन्तु इसके बावजूद भी कुछ इलाकों के बारे में झगड़ा बदस्तूर बना रहा और दोनों ओर से अपने अपने दावों के समर्थन में परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत किये जाते रहे। ये झगड़े अब तक भी बने हुए थे। इस मौके पर हम ने इन्हीं झगड़ों के बारे में बात चीत की। इस मुलाकात में हमने बागे पंचाट संख्या १ के, जिस का कि मैंने अभी अभी जिक्र किया है, बारे में पूरा पूरा फैसला कर लिया है। इसके इलावा बागे पंचाट संख्या २ है। यह भी पश्चिमी बंगाल और पाकिस्तान के बीच झगड़े के बारे में है। इसका संबंध दोनों देशों के बीच उस सीमा से है जो गंगा नदी पर स्थित उस स्थान से शुरू हो कर, जहां से कि रेडक्लिफ एवार्ड के अनुसार मतगंगा नदी की नहर निकलती है, उत्तर

†मूल अंग्रेजी में

में उस स्थान पर खत्म होती है जहां कि यह नहर दौलतपुर और करीमपुर थानों के बीच की सीमा से मिलती है। इसका फैसला पहले हो चुका है। इसके बारे में यह तय हो चुका है कि इन प्रदेशों की १५ जनवरी तक अदला बदली कर ली जाये।

इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल और पाकिस्तान के बीच 'हीली' विवाद नामक एक और झगड़ा चल रहा था। पाकिस्तान ने इस बारे में अपने दावे को वापस ले लिया है। इसलिये अब यह इलाका भारत के पास ही रहेगा।

एक चौथा झगड़ा बेरुबारी यूनियन नं १२ के बारे में था। यह भी पश्चिमी बंगाल और पाकिस्तान के बीच था। यह निश्चय किया गया है कि इस मामले में विवादग्रस्त इलाके को पाकिस्तान तथा भारत के बीच आधा आधा बांट दिया जाये।

अगला झगड़ा कूच बिहार के कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों के बारे में था। यह इलाके पश्चिमी बंगाल की सीमा पर हैं। इनके बारे में यह तय हुआ है कि ये पश्चिमी बंगाल को दे दिये जाये।

अगला झगड़ा खुलना में चौबीस परगना और जैसोर में चौबीस परगना के बीच की सीमा के बारे में था। इस बारे में यह निश्चय हुआ है कि यह सीमा जहां तक सम्भव हो सके, दोनों प्रदेशों के मध्य में इच्छामती नदी के साथ साथ मानी जाये। ये झगड़े तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान में थे।

इसके बाद आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच झगड़े आते हैं। इनमें एक झगड़ा भोलागंज के बारे में था। पाकिस्तान ने इसमें अपने दावे को वापस ले लिया है।

इसके बाद पीयान और सुरमा नदियों का झगड़ा आता है। इसके बारे में यह तय हुआ कि पहले जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार इसकी सीमा निर्धारित कर दी जाये। इसलिये अभी हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि यह सीमा कहां पर होगी। किन्तु इस बारे में यह बात निश्चित हो गई है कि यह सीमा इस बात को ध्यान में रख कर निर्धारित की जायेगी कि दोनों देशों को इन नदियों में नौ-संचालन का पूरा पूरा अवसर मिल सके।

इसके बाद त्रिपुरा-पाकिस्तान सीमान्त झगड़ों का नम्बर आता है। इस सीमा के पास जहां पर से रेलवे लाइन गुजरती है कुछ छोटा सा इलाका था। हमने ये इलाकापाकिस्तान को देने का निश्चय किया है क्योंकि वह पाकिस्तान की रेलवे लाइन के अधिक समीप है।

त्रिपुरा का फेनी नदी के बारे में झगड़ा चल रहा था। इसका बाद में पृथक रूप से फैसला करने का निश्चय हुआ है। उसके लिये तरीका निश्चित किया जा रहा है।

एक चीज और है जो हमारे और पाकिस्तान दोनों के लिये कठिनाई का कारण बनी हुई थी। और यह कूच बिहार के कुछ क्षेत्र हैं। इस रियासत के कई छोटे-छोटे पृथक्-पृथक् इलाके थे। इनमें से कुछ इलाके पाकिस्तान को मिल गये थे और कुछ हिन्दुस्तान को। इस प्रकार विभाजन के बाद हमारे कुछ छोटे-छोटे ऐसे इलाके पाकिस्तान की सीमा में थे और उनके कुछ इलाके हमारे यहां थे और उनके इलाकों पर वे और अपने पर हम किसी प्रकार से प्रशासन नहीं कर सकते थे। इन इलाकों की स्थिति यह हो गयी थी कि यहां पर किसी का भी शासन नहीं था। इसलिये यह इलाके तस्कर व्यापारियों और अपराधियों के अड्डे बन गये। अब हमने यह निश्चय किया है कि पाकिस्तान की सीमा में जो इलाके हिन्दुस्तान के पास हैं तथा हिन्दुस्तान की सीमा में जो इलाके पाकिस्तान के पास हैं उन दोनों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की आपस में अदला बदली कर ली जाये। इस सारे विनिमय में किन्हीं जगहों हिन्दुस्तान को और किन्हीं जगहों पर पाकिस्तान को कुछ लाभ होगा। कुल मिला कर हिसाब लगभग बराबर रहेगा।

अब मैं उन समस्याओं को लेता हूं जिनके बारे में अभी कुछ निश्चय नहीं हो सका है। इनमें से एक समस्या पूर्वी क्षेत्र में पथारिया पहाड़ियों की सुरक्षित वन की समस्या है। हमारा यह दावा था कि यह जंगल हमारा है, लेकिन इसके बारे में कुछ झगड़ा है। अब हम ने यह तय किया है कि यह मामला आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान के वन संरक्षकों के सुपुर्द कर दिया जाय जो दोनों देशों के मुख्य सचिवों के साथ मिल कर अस्थायी रूप से एक ऐसी सीमा रेखा निर्धारित कर लें जिससे कि यहां पर किसी प्रकार का झगड़ा न पैदा हो। वास्तव में इस जंगल में कोई नहीं रहता है। यहां पर प्रायः इस लिये झगड़े पैदा हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे की सीमाओं में घुसकर जंगल के पेड़ों को काट कर ले जाते हैं। इन झगड़ों को कम करने के लिये ही हमने यह अस्थायी रेखा निर्धारित करने का निश्चय किया है।

इसके पश्चात आसाम व पूर्वी पाकिस्तान सीमा का एक बड़ा झगड़ा आता है। पथारिया के सुरक्षित वन की भांति यह झगड़ा भी बागे न्यायाधीकरण के समक्ष रखा गया था। यह झगड़ा कुशियारा नदी के बारे में है। बागे न्यायाधीकरण ने इस नदी के मार्ग के बारे में कुछ निर्णय दिये थे मगर हमारी राय में नकशों आदि की गड़बड़ के कारण कुछ मामलों में स्थिति साफ नहीं हो सकी, इसलिये यह झगड़ा बना रहा। इस क्षेत्र में ३० ग्राम हैं। ये इस समय हमारे कब्जे में हैं और दरअसल ये इलाके हमेशा हमारे पास रहे हैं। अभी इन का निश्चय करना बाकी है। वास्तव में पूर्वी सीमा के बारे में यही दो मुख्य झगड़े हैं जिनका अभी फैसला करना बाकी है।

पश्चिमी सीमा के बारे में जो मामले हैं वे यह हैं; वास्तव में हमने उनके बारे में कुछ तय नहीं किया। सुलेमान की और हुसैनी वाला के क्षेत्रों का मामला था। ये दोनों स्थान महरों के हेड वर्कस हैं। यहां पर कम या अधिक क्षेत्रफल का प्रश्न नहीं था। मगर इनका एक अपना ही महत्व है। इनके बारे में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पहले दोनों देशों के सचिव अपने अपने देशों के इंजिनियरों से बात चीत करके अपनी रिपोर्ट दें, यानी इस मामले पर पहले भारत के राष्ट्रमंडल सचिव तथा पाकिस्तान के विदेश सचिव विचार करेंगे।

इसके बाद एक झगड़ा लाहौर-अमृतसर सीमा पर सरजा मरजा आदि तीन छोटे छोटे गांवों के क्षेत्र के बारे में है। इसी तरह का एक और झगड़ा भी है जिस पर कि हमने कोई विचार नहीं किया है। इस प्रकार पंजाब में एक और छोटा सा चक लढेके का झगड़ा है। इसके उपरान्त कच्छ में छाउबेत के इलाके के बारे में भी एक झगड़ा है। पाकिस्तान ने दो तीन वर्ष पहले यह झगड़ा उठाया था। इस बारे में कुछ नहीं किया है क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें कोई झगड़ा नहीं है हमने उनको एक लम्बा पत्र लिखा था। उसका जवाब दो साल बाद अभी दस दिन हुए हमें मिला है। खैर, अभी यह झगड़ा चल रहा है और इस पर विचार करना बाकी है।

कुल मिला कर स्थिति यों है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे झगड़े जिन से दोनों देशों में मन-मूटाव पैदा हो रहा था अब हल हो गये हैं। यह बात दोनों देशों के लिये बड़े सन्तोष की बात है।

हमारा हमेशा से यह विचार रहा है और हम अब भी यही सोचते हैं कि जिन मामलों को हम आपस में बैठ कर हल नहीं कर सके हैं उनको किसी तीसरे निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिया जाये। उसका निर्णय दोनों को मान्य होना चाहिये, चाहे वह हमारे पक्ष में हो या हमारे विरुद्ध हो। मगर फिलहाल पाकिस्तान के प्रधान मंत्री एक विशेष मामले के बारे में इस सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं थे। हमारा जो वक्तव्य आज प्रकाशित हुआ है उसमें यह कहा गया है इन मामलों पर भविष्य में कभी चर्चा की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। इस समय हमने जिन छोटे मोटे इलाकों का तबादला करने का निश्चय किया है उनके बारे में हमने यह तय किया है कि इन इलाकों में आबादी की अदला बदली नहीं की जायेगी। जो लोग जहां रह रहे हैं वे वहीं रहें। हमारी लोगों को यही राय है कि उन्हें अपने इलाकों में ही बने रहना चाहिये। और उस देश को ही स्वीकार कर लेना चाहिये जिसके साथ कि उनका सम्बन्ध हो जाता है। मैं इस बात की कोई वजह नहीं समझता कि इन इलाकों में लोगों की अदला बदली करनी जरूरी है।

इसके अलावा हमने यह निश्चय भी किया है कि हम आपसी मतभेद को कम करने के लिये एक दूसरे से सम्पर्क बनाये रखें जिससे कि हम इन मामलों के हल का कोई तरीका निकाल सकें।

इस प्रकार मैं समझता हूं कुल मिलाकर हमारी यह मुलाकात काफी सन्तोषजनक रही है। मैं इस बातचीत के बाद जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति भी सभा-पटल पर रख रहा हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०–९१७/५८]**

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या इस दौरान में कैदियों की अदला बदली के लिये भी कोई बातचीत हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह समझता हूं कि ऐसे कैदियों की अदला बदली की जा चुकी है। मुझे इस विषय में ठीक ठीक पता नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह जानना चाहती थी कि क्या जिन लोगों को सीमा पर स्थित क्षेत्रों से पकड़ा गया था, उनको छोड़ दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान ने कैदियों की एक सूची दी है। हिन्दुस्तान ने भी ऐसी एक सूची दी है। ये दोनों सूचियां एक जैसी नहीं हैं। मगर जिन कैदियों के नाम दोनों सूचियों में दिये गये हैं उन्हें निश्चय ही रिहा किया जा चुका है। शेष के बारे में हम पता लगायेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय प्रधान मंत्री को पता है कि हम लोग २४ परगना की सीमा पर ५ या ६ महीने पहले पकड़े गये कुछ कैदियों के बारे में बातचीत चला रहे थे। मैं यह जानना चाहती हूं कि उनके बारे में क्या हुआ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इतने पहले पकड़े गये कैदियों के बारे में कोई सूचना नहीं है। फिर भी मैं मालूम करूंगा कि उनका क्या हुआ।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं......

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को पता है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के बारे में दिये गये वक्तव्य के बाद प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

†**श्री अ० च० गुह** : (बारसाट) : मैं तुकेरग्राम के बारे में जानना चाहता था। यह ग्राम पाकिस्तान के कब्जे में है। इसका क्या हुआ है ?

†**श्री न० रं० घोष** : (कूच बिहार) : बेरु बारी का आधा भाग पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इस भाग में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले १०,००० शरणार्थी बसे हुये हैं। उनका अब क्या होगा ? क्या पाकिस्तान को दिये जाने वाले क्षेत्रों के सिलसिले में इस प्रदेश को इधर रखने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद कूच बिहार के क्षेत्रों से है। यह ठीक है कि इनका क्षेत्रफल कोई ग्यारह मील है। हम जो क्षेत्र दे रहे हैं वे कुछ ज्यादा हैं लेकिन अन्य मामले ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान हमें अधिक क्षेत्र दे रहा है। इस प्रकार अदला बदली में कहीं उन्हें ज्यादा मिला है कहीं हमें। और हो भी क्या सकता है।

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि कम से कम दो घंटे के लिये इस विषय पर यहां डिबेट होनी चाहिये ताकि हम लोग अपने विचार प्रकट कर सकें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी समझ में नहीं आया कि क्या माननीय सदस्य इस वक्तव्य पर वाद-विवाद करना चाहते हैं ? यदि सभा कुछ स्पष्टीकरण चाहती है तो मैं तैयार हूं। किन्तु ऐसे विषय पर वाद-विवाद कैसे किया जा सकता है ? सरकार को दूसरे देशों से समझौते करने होते हैं और एक बार जो समझौता कर लिया जाता है उसका पालन करना जरूरी है। यदि मैंने इसमें कोई गलती की है तो आप मेरी आलोचना कर सकते हैं। किन्तु जो बात हमने तय की है मैं उसका पालन करना जरूरी समझता हूं। ऐसे विषय पर सभा में कैसे वाद-विवाद किया जा सकता है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे संविधान के अनुसार संसद् की स्वीकृति के बिना भारत के किसी भी भाग का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सब समझौतों को सभा की स्वीकृति के लिये यहां लाया जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है। जहां तक सीमा स्थित क्षेत्रों को व्यवस्थित करने का प्रश्न है, यह सब बातें रेडक्लिफ पंचाट या बागे पंचाट की व्याख्या के रूप में आ जाती है। मैं समझता हूं इसके लिये ऐसी कोई चीज की ज़रूरत नहीं। ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन जहां तक कूच बिहार के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उनको निर्दिष्ट करने की शायद आवश्यकता हो। मैं विधि मंत्री से इस प्रश्न की जांच करने के लिये कहूंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : ४ सितम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ का उत्तर देते हुये "कमीन" शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध राजस्व अभिलेखों से था। इससे कुछ लोगों ने बुरा माना है। मुझ से भी चूक हो गई; मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं। इस शब्द के स्थान पर "अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्य" शब्द प्रयुक्त समझे जाये।

तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर में शुद्धि

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: श्रीमान्, १९ अगस्त, १९५८ को श्री ही० ना० मुकर्जी और श्री हाल्दर द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजनाओं के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३२ से उत्पन्न एक अनुपूरक प्रश्न का प्रधान मंत्री ने जो उत्तर दिया था, मैं उसमें कुछ शुद्धि करना चाहती हूं।

भारतीय सांख्यकीय संस्था के सम्बन्ध में श्री हाल्दर के प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह एक स्वशासी निकाय है और इसके प्रबन्धक निकाय में कई वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी हैं।

सही स्थिति यह है कि भारतीय सांख्यकीय संस्था की गवेषणा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रबन्धक निकाय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व है। संस्था का वैसे कोई प्रबन्धक निकाय नहीं है।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह सूचना देता हूं कि आगामी सप्ताह में निम्न सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(१) वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ पर विचार तथा उसका पारित किया जाना।

(२) १९५८–५९ के आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(३) निम्न विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना :
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विधेयक।
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक।
उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक।

(४) (क) श्री राजेन्द्र सिंह के प्रस्ताव पर गन्दी बस्तियों के हटाये जाने वाली मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर १५ सितम्बर को ३ बजे चर्चा।

(ख) योजना मंत्री के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन एवं संभावनाओं के बारे में योजना आयोग के ज्ञापन पर १७ और १८ सितम्बर को चर्चा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तेल की खोज के बारे में वक्तव्य

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : सभा को विदित है कि हम ढाई वर्ष से तेल की खोज में लगे हुये हैं और यह काम हम कई स्थानों पर कर रहे हैं ; एक ही स्थान पर सारा प्रयत्न नहीं कर रहे। ज्वालामुखी में खुदाई हुई है और हाल ही में होशियारपुर में भी यह कार्य किया गया है । पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान में भी इन्डो-स्टैनवैक परियोजना के अनुसार तेल की खोज के लिये खुदाई का कार्य किया गया था । हाल में ही हमने खम्भात के क्षेत्र में भी खुदाई आरम्भ की थी ।

खम्भात में हमारी खुदाई उस गहराई तक पहुंच गई है जहां पर्याप्त तेल की मात्रा प्रतीत होती है। ३००० फीट की गहराई पर हमारे भारतीय विशेषज्ञों ने छोटा सा भूमिगत ढांचा तैयार किया था। वहां गैस के विद्यमान होने के प्रमाण मिले । अनुमान लगाया गया कि यहां तेल मिल सकता है, अतः निर्णय किया गया कि १०,००० फुट तक खुदाई की जाये ।

आवश्यक तैयारी के पश्चात्, २५ जुलाई, १९५८ को रूसी टर्बोड्रिल (बरमे) से खुदाई की गई और ५३६८ फीट की गहराई तक जाकर उसे ३ सितम्बर को बन्द कर दिया गया ताकि कुछ आवश्यक जानकारी नोट की जा सके । ४ सितम्बर प्रातः को देखा गया कि कीचड़ में तेल की मात्रा विद्यमान है जिसका रंग गहरा भूरा सा था । ८ तारीख को पुनः जब कीचड़ निकाला गया तब भी उसमें से तेल की धारा बही ।

अभी तक प्राप्त परिणामों के आधार पर यदि हमें एक दम आशा तो नहीं करनी चाहिये किन्तु तीन से १२ महीने के अनुसंधानों से हमें निश्चित रूप में ही पता लग जायेगा कि क्या वहां इतना तेल है जिसे हम वाणिज्यिक आधार पर निकाल सकते हैं। इस क्षेत्र में तेल के निकल आने से इसकी संभावनायें बढ़ गई हैं क्योंकि अब तक इस क्षेत्र की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था ।

हमारी यह इच्छा है कि इस क्षेत्र में खुदाई का काम तेज किया जाये। इस प्रकार थोड़ी गहराई में इतने थोड़े से व्यय ही पर तेल का मिल जाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस का श्रेय हमारे नययुवक भारतीय इंजीनियरों को है। हम रूसी तथा रूमानियन विशेषज्ञों के प्रति भी बड़े आभारी हैं ।

ज्वालामुखी में भी बहुत सी कठिनाइयों के पश्चात् हमें हाल ही में गैस का पता चल गया था। वहां भी कार्य चल रहा है ।

इन क्षेत्रों में जो भी प्रगति होगी उसके बारे में मैं सभा को शीघ्रातिशीघ्र बताऊंगा ।

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले

†मूल अंग्रेजी में

कार्यकाल की शेष अवधि में श्री रामेश्वर राव के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : श्रीमान् मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद): कल श्री नवल प्रभाकर ने बताया कि करोलबाग में १२,००० के मकान के लिये तीस हजार तक पगड़ी दी गई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यही चीज चांदनी चौक तथा कनाट प्लेस में चल रही है। इसमें पगड़ी रोकने के लिये भी कोई उपबन्ध होना चाहिये था। इसमें इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है।

दिल्ली में दो प्रकार के किरायेदार हैं एक तो मकान रिहायस के लिये लेने वाले दूसरे व्यापार इत्यादि के लिये लेने वाले। व्यापार आदि के लिये स्थान किराये पर लेने वालों की बेदखली भी उन्हीं आधारों पर होनी चाहिये जिन पर सब किरायेदारों की होती है। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इस पर ध्यान देगी।

पगड़ी तो सरकार तब तक बन्द नहीं कर सकती जब तक कि खाली मकानों का आवंटन सरकार स्वतः अपने हाथ में न ले ले।

†**श्री वें० प० नायर** : (क्विलोन) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है--अब गणपूर्ति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मूल चन्द दुबे** : हर रोज दिल्ली में २५० व्यक्ति आते हैं ताकि वे यहां बसें। इतने लोगों के लिये कैसे व्यवस्था हो सकेगी ? अतः मकान बनाने वालों को भी कोई उत्साह दिया जाना आवश्यक है। जो रियायतें विधेयक में मकान मालिकों को दी गई हैं वह काफी हैं।

किरायेदारों तथा मकान मालिकों के विवादों के निबटारे के लिये किराया नियंत्रकों की व्यवस्था भी उपयुक्त है।

मैं माननीय मंत्री से इस बात का स्पष्टीकरण भी चाहता हूं कि क्या इन विवादों में न्यायालय शुल्क भी देने पड़ेंगे या नहीं। विधेयक में तो इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि साधारण किराया देने वालों से न्यायालय शुल्क न लिया जाये।

मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक को और भी अधिक स्पष्ट बनायेगी।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यह प्रस्ताव दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये है। इसकी चर्चा के दौरान में जो बातें कही गई हैं या जो भी सुझाव दिये गये हैं, उन सभी पर संयुक्त समिति अवश्य ही विचार करेगी। और त्रुटियों को दूर करेगी। हालांकि यह मामला सिर्फ दिल्ली से ही ताल्लुक रखता है, फिर भी है काफ़ी महत्वपूर्ण। पुरानी दिल्ली के सभी और नई दिल्ली के कुछ निवासियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

मेरे सहयोगी ने इस विधेयक की ख़ास-ख़ास बातें आपके सामने रख ही दी हैं। और चूंकि यह प्रस्ताव इस संयुक्त समिति को सौंपने के लिये ही है, इसलिये इसके बारे में कोई बड़े लम्बे-चौड़े भाषण की ज़रूरत नहीं। मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच सम्बन्ध क्या हों, यह निश्चित करने का कोई भी आदर्श हल ढूंढ निकालना आसान नहीं है, फिर भी इस विधेयक में उसे काफ़ी सन्तोषजनक ढंग से हल करने का प्रयास किया गया है। सभा में इस विषय के बारे में बड़े ही विभिन्न, बल्कि एक दूसरे को काटने वाले, मत प्रकट किये गये हैं। यह स्वाभाविक ही है। सरकार इस मामले में जनता के कल्याण को ही सबसे अहम मान कर चली है। हम यह नहीं मानते मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच वास्तव में कोई वर्ग-संघर्ष चल रहा है। दूरदर्शिता तो यही बताती है कि दोनों ही के हित समान हैं और दोनों का कल्याण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस पूरी समस्या पर शान्त भाव से बिना किसी पक्षपात के विचार किया जाये। हमने इसी की कोशिश की है।

किराये के मकान में बने रहने की गारंटी और किरायों का उचित रहना—इस सम्बन्ध में यही दो सबसे बड़ी समस्यायें हैं। हमने इनको हल करने की कोशिश की है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने इस विधेयक में मकान मालिकों की तरफ़दारी की है। कुछ और दूसरे माननीय सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया है कि मकान मालिकों के हितों की ओर ठीक से ध्यान न दिया गया। बात असल में यह है कि हमने सभी के हितों की ओर उचित रूप से ध्यान दिया है, किसी भी एक के नहीं।

इस विधेयक में, १६५२ के अधिनियम के मुकाबले, किरायेदारी की अवधि को कहीं अधिक सुरक्षा दी गई है। माननीय सदस्यों ने शायद दोनों की तुलना नहीं की है। नये विधेयक में अप-दूषण के आधार पर की जा सकने वाली बेदखली की व्यवस्था करने वाले पुराने अधिनियम के खण्डों को शामिल नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विधेयक में कई परिमाण भी दिये गये हैं। पहले के अधिनियम के अन्तर्गत मकान मालिक अपने वैयक्तिक और अपने परिवार की जरूरत के लिये मकान खाली करवा सकता था, लेकिन अब केवल वैयक्तिक आवश्यकता के कारण ही ऐसा कर सकेगा।

इतना नहीं, यदि कोई मकान मालिक ऐसी आवश्यकता दिखा कर मकान खाली कराने के बाद तीन साल के अन्दर उसी मकान को फिर किराये पर देता है तो उसे मकान से निकाला तो जा ही सकता है साथ ही उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। मकान खाली कराने के लिये भी किरायेदार को छः महीने से कम का समय नहीं दिया जायेगा।

और, अगर किसी किरायेदार को मकान के दुरुपयोग के कारण निकालना हो, तो उसे पहले एक नोटिस दिया जायेगा कि वह उन शिकायतों को दूर कर दे। यदि किरायेदार शिकायतों को दूर कर देगा, तो उसे मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि यदि कोई मकान मालिक अपने किसी किरायेदार से इस बिना पर मकान खाली कराना चाहता है कि उसे मकान में कुछ मरम्मत करानी है या कुछ नया निर्माण करना है, तो मकान मालिक को नियंत्रक के सामने यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास आवश्यक संसाधन मौजूद हैं और लोकहित की दृष्टि से वह नया निर्माण जरूरी है।

अब किराये का सवाल लीजिये। पहले की व्यवस्था के अनुसार किरायेदार को किराये की बकाया राशि एक बार में ही अदा करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि किरायेदार दरखास्त दे कि किराया बहुत ज्यादा है तो नियंत्रक उसका नियमोचित किराया तय कर देगा और किरायेदार उसे किस्तों में अदा कर सकता है। एक व्यवस्था यह भी की गई है कि यदि मकान मालिक किराये की रसीद देने से इन्कार करे, तो वह राशि सीधी नियंत्रक के पास जमा की जा सकती है।

माननीय सदस्यों ने किसी भी खण्ड विशेष के बारे में कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया हैं। मैं मानता हूं कि इस विधेयक की व्यवस्थायें राष्ट्रीयकरण करने की दलीलों के सामने तो फीकी ही पड़ जायेंगी। लेकिन मकानों को जब्त करके, उनका राष्ट्रीयकरण करने की बात न तो किसी ने कही है और न संविधान उसकी अनुमति ही देता है। अभी उससे कोई फायदा भी नहीं है। हमें केवल सैद्धान्तिक नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। हम अभी मकानों का राष्ट्रीय-करण करने के लिये अरबों पये खर्च भी नहीं कर सकते।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मकानों के निर्माण के लिये ८४ करोड़ रुपये रखे गये हैं, जिसमें गन्दी बस्तियों इत्यादि पर किया जाने वाला व्यय भी शामिल रहेगा। राष्ट्रीयकरण करने पर तो इतनी राशि दिल्ली के एक ही मुहल्ले के लिये दे देनी पड़ेगी। इसलिये इस विधेयक में उसकी कोशिश भी नहीं की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य तो इतना भर है कि किरायेदारों को एक ऐसे ढंग से मदद पहुंचाई जाये जिससे आगे चल कर मकानों के निर्माण में भी कोई अड़चन न पड़े।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के निबटारे के लिये विहित प्रक्रिया की बड़ी आलोचना की है। उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि हमने यह विधेयक तैयार करने से पहले मकान मालिकों और किरायेदारों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर ली थी और उसके बाद ही मुख्य आयुक्त के सभापतित्व में दोनों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गई थी। उसमें कुछ बातें तय की गई थीं। उनमें से एक यह भी थी कि इस सिलसिले में उठने वाले मामलों को पहले की तरह व्यवहार न्यायालयों में न भेजा जाये, बल्कि उनके निबटारे

[पंडित गो० ब० पन्त]

के लिये पूरा समय देने वाले कुछ ऐसे अधिकारी रखे जायें जिन्हें न्यायपालिका का अनुभव हो। यह इसलिये कि न्यायालयों में इतना विलम्ब लगने से ही लोगों को सब से अधिक हानि होती थी।

उसमें यह भी तय हुआ था कि उस अधिकारी के निर्णय के बाद केवल एक ही अपील होनी चाहिये और वह भी केवल विधि सम्बन्धी बातों को लेकर। उस करार को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है। फिर पता नहीं माननीय सदस्य इसकी आलोचना कैसे करते हैं। इसमें तो दोनों ही पक्षों की बात रखी गई है।

दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधि इस बात पर भी एक मत थे कि किरायेदारों द्वारा किराये पर उठाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। किराये की बकाया राशि के बारे में इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है उससे भी दोनों ही पक्ष सहमत थे। दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधि कुल मिलाकर सात बातों में सहमत थे। हम उन्हें अन्य बातों पर सहमत करने में असमर्थ रहे और तभी हमने स्वयं सारी स्थिति का अध्ययन किया। उसके बाद ही यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

दिल्ली में करीब दो लाख निजी मकान हैं। लेकिन फिर भी किसी भी साल बेदखली के ५,००० से अधिक मामले नहीं हुये हैं। मैं एक मोटे तौर पर ही बता रहा हूं। दिल्ली में मकान खाली कराने के अधिक मामले नहीं उठे हैं। हमारी इच्छा तो यह है कि किसी भी किरायेदार को कभी भी बिना किसी उचित कारण के मकान खाली न करना पड़े। इसीलिये, हमने उनको इतने परिमाण दिये हैं। इस पर भी इसे किसी एक पक्ष का विधेयक बताना अनुचित है।

हम सभी को इस बुनियादी और अहम चीज को नहीं भूलना चाहिये कि दिल्ली की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली की आबादी १९११ में ४ लाख थी, लेकिन अब वह बढ़ कर २३ लाख हो गई है। दिल्ली की शहरी आबादी लगभग १८–१९ लाख है। यहां लगभग एक लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं हैं। और, सरकार के पास भी इसकी गुंजाइश नहीं है। उसके संसाधन सीमित हैं। इस क्षेत्र में सम्भरण और पूर्ति की खाई और भी चौड़ी हो गई है। सरकार के पास एक तो इतना धन नहीं है और दूसरे यह कि सरकार गन्दी बस्तियों को हटाने और उनके सुधार को प्राथमिकता दे रही है। इसलिये इस समस्या के हल के लिये, हमें दूसरे तरीके निकालने पड़ेंगे। सरकार इसके लिये ऋण भी देती है और राजकीय सहायता भी, लेकिन फिर भी उससे पूरा नहीं पड़ पाता।

माननीय सदस्य ऐसी परिस्थिति में भली भांति समझ सकते हैं कि हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। पहली तो यह कि मौजूदा मकानों की दशा ठीक रखी जाये, और इसके लिये जरूरी है कि मकान मालिकों को इतना किराया दिया जाये कि वे अपने मकानों की मरम्मत कराते रह सकें। सभी जानते हैं कि रुपये का मूल्य गिर गया है और निर्माण की लागत दो-चार गुनी बढ़ गई है। इसलिये यह जरूरी है कि मौजूदा मकानों की मरम्मत होती रहे। सवाल मकान मालिकों या किरायेदारों का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि समाज को मकानों की जरूरत है और इसलिये जितने भी मकान अभी हैं उनको ठीक दशा में रखा जाये।

१९५२ के अधिनियम के अनुसार, मकान के निर्माण और उसकी भूमि की पूंजी लागत का ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत ही किराये के रूप में निर्धारित होता था। यह गणना बड़ी छानबीन के बाद की गई थी और विभिन्न श्रेणियों के मकानों के निर्माण इत्यादि की जांच पड़ताल के बाद ही यह दर निर्धारित की गई थी।

माननीय सदस्य जानते हैं कि अब स्थिति बदल गई है। मरम्मत कराने के बाद मकान मालिक के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इसलिये यदि हम मौजूदा मकानों को ठीक दशा में रखना चाहते हैं, तो मकान मालिकों को उनकी मरम्मत के लिये उचित मुआवजा देना ही पड़ेगा। इस बीच में पये का मूल्य गिर गया है और मूल्यों में भी वृद्धि हो गई है, इसलिये मैं तो समझता हूं कि किराये में दस प्रतिशत वृद्धि कोई बहुत अधिक नहीं है। इस पर दलील दी जा सकती है कि किरायेदारों को सभी अन्य वस्तुओं के बढ़े हुये मूल्य भी तो अदा करने पड़ते हैं। लेकिन हम किरायेदारों से मकानों के पूरे बढ़े हुये मूल्यों का भार वहन करने को नहीं कह रहे हैं। उनको तो उस वृद्धि का ५ या १० प्रतिशत ही देना पड़ेगा। न तो सभी मकान मालिक अमीर हैं और न सभी मकान महल हैं। यदि मकान मालिकों को इतना नहीं मिलेगा कि वे अपने मकानों की दशा ठीक रख सकें, तो भी यह सामाजिक समस्या और उलझ जायेगी। ब्याज की दरें और संधारण की लागत भी बढ़ गई है। इसलिये किरायों की इस दस प्रतिशत वृद्धि से किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिये। मरम्मत के खर्च के अलावा, मकान मालिकों को मकान-कर भी अदा करना पड़ता है, जिसकी दर इस समय १० प्रतिशत है, लेकिन जिसे नगरपालिका निगम बढ़ा कर २० प्रतिशत कर सकती है। यदि निगम ने यह वृद्धि कर दी, तब तो किराये की वृद्धि का १० प्रतिशत पूरा ही मकान-कर की अदायगी में ही खप जायेगा।

इस बात से कौन इन्कार करेगा कि मकानों की कमी की इस समस्या का असल हल नये मकानों के अधिकाधिक निर्माण में ही है। सरकार ने कम तनखा वाले लोगों को मकान जुटाने की कोशिश की है। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक चौथी श्रेणी के लगभग ६० प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये जायेंगे।

लेकिन, मैं बता चुका हूं कि एक लाख परिवारों के लिये मकान चाहिये और हर महीने लगभग १,००० परिवार दिल्ली में बसने के लिये आते रहते हैं। इसलिये नये मकानों का निर्माण जारी रखना बहुत जरूरी है। १९५२ के अधिनियम के पारण के समय हमने व्यवस्था की थी कि जून १९५१ और जून १९५५ के बीच बनने वाले मकानों के मालिकों को सात साल तक मन चाहा मुनाफा लेने और किरायेदारों को रखने—निकालने की पूरी आजादी रहेगी।

लेकिन इस विधेयक में हमने उन पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। किराये पर सात साल तक तो कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद अन्य मकानों की भांति ही, यानी ७१/२+८१/४ प्रतिशत, के आधार पर उनका किराया भी निर्धारित कर दिया जायेगा। अन्य सभी बातों में वे मकान भी इसी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में रहेंगे।

१९५५ के बाद बनने वाले मकानों के लिये हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि मकान मालिक पांच साल तक उनके किराये के बारे में किरायेदारों से स्वयं करार कर सकते हैं। लेकिन पांच साल के बाद उनका किराया ८१/४ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा। अन्य बातों में वे भी इसी अधिनियम से शासित होंगे। मकान मालिकों को ही नहीं, उद्योगपतियों को भी हमने आय-कर इत्यादि के मामले में पांच साल की छूट दे रखी है जिससे कि उनको नये निर्माण की प्रेरणा मिलती रहे।

†**एक माननीय सदस्य** : और पगड़ी के बारे में ?

† मूल अंग्रेजी में।

†पंडित गो० ब० पन्त : उसके लिये हमने बड़ी सख्त व्यवस्था की है कि पगड़ी लेने वाले को दूनी राशि देनी पड़ेगी, और साथ ही उसे सजा भी हो सकती है।

†श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : लेकिन पांच साल में तो निर्माण की लागत वसूल नहीं हो पायेगी ?

†पंडित गो० ब० पन्त : ऐसा होता तो दिल्ली में १९५१ और १९५५ के बीच हजारों नये मकान बन गये होते। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इससे जनता का भला ही होगा। हजारों नये मकानों के किराये पांच साल तक तो ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसके बाद तो कम हो जायेंगे। और यदि अभी ही पांच साल तक मनमाने किराये की व्यवस्था न की जाये, तो नये मकानों का निर्माण ही नहीं होगा।

किरायेदारों द्वारा मकान किराये पर देने की प्रथा पर भी हमने कुछ नियंत्रण लगाये हैं। यह इसलिये कि कुछ किरायेदार तो अपने रखे हुये किरायेदारों से पूरे मकान के कुल किराये का दो-तीन गुना वसूल कर लेते हैं। मकान के सम्भरण और पूर्ति की स्थिति पहले ही काफी खराब है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रथा का प्रभाव यह पड़ेगा कि मकानों के सामान्य किराये और भी बढ़ जायेंगे। इससे आगे चलकर कठिनाई पैदा न होने देने की दृष्टि से ही यह नियंत्रण किया गया है। इसलिये, इस विधेयक की व्यवस्थायें नये मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन करने और मौजूदा मकानों की दशा ठीक बनाये रखने की दृष्टि से ही की गई हैं। यदि मकान मालिक मकान की मरम्मत खुद नहीं कराता, तो किरायेदार उस पर एक महीने तक का किराया खर्च कर सकता है। और बड़ी मरम्मत के लिये किरायेदारों को नियंत्रक से अनुमति लेनी चाहिये। ऐसी मरम्मत की लागत दो वर्ष के किराये के बराबर भी हो सकती है। दो वर्ष का किराया, नियंत्रक की अनुमति से, मरम्मत पर खर्च किया जा सकता है ; और उस बीच में सारे कर मकान मालिक ही अदा करेगा।

इसलिये इस विधेयक की सभी व्यवस्थायें जन कल्याण की दृष्टि से ही की गई हैं। आशा है कि सभा इसे सर्वसम्मति से पारित करेगी।

†श्री जाधव (मालेगांव) : खण्ड २० प्रयुक्त "सीमित काल" की कहीं भी कोई परिभाषा नहीं की गई है।

†पंडित गो० ब० पन्त : सीमित काल वह है जो असीमित नहीं है। वह छः माह भी हो सकता है और एक या दो वर्ष भी। उसके लिये अनुमति लेनी पड़ेगी।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य, अर्थात्, श्री राधारमण, चौ० ब्रह्मप्रकाश, श्री च० कृ० नायर, श्री नवल प्रभाकर, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री न० रं० घोष, श्री रामी रेड्डी, डा० सुब्बरायन्, श्री क० भे० मालवीय, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री बालमीकी, श्री उमराव सिंह, श्री कालिका सिंह, श्री नेसवी, श्री राने, श्री चन्द्र शंकर, श्री भोला राउत, श्री फ० गो० सेन, सरदार इकबाल सिंह, श्री बासप्पा, श्री दातार,

†मूल अंग्रेजी में

श्री वें० प० नायर, श्री परुलेकर, श्री खुशवक्त राय, श्री रामगरीब, श्री माने, श्री उ० ल० पाटिल, श्री सुबिमन घोष, श्री कुम्भार, इस सभा के हों और पन्द्रह सदस्य राज्य-सभा के हों,

कि समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा वाणिज्यक नौवहन विधेयक, १९५८ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेगी । इसके लिये कुल आठ घण्टे आवण्टित किये गये हैं अतः सामान्य चर्चा के लिये ५ घण्टे तथा शेष कार्यों के लिये ३ घण्टे का समय रखा जाता है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्यिक नौवहन सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

मूल प्रस्थापनाओं में संयुक्त समिति ने जो परिवर्तन किये हैं मैं उनका संक्षिप्त परीक्षण करूंगा। संयुक्त समिति से वापस आने पर अब विधेयक में काफी सुधार हो गया है और विधेयक की व्याप्ति भी बढ़ गयी है । स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हम अपने पोतों की राष्ट्रीय पंजी तैयार करा रहे हैं । हमारे पोत संसार के देशों को शान्ति, स्मृद्धि और सद्भावना का संदेश देंगे ।

भारतीय नौवहन अधिनियम को पारित करके हम अपने देश को सामुद्रिक देश बनाने का निश्चय कार्यान्वित कर रहे हैं । मैंने "सामुद्रिक देश" कहा है "सामुद्रिक शक्ति" नहीं । हमारा उद्देश्य यह नहीं होगा कि हम अपने देश की सीमा के बाहर किसी देश पर अपनी शक्ति का असर डालें। हमारे पोत हमारा सामान ढोयेंगें और संसार के सभी भागों से आयात और निर्यात करेंगे । हम संसार के प्रत्येक देश के साथ मित्रता तथा सद्भावना का सम्बन्ध रखना चाहते हैं इसी कारण हम अपने देश को एक महान सामुद्रिक देश, सामुद्रिक शक्ति नहीं, बनाना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

१४ फरवरी, १६५८ को जब यह विधेयक पुरस्थापित किया गया था तो इसका उद्देश्य था कि वाणिज्यिक नौवहन सम्बन्धी विधियों को संशोधित व समेकित किया जाये। संयुक्त समिति से वापस आने पर अब विधेयक की दो मुख्य विशेषतायें हैं; सामुद्रिक व्यापार की समृद्धि तथा विकास। विधेयक के पूरे नाम में उसके भावात्मक उद्देश्य तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से भारतीय वाणिज्यिक पोतों का विकास तथा उनकी देखभाल करने के लिये वाणिज्यिक नौवहन सम्बन्धी विधि को संशोधित करना और उनको समेकित करना।

विकास सम्बन्धी पहलू की मुख्य बातें ये हैं कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड तथा नौवहन विकास विधि की स्थापना की जायेगी। नौवहन से सम्बद्ध लोगों की मांग सदा से रही है कि देश की नौवहन नीति पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधितात्मक होनी चाहिये। इसी मांग को पूर्ण करने के लिये हमने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध रखा है। इस बोर्ड का कार्य परामर्श देना तथा भारतीय नौवहन सम्बन्धी सभी मामलों की देखभाल करना होगा। चूंकि इस बोर्ड का काम परामर्श देना होगा अतः इसका यह अर्थ नहीं है कि देश की नौवहन नीति में यह एक प्रभावशाली योग नहीं देगा। बोर्ड का गठन ही ऐसा रखा गया है—इसमें २१ सदस्य होंगे जिनमें ५ संसद्-सदस्य होंगे कि इसकी राय को काफी सम्मान के साथ स्वीकार किया जायेगा।

यह भी उपबन्ध किया गया है कि इस बोर्ड में पोतों के स्वामियों तथा नाविकों के समान प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड के एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार उसका सभापति नियुक्त करेगी। सरकार चाहती है कि पराम्परानुसार इस बोर्ड का सभापति एक गैर-सरकारी व्यक्ति हुआ करे।

संविधि आधार पर नौवहन विकास निधि स्थापित करने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है वह विधेयक की एक अन्य विशेषता है। अभी हाल में सरकार ने इस संस्था को एक अस्थायी आधार पर निर्मित करने का निश्चय किया है क्योंकि इसे संविहित संस्था बनाने में कुछ वैधानिक कठिनाइयां थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उपबन्ध था उसको इस्तेमाल कर लिया गया है पर चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं अतः स्पष्ट है कि योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिये और अधिक धन देना पड़ेगा। इसीलिये एक निधि की स्थापना की गयी है कि इससे नौवहन के विकास के लिये कुछ वित्त लगातार उपलब्ध होता रहेगा। पहले दिये गये ऋणों को जो राशियां वापस मिलेंगी और उन पर जो ब्याज मिलेगा उसी से इस निधि को चलाया जायेगा। आशा है कि भारत की संचित निधि में से भी इस निधि को कुछ वार्षिक अंशदान मिला करेगा। इस उपबन्ध को विधेयक में सम्मिलित करके इस निधि को संविहित आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। यह संस्था पोतों की मरम्मत व देखभाल के लिये नौवहन समवायों को ऋण तथा वित्तीय सहायता देगी और इस कार्य का संचालन एक छोटी सी समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लेखे समय-समय पर संसद् के सामने उपस्थित किये जायेंगे।

भारतीय पोत की परिभाषा इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता है। इस विषय पर बड़ी उपयोगी तथा रचनात्मक आलोचना की गयी। संयुक्त समिति के माननीय सदस्यों ने जितने सुन्दर ढंग से सुझाव दिये तथा मार्ग दर्शन किया मैं उसके लिये उनका आभारी हूं। संयुक्त समिति में हुये विचार विनिमय के बाद मूल निश्चिय को बदल देने का निर्णय किया गया है और अब केवल भारतीय राष्ट्रजनों और भारतीय समवायों को ही, जो कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे, भविष्य में भारतीय पोत रखने का अधिकार होगा। ये शर्तें मुख्य रूप से ५ हैं:—

समवाय की अंशपूंजी का ७५ प्रति शत से अन्यून भाग भारत के नागरिकों के पास हो; समवाय के ³/₄ से अन्यून निदेशक भारतीय राष्ट्रजन हों; निदेशक बोर्ड का सभापति और प्रबन्धक निदेशक भारत का नागरिक हो; समवाय का प्रबन्ध अभिकर्त्ता, यदि कोई हो तो, भारतीय राष्ट्रजन हो; और समवाय के व्यापार का मुख्य स्थान भारत हो। विमति टिप्पणों को यदि आप देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि संयुक्त समिति के कुछ सदस्य इस पक्ष में थे कि विदेशियों को २५ प्रति शत से अधिक भाग लेने का अधिकार दिया जाये। कुछ लोगों का मत था कि विदेशियों को बिल्कुल भाग लेने की कोई छूट न दी जाय। संयुक्त समिति ने जो अन्तिम निर्णय किया है वह बहुत व्यवहारिक तथा समुचित है क्योंकि इससे विदेशियों को सीमित क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार भी मिलेगा और साथ ही भारतीय पोतों पर मुख्यतया भारतीय लोगों का ही नियंत्रण होगा। यह निर्णय सरकार द्वारा १९४७ में घोषित की गयी नीति के अनुसार ही है।

जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि विदेशियों को अधिक भाग लेने का अवसर दिया जाये उनके सामने स्थिति स्पष्ट करने के लिये मुझे कुछ बताना है। यदि विदेशियों को अधिक भाग लेने की अनुमति देने से भारतीय नौवहन का हित हो तो मैं उन माननीय सदस्यों की बात मानने को तैयार हूं। पर प्रश्न यह है कि क्या यह समझदारी का कदम होगा? लोगों की धारणा है कि विदेशियों को पर्याप्त भाग लेने को छूट दिये बिना हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अर्थात् ९००,००० जी० आर० टी० का लक्ष्य, पूरा नहीं हो पायेगा। इस सम्बन्ध में हमें अनेक महत्व-पूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिये। नौवहन के लक्ष्य को कई प्रकार से पूरा किया जा सकता है। पहला उपाय, यदि हमें पर्याप्त आन्तरिक संसाधन तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिल जाती है तो हमें लक्ष्य को पूरा करने के लिये किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; दूसरा उपाय, अन्तर्राष्ट्रीय ऋण द्वारा विदेशी ऋण प्राप्त करके और तीसरा उपाय, विदेशियों को अधिक भाग लेने की छूट देकर।

इसमें अन्तिम उपाय बहुत खतरनाक है। नौवहन की बात अन्य औद्योगिक उपक्रमों की सी नहीं है जिसमें विदेशियों को अधिक भाग लेने की छूट देने से कोई खतरे की बात न हो। नौवहन राष्ट्र का प्राण है। आपात काल में देश की प्रतिरक्षा के लिये सेना के बाद इसी का महत्व है। हमारे नौवहन में किसी विदेशी तत्व का होना भविष्य में हमारे लिये बहुत कठिनाई की बात हो सकती है। अतः सरकार ने इस खतरे को दूर करने के लिये यह निश्चय किया है कि विदेशियों को केवल २५ प्रति शत भाग लेने की छूट होगी। इस २५ प्रति शत से भी हमें क्या होगा यह बात संदेहात्मक है क्योंकि गत १० वर्षों में इसका कोई उपयोग नहीं हो सका है। विदेशियों को २५ प्रति शत की सुविधा १९४७ से प्राप्त है पर इस अवधि में किसी ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

सब को पता है कि इस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है अतः हम ९००,००० जी० आर० टी० का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। हमारे सामने यही रास्ता है कि हम समुचित दर पर और परस्पर तय होने वाली शर्तों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लें। हमें ऐसे ऋण मिल रहे हैं और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिये उन्हें लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। गत दो वर्षों में लगातार हमने अपने जहाजी बेड़े का टन भार बढ़ाया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें १६०,००० जी० आर० टी० बढ़ाना है। वास्तव में यह आवश्यकता केवल १२०,००० जी० आर० टी० की है पर हम ४०,००० जी० आर० टी० और बढ़ा रहे हैं क्योंकि उस समय तक कुछ पोत पुराने हो कर बेकार हो जायेंगे। अतः १६०,००० जी० आर० टी० की कमी हमें पूरी करनी है। ध्यान रहे कि लक्ष्य को पूरा करने के लिये हम विदेशियों को बहुत अधिक भाग लेने की छूट नहीं दे

[श्री स० का० पाटिल]

सकते । मुझे विश्वास है कि हमने जो व्यवस्था की है उससे हम केवल अपना लक्ष्य ही पूरा नहीं कर पायेंगे बल्कि लक्ष्य से आगे बढ़ जायेंगे ।

इस विधेयक में और भी कुछ सुधार हुये हैं । नाविकों को सहायता देने सम्बन्धी संशोधनों पर ध्यान दिया गया है । नाविकों पर किये गये जुर्माने से जो राजस्व इकट्ठा होगा उसे नाविकों के कल्याण के लिये खर्च किया जायेगा । मैं सभा के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जिनसे विधेयक पर विचार करने में सहायता मिलेगी ।

इस समय कार्य करने वाले भारतीय पोतों का कुल टन भार ६२१,०६० जी० आर० टी० है । पोतों की संख्या १३६ है । तटीय व्यापार में ८४ पोत हैं और समुद्र पार के व्यापार में ५५ पोत हैं । समुद्र पार व्यापार से हमारा राजस्व अर्थात् विदेशी मुद्रा, हर साल लगातार बढ़ रहा है अर्थात् १९५६–५७ में हमने विदेशी मुद्रा १७.८८ करोड़ की कमाई । मार्च, १९६१ अर्थात् द्वितीय योजना के अन्त तक हमें, ९००,००० जी० आर० टी० का लक्ष्य पूरा करना है । द्वितीय योजना काल में ३००,००० जी० आर० टी० की कमी को पूरा करने के लिये हमने गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में पोतों के मंगाने के आदेश दिये हैं जिनके आने पर १२०,००० जी० आर० टी० की कमी रह जायेगी । इसमें हमने ४०,००० जी० आर० टी० और जोड़ दिया है क्योंकि तब तक कुछ पोत पुराने हो कर बेकार हो जायेंगे । अतः हमारे सामने समस्या यह है कि आगामी २ वर्षों में हम १६०,००० जी० आर० टी ० का प्रबन्ध करें ताकि हमारा ९००,००० जी० आर० टी० का उद्देश्य पूरा हो जाये । ३७ करोड़ की आर्थिक व्यवस्था की गयी थी––१७ करोड़ गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये और २० करोड़ सरकारी क्षेत्र के लिये । यह सारा उपबन्ध पूरा हो गया है । गैर-सरकारी क्षेत्र के समवायों को १४ करोड़ रु० का ऋण भी दिया जा चुका है ।

नौवहन में प्रस्थानकारी जलपोतों का भी बहुत महत्व है । इनकी संख्या १५०० है । लगभग २०० जलपोत समुद्रपार के व्यापार में लगे हैं । उन्होंने लगभग २० लाख टन सामान ढोया है । जलपोतों के यंत्रीकरण के लिये द्वितीय योजना में ४० लाख का उपबन्ध है ।

यह ४६१ खण्डों का एक बड़ा विधान है । लभगभग २०० संशोधन भी आये हैं । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इसमें इतनी रुचि ली है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार को भी इस सम्बन्ध में चिन्ता है । ९००,००० जी० आर० टी० के लक्ष्य से मैं संतुष्ट नहीं हूं । ४००० मील लम्बे समुद्रतट वाले देश के लिये इससे बहुत अधिक पोतों की आवश्यकता है । अतः हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हम अपने लक्ष्य से भी आगे निकल जायें । कभी कभी तो मैं यह भी कल्पना करता हूं कि हमारा नौवहन २०$^{1}/_{2}$ लाख टन की शक्ति का हो जाये । इतना होने से हमारा देश एक समृद्ध सामुद्रिक व्यापारी देश हो जायेगा और यही हमारा लक्ष्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें देखना है कि हम किन साधनों को काम में ला सकते हैं । संयुक्त समिति से वापस आने के बाद इस विधेयक पर हमें गर्व होना चाहिये यह हमारे देश के लिये सामुद्रिक व्यापार की पक्की व सच्ची नींव है और आगामी १० या १५ वर्षों में हमारे स्वप्न साकार हो जायेंगे ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विचार प्रस्ताव पर दो संशोधन प्राप्त हुये हैं। एक श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का है और दूसरा श्री उ० च० पटनायक का है। श्री पटनायक उपस्थित नहीं हैं अतः उनका संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने के लिये उसे पुनः उसी संयुक्त समिति को सौंपा जाये और उससे लोक-सभा के अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रतिवेदन उपस्थापित करने को कहा जाये।

विधेयक को पारित करने में मैं दिलम्ब नहीं करना चाहता पर संयुक्त समिति से वापस आने के बाद विधेयक ऐसे स्वरूप में है कि संयुक्त समिति ने विधेयक की सारी योजना ही बदल दी है। संयुक्त समिति से आने के बाद विधेयक में दो मुख्य परिवर्तन हुये हैं—एक राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड और दूसरा राष्ट्रीय नौवहन विकास निधि समिति की स्थापना। आप विधेयक के भाग ३ को देखें तो आप को पता लगेगा कि वाणिज्यक नौवहन का सारा प्रशासन एक पदाधिकारी के हाथों में सौंपा जा रहा है। वह पदाधिकारी नौवहन का महानिदेशक होगा। जब राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड बनाया जा रहा है तो ये सब अधिकार किसी एक पदाधिकारी को न दिये जाकर बोर्ड को दिये जाने चाहिएं। पर माननीय मंत्री ने बताया कि इस बोर्ड का कार्य केवल राय देना होगा। यद्यपि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बोर्ड में संसद् सदस्य तथा नौवहन संबंधी हितों के प्रतिनिधि होंगे अतः इसका परामर्श को काफी महत्व दिया जायेगा पर मैं कहूंगा कि ऐसा करके सरकार ने इस सभा तथा वाणिज्यिक नौवहन के साथ न्याय नहीं किया है।

जैसा कि मैं बता चुका हूं प्रशासन का सारा कार्य नौवहन के महानिदेशक के हाथ में दिया जा रहा है। एक पदाधिकारी को इतने सारे अधिकार देना कहां तक उचित है मैं नहीं समझता। रेलवे प्रशासन को देखिए। वहां भी प्रशासन का भार प्रविधिक पदाधिकारियों की एक समिति के हाथों में है। मैंने सुना है कि डाक विभाग में भी ऐसी ही एक समिति बनाने का विचार किया जा रहा है। फिर नौवहन के मामले में ऐसा तानाशाही प्रबन्ध क्यों किया जा रहा है। अमरीका के वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम १६३६ को देखिए। उनके यहां भी एक सामुद्रिक व्यापार आयोग को सम्पूर्ण अधिकार सौंपे गये थे। वैसे जब राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना की गयी है तो बाहर से ऐसा ही लगता है कि विकास संबंधी सारे अधिकार उसे ही प्राप्त होंगे पर वस्तुतः उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः नौवहन के महानिदेशक को जो अधिकार दिये गये हैं वह राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को दिये जाने चाहिएं थे।

खण्ड १६ को देखिये। नौवहन विकास निधि के संचालन के लिए एक समिति बनाई गयी है। इसका काम तो लेखे रखना है। नाम इसका इतना बड़ा है पर काम यह हिसाब रखने का करेगी। अतः मेरा विचार है कि संयुक्त समिति इस विधेयक पर फिर विचार करे और ऐसी व्यवस्था करे कि इस बोर्ड तथा इस समिति को नौवहन के प्रशासन का सारा अधिकार दिया जाये।

इस के अतिरिक्त विधेयक की प्रस्तावना में वाणिज्यिक नौवहन के विकास की महत्ता को तो स्वीकार किया गया है पर उस में नौवहन विकास संबंधी हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की परिभाषा नहीं दी गयी है। यह खेद का विषय है। माननीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक हमारे नौवहन विकास का वाहन होगा। ठीक है पर इसका उल्लेख तो होना चाहिए था। नौवहन विधेयक पर विचार करते समय हमारे सामने हमारे नौवहन के उज्जवल भूत तथा भविष्य का स्वरूप आ जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

सरदार पटेल ने कहा था वाणिज्यिक नौवहन हमारे भारत जैसे देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी होगा। पर न तो विधेयक के नाम में और न विधेयक में कहीं भी इस उद्देश्य का उल्लेख नहीं है।

इस विधेयक को सरकार ने प्रस्तुत किया इस के लिए हम उसे बधाई देते हैं। पर सरकार ने जितना प्रगतिशील कदम उठाया है उस से अधिक प्रगतिशील कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह मेरी बातों पर बिचार करें और इस विधेयक द्वारा नौवहन के प्रशासन के लिये सरकार जो अधिकार ले रही हैं वह राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड तथा राष्ट्रीय नौवहन विकास समिति को दिये जायें न कि नौवहन के महानिदेशक को। इस नौवहन संस्था को वास्तविक अधिकारों वाली वास्तविक संस्था बनाने का अवसर दें ताकि नौवहन के विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

अब प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, पाटिल साहब ने जिन सुन्दर शब्दों में इस बिल को यहां उपस्थित किया है उसके लिये उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनके विचारों से हम बहुत अधिक सहमत नहीं हैं।

जहां तक पारटिसिपेशन का सम्बन्ध है जो परसेंटेज इस बिल में रखा गया है उसको हम उचित नहीं समझते। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिये। इस पारटिसिपेशन के प्रिंसिपल को आज नहीं बल्कि सन् १९२३ में ही हिन्दुस्तान ने स्वीकार किया था। पहले पहल सन् १९२३ में सेंट्रल असेम्बली में श्री शिवस्वामी अय्यर ने शिपिंग के प्रश्न को हिन्दुस्तान और उसके प्रतिनिधियों के सम्मुख रखा था। उस समय एक कमेटी बनी थी जिसमें सर लालूभाई सामलदास जी भी थे जो कि सिंधिया के फाउंडर और चेयरमैन थे। आज जो हमारे अमरीका में एम्बैसेडर हैं मेहता साहब, उनके पिता थे। उन्होंने जो डेफीनीशन दी थी इंडियन शिपिंग की और जो रिकमेंडेशन की थी वह इस प्रकार थी :

> "कि यह भारत में पंजीबद्ध हो, इसके स्वामी तथा प्रबन्धक कोई भारतीय हों। अथवा ऐसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनी हो जिसमें पूंजी रुपये की मुद्रा में हो, तथा जो भारत में पंजीबद्ध हो और जिसके निदेशक अधिकांशतः भारतीय हों तथा जिसके अधिकांश अंश भारतीयों ने ले रखे हों।"

तो जो सिंधिया के पहले चेयरमैन थे और जो कि सिंधिया के फाउंडर थे उन्होंने इस प्रिंसिपल को स्वीकार किया था कि फारिन पारटिसिपेशन होना चाहिये और अगर मैजारिटी इंडियन शेयर्स की हो तो उसको मान लेना चाहिये।

उसके पश्चात् आप देखेंगे कि सन् १९४५ में एक कमेटी कायम हुई। यह शिपिंग की पालिसी के रिकंस्ट्रक्शन (पुनर्गठन) के सम्बन्ध में थी। इस कमेटी में जो महानुभाव थे उनमें एक मास्टर साहब भी थे जो सिंधिया के थे और दूसरे साहब जो कि इंडियन शिपिंग से सम्बन्धित थे वह श्री अबदुल हलीम गजनवी साहब थे। हिन्दुस्तान में दो ही बड़ी कम्पनियां हैं जिनके हाथ में मैजारिटी आफ शेयर्स हैं। सिंधिया और स्टीम नेवीगेशन कम्पनी। अबदुल हलीम गजनवी साहब

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के फाउन्डर थे जिसके सर रामस्वामी मुदालियर चेयरमैन हैं। यह वह कमेटी थी जिसका आज पाटिल साहब ने १९४७ कमेटी कह कर हवाला दिया है। उस कमेटी ने यह कहा है :

> "भारतीय जहाज़ों' का अर्थ होना चाहिये कि भारत के राष्ट्रजनों के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबन्ध में हों।"

इस कमेटी में दो सज्जन थे जिन्होंने डिस्सेंटिंग नोट (विमति टिप्पण) लिखे थे । उनमें एक सज्जन तो अंग्रेज थे रेडक्लिफ साहब, उन्होंने लिखा था कि अगर मेरी कम्पनी को इस डेफीनीशन से छोड़ दिया जाये तो मैं सेटिसफाइड हूं, और दूसरे सज्जन थे श्री अबदुल हलीम गजनवी साहब। इस कमेटी ने यह निर्णय किया था कि सेंट पर सेंट इंडियन होना चाहिये, १ पर सेंट शेयर भी किसी दूसरे के नहीं होने चाहियें, यानी पूरा इंडियन रहे और किसी दूसरे को एक शेयर भी न जाने पाये। जो सिंधिया के फाउंडर थे उनकी राय थी कि मैजारिटी आव शेयर्स इंडियन होनी चाहिये। गजनवी साहब ने डिस्सेंटिंग नोट लिखा। उन्होंने इंडियन शिपिंग के लिये बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने कहा

> "यद्यपि २५ वर्ष बीत चुके हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि यह परिभाषा अब ठीक नहीं है।"

इस प्रकार से एक समवाय के प्रवर्तक तथा दूसरी समवाय के संस्थापक दोनों की एक राय थी। दोनों की एक ओपीनियन थी कि फारिन पारटिसिपेशन होना चाहिये लेकिन आज जो हिन्दुस्तान की कम्पनियां हैं आज वह जान लड़ा रही हैं कि कोई फारिन पारटिसिपेशन नहीं होना चाहिये। इस के पश्चात् जब गवर्नमेंट के सामने यह रिपोर्ट आई, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सेन्ट पर सेंट इंडियन कैसे हो सकता है, जब दूसरी इंडस्ट्रीज़ में हम फ़ारेन पार्टिसिपेशन को स्वीकार करते हैं, तो फिर इस में क्यों न स्वीकार करें। १२ जुलाई, १९४७ की रिपोर्ट, जिस का हवाला दिया जाता है, की डेफ़िनीशन को गवर्नमेंट ने नहीं माना। गवर्नमेंट ने यह माना कि कम से कम ७५ प्रतिशत अंश भारतीयों के होने चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें। अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो कि १० सितम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो कि १० सितम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा भारतीय युवकों की राष्ट्रीय परिषद् बनाने के सम्बन्ध श्री पाणिग्रही द्वारा ३० अगस्त, १९५८ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा करेगी । माननीय मंत्री ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : माननीय सदस्य ने ऐसी संस्था बनाने के लिये जो संकल्प रखा है उसमें दो बातें मुख्य हैं । प्रथम भारतीय युवकों की राष्ट्रीय परिषद् और दूसरी केन्द्रीय युवक कल्याण परिषद् । अच्छा तो यही होगा कि सभी राजनीतिक विचार-धाराओं के लोगों को युवकों के पथ प्रदर्शन के लिये इस केन्द्रीय संस्था में एकत्रित किया जाये, दूसरा यह कि एक केन्द्रीय संस्था होनी चाहिये । दोनों ही अवस्थाओं में मैं इस दृष्टिकोण को गलत समझता हूं । मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे । विभिन्न राजनैतिक दलों और विचारधाराओं को मानने वाले एक स्थान पर बैठ कर युवकों का पथ प्रदर्शन करें, क्या यह सम्भव हो सकता है ? क्या इस प्रकार की संस्था किसी निश्चित मत पर पहुंच कर कोई कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है । दूसरे जब हम इस प्रकार की केन्द्रीय संस्था का निर्माण करेंगे, तो युवकों में और अधिक फूट पड़ने का खतरा रहेगा । हम भी देश के युवकों के मामले पर गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचना चाहते हैं, और उनके पथ प्रदर्शन के लिये अपनी गतिविधियों का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि देश के युवकों को संगठित करने की बड़ी आवश्यकता है । इसी से तो राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय पुन-निर्माण का कार्य चलेगा । यह भी सच है कि अभी तक युवकों की शक्ति का उपभोग रचनात्मक कार्यों के लिये नहीं लिया जा सका है । हमने अभी तक इनकी क्षमता का अनुभव नहीं किया है । इन कारणों से, कि प्रथम तो हमारा दृष्टिकोण गैर-राजनीतिक है और दूसरा यह कि हम युवकों के पथ प्रदर्शन के लिये अपनी गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, मुझे यह संकल्प स्वीकार नहीं है ।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही को पूरी जानकारी नहीं है । क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । सरकार ने भी देश के युवकों के विकास के लिये कोई निश्चित कदम नहीं उठाया । वह यह तो कह सकते हैं कि समुचित पग नहीं उठाये गये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं है ।

अपने थोड़े से समय में मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि इस दिशा में हमने कौन से विभिन्न कदम उठाये हैं । उसे देखने पर स्वयं माननीय सदस्य ही यह कहेंगे कि सचमुच इस दिशा में निश्चित कार्यवाही हो चुकी है । हमने युवक नेतृत्व और नाट्य शिविरों के लिये अनुदान दिये ताकि शिक्षकों को युवक कल्याण कार्य के लिये प्रशिक्षित किया जा सके । विश्वविद्यालयों को छुट्टियों में छात्रों के शिविर संगठित करने के लिये सहायता दी गयी । स्कूल और कालिजों को सहायता दी गयी

†मूल अंग्रेजी में

ताकि वे देश में भ्रमण करने वाले छात्रों के दिलों का संगठन कर सकें और छात्रों की कलात्मक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जा सके। सभा को यह भी पता है कि हम प्रत्येक वर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का भी आयोजन करते हैं, जो कि देश भर में काफी लोकप्रिय हुआ है। इसके अतिरिक्त कई एक युवक छात्रावास बनाये गये और इसके लिये राज्य सरकारों को इमारतें बनाने का कुल खर्च अनुदान के रूप में दिया गया है। युवकों के कई केन्द्र और क्लबों को बनाने के लिये कई एक स्वतन्त्र संस्थाओं को भी सहायता दी गयी। भारत स्काउट्स और गाईड्ज़ को जो अनुदान हम प्रत्येक वर्ष देते हैं उसका सदन को पता ही है। भारत स्काउट्स को अपना एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजने के लिये भी सहायता दी गयी थी। पंचमढी में राष्ट्रीय विकास केन्द्र को विकसित करने के लिये भी उन्हें सहायता दी जा रही है।

शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता दी गई है। हमने शारीरिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय कालिज भी खोला है, और उसको और भी अधिक बढ़ाया जा रहा है। हम इस प्रकार की संस्थाओं का विकास कर रहे हैं जहां योगासन इत्यादि भी सिखाये जाते हैं। शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये हमने ऐसी संस्थाओं, स्कूलों और कालिजों तथा एन० सी० सी० को भी अनुदान दिये हैं। देश भर में ग्रामों में समाज सेवा शिविरों की व्यवस्था की गई है। इन शिविरों के लिये ४२ · ३ लाख का अनुदान स्वीकार किया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने इन शिविरों को देखा है वे जानते हैं कि किस प्रकार इससे छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हुई और शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा विकसित हुई वैसी आज तक भी नहीं हुई थी। अब यही लोग सड़कें बना रहे हैं, कुयें खोद रहे हैं और स्कूलों की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। स्कूलों और कालिजों में तैरने के लिये तालाब और अखाड़े इत्यादि बनाने के लिये अनुदान दिये गये हैं।

इन सब कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों को स्वयं इसमें भाग लेना पड़ता है। चालू वर्ष में १४.१ लाख की रकम इस उद्देश्य के लिये स्वीकृत की जा चुकी है। सभा को इस बात का भी पता है कि विभिन्न संस्थाओं को खेलों के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु भी अनुदान दिये हैं। हमने एक समिति भी बनाई है जो इन खेलों के संगठन करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी। उसका प्रतिवेदन मिलते ही खेलों का पुनर्गठन करने का कार्य आरम्भ किया जायेगा। खेल संघों का भी पुनर्गठन किया जायेगा ताकि नगरों और देहातों के युवकों में इसके लिये उत्साह बढ़े।

सम्भवतया यह भी सदन को पता है कि हमने राष्ट्रीय अनुशासन योजना को स्वीकार किया है और इसके अन्तर्गत १ लाख छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आशा की जा रही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इनकी संख्या दुगुनी हो जायेगी। हमने अखिल भारतीय खेल संघ तथा शारीरिक शिक्षा और मनोरञ्जन के केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की है। यह दोनों संस्थायें खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

मेरे मित्र श्री पाणिग्राही ने व्यय के कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है, जो कि युवक कल्याण कार्यों में खर्च हुये हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें समुचित जानकारी प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतया ठीक नहीं हैं। समस्त युवक कल्याण कार्यक्रम पर हमने ५८८ लाख रुपये के लगभग व्यय करने की व्यवस्था की है। हमारे विशाल देश के लिये यह रकम काफी न हो परन्तु हमारे साधनों की वृद्धि होते ही हम इस कार्य के लिये अधिक से अधिक खर्च करेंगे। इन का यह कहना भी गलत है कि हमने कुछ संस्थाओं से मतभेद किया है। उन्होंने भारत सेवक समाज का नाम लिया है। क्योंकि भारत सेवक समाज शिविर इत्यादि आयोजित करता है इसलिये उन्हें सहायता दी जाती है। इस कार्य के लिये स्कूलों, कालिजों और अन्य संस्थाओं को भी सहायता दी

[डा० का० ला० श्रीमाली]

जाती है। इसलिये इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं। इस मामले में हम कभी भी राजनीति के आधार पर व्यवहार नहीं करते।

इस दिशा में ये कुछ एक प्रयत्न हैं जो कि मंत्रालय ने किये हैं। यह मैं स्वीकार करता हूं कि इन कार्यों के विस्तार की पूरी गुंजाइश है। मेरा निवेदन है कि जिस केन्द्रीय संस्था का सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उससे काम नहीं चलेगा। मेरे माननीय मित्र ने 'युवक' की निश्चित और समुचित परिभाषा भी नहीं की। परन्तु मुझे आशा है कि इसमें छात्र और गैर छात्र दोनों सम्मिलित किये जायेंगे। छात्रों के लिये तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा जब कि देश के राजनीतिक दल यह निश्चय करेंगे कि वे शिक्षा संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस दिशा में पथ प्रदर्शन का काम यहां के अध्यापकों और प्राध्यापकों पर छोड़ दिया जाना चाहिये। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिये। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे राजनीति का अध्ययन न करें। उन्हें अपने राजनीतिक विचार भी बनाने चाहियें। परन्तु उनको राजनीति में आकर उनसे अनुचित लाभ उठाकर उनकी शिक्षा दीक्षा को बहुत हानि हुई है। राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, छात्रों को साधन नहीं बनाना चाहिये। इस लिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बातों पर पुनः विचार करें।

गैर छात्रों के लिये विभिन्न राजनीतिक विचार धाराओं और दलों की संस्था उचित नहीं होगी। इसलिये मैंने जो कुछ संक्षेप में कहा है उसको दृष्टि में रखते हुये माननीय सदस्य सारी समस्या पर दोबारा सोचेंगे और मैं आशा करता हूं कि वह इस संकल्प पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मुझे माननीय मंत्री जी का भाषण सुन कर हर्ष हुआ, तथापि मेरे कथन का तात्पर्य यह था कि ६०० करोड़ रुपये के बजट से केवल ५ करोड़ रुपये देश के युवकों के कल्याण के लिये रखे गये हैं, जब कि युवक देश की जनसंख्या का एक तिहाई भाग हैं।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि विभन्न संस्थाओं को अनुदान देने में पक्षपात नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि वे अपने वचन पर कायम रहें। पिछले वर्ष भारत सेवक समाज को शिविर इत्यादि का आयोजन करने के लिये २० लाख रुपये दिये गये। मैं चाहता हूं कि इस हिसाब की उपयुक्त रूप से लेखा परीक्षा की जाय।

जहां तक विभिन्न युवक संस्थाओं से विभेद करने का प्रश्न है स्वयं प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि इस सम्बन्ध में विभेद की नीति नहीं बरती जाती है लेकिन लोकतंत्री युवकों के विश्व संघ का सम्मेलन करने की अनुमति यहां इस कारण न दी गई कि वे एक विशेष आदर्श के समर्थक हैं। इस बात से स्पष्ट है कि इन बातों में विभेद किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे युवक कल्याण कार्य में अधिक दिलचस्पी लें। जिससे युवकों की समस्यायें, जो बहुत कठिन हैं, उनका सामना किया जा सके। मैं अपने संकल्प पर आग्रह नहीं करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प पर श्री प्रभात कार तथा श्री तंगामणि द्वारा तीन संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं किसी संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्चन्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि संविधान में संशोधन के लिये उचित कार्यवाही की जाये जिससे औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का अधिनियम १४) के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरणों और न्यायालयों पर से उच्चतम न्यायालय और उच्च-न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटा दिया जाय"

इस संकल्प को प्रस्तुत करने से मेरा उद्देश्य यह है कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों और जांच न्यायालयों के निर्णयों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपना हस्तक्षेप न कर सकें।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

तथापि संविधान के अनुच्छेद २२६ और १३६ के आधार पर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों ने जो रवैया अपनाया वह उनके निर्णयों से प्रभावित लोगों के लिये असंतोषजनक था। वस्तुत: संविधान सभा में भी अनुच्छेद २२६ और १३६ पर चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि इन अनुच्छेदों के अधीन आदेश या निदेश इत्यादि देने की शक्तियां उन्हें अपवादस्वरूप ही दी जा रही हैं, जिससे वे संविधान के अधीन मूलभूत अधिकारों को लागू कर सकें। लेकिन अनुच्छेद १३६ की शब्दावलि इस प्रकार थी कि उच्चतम न्यायालय को श्रम न्यायाधिकरणों के कार्यों पर भी विशेष नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो गया।

हमारे देश में औद्योगिक विधि का इतिहास बहुत पुराना है। १९२६ में कार्मिक संघ अधिनियम पारित हुआ। १९४७ में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित हुआ और विभिन्न न्यायाधिकरणों की स्थापना हुई। लेकिन तब नियोजकों की ओर से यह मांग की गई कि इन न्यायाधिकरणों का निर्णय अन्तिम नहीं माना जाना चाहिये अपितु अपील करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। इस-लिये १९५० में औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम १९५० पारित किया गया और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। तथापि यह अनुभव हुआ कि उक्त अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना से श्रम संबंधी मामले सुलझने के स्थान में उलझने लगे और शांति के स्थान में अव्यवस्था पैदा हुई। इसलिये १९५६ में उक्त अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया।

उक्त अपीलीय न्यायाधिकरणों के रहते हुये उच्चतम न्यायालय ने अपवादस्वरूप मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन १९५७ के पश्चात् से उच्चतम न्यायालयों में सैंकड़ों अपीलें आने लगीं। इसके पश्चात् अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय भी न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें स्वीकार करने लगे। इतना ही नहीं वे इस प्रश्न पर भी विचार करने लगे कि यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

मामला औद्योगिक मामला है या नहीं और इस प्रकार वे तत्संबंधी लेख आवेदन स्वीकार करने लगे। एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया था कि उत्प्रेषण लेख जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रथम क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरण का है और जब तक न्यायाधिकरण अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। तथापि देश के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं। वे किंग्स बेंच के निर्णयों का आधार ले कर कहते हैं कि प्रतिशोध आदेश दिया जा सकता है।

तथापि विधि की उक्त जटिलता का परिणाम यह होगा कि यह मामला २ या तीन वर्षों तक उच्च न्यायालय के सम्मुख पड़ा रहेगा। जिसके फलस्वरूप विधि अथवा संविधान में उचित व्यवस्था होते हुए भी श्रमिकों की हार होगी और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।

वस्तुतः जब हमने १९५६ में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया था तो सभा के सभी पक्षों का यही मत था कि औद्योगिक मामलों का शीघ्र निपटारा हो जिससे शोषित पक्ष को न्याय प्राप्त हो सके तथापि हमारे सारे इरादों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय से तुषारापात हो जाता है। परिणाम यह होता है कि विलम्बित विवादों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

मैं इस सम्बन्ध में सभा को कोयला न्यायाधिकरण के निर्णय के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। चार वर्ष के बाद न्यायाधिकरण ने यह निर्णय किया कि मजूरी में दो आने वृद्धि होनी चाहिये। सरकार की दृष्टि में भी यह निर्णय न्यायसंगत था तथापि नियोजकों ने तुरन्त उच्चतम न्यायालय में अपील करदी, परिणाम यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाही रोको आदेश दे दिया। अब श्रमिकों के पास सिवा हड़ताल करने के कोई चारा नहीं रह गया था। परिणाम यह हुआ कि श्रम मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब कहीं जा कर समझौता हुआ।

एक विचित्र बात यह है कि जिन मामलों में नियोजकों को कार्यवाही रोको आदेश मिला है, उन में से अधिकांश मुकदमों में नियोजकों के पक्ष से महा अधिवक्ता ने पैरवी की है। और उन्हें कार्यवाही रोको आदेश दिलाया है। भले ही महाअधिवक्ता को निजी वकालत करने का अधिकार हो, तथापि उन्हें कम से कम ऐसे मुकदमों को नहीं लेना चाहिये जो जनता या सरकार के हित के प्रतिकूल हों। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में जो मुकदमें जाते हैं उनमें सरकार का हित सन्निहित रहता है अतः उन्हें ऐसे मुकदमों में गैर-सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी नहीं करनी चाहिये।

वस्तुतः हम समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समाज की स्थापन केवल सभा में कानून पारित कर नहीं हो सकती है। इसके लिये हमें उन साधनों को सुपुष्ट करना होगा जो सामाजिक दृष्टिकोण बदल सकते हैं। वे साधन न्यायपालिका संस्थायें हैं। लेकिन हमारे देश के न्यायालय अभी तक प्रतिक्रियावादी रवैया अपना रहे हैं। और हमारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। वस्तुतः हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च-न्यायालयों के कार्य से देश में औद्योगिक अशांति और असंतोष की भावना फैल रही है।

कार्मिक संघों में हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस विचित्र क्षेत्राधिकार के फलस्वरूप श्रमिक वर्गों के लिये न्याय प्राप्त करना असंभव हो गया है। इसलिये कम से कम औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर से उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार हटा लेना चाहिये और इस अभिप्राय के लिये संविधान में संशोधन किया जाय ।

अब मैं उन परिणामों को लेता हूं जो इसके फलस्वरूप होंगे। वस्तुतः आज भी ऐसे बहुत से न्यायाधिकरण हैं जिनके निर्णय की अपील नहीं हो सकती है। १९५० तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों की भी अपील नहीं हो सकती थी। तथापि उच्चतम न्यायालय के बनने के पश्तात् से वहां के निर्णयों के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में अराजकता फैल गई है।

न्यायाधिकरणों में वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे जो किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्षमता रखते हों या वहां के निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीश हों। वे केवल ऐसे मामलों को लेते हैं जिन्हें एक वर्ष से कम समय हुआ हो और उनके निर्णय १ वर्ष तक लागू होते हैं, जिससे कम से कम एक वर्ष तक उस विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में शांति रहे तथापि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से औद्योगिक शांति के स्थान में अशांति फैल रही है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि समाजवादी ढांचे का समाज निर्मित करने और देश में औद्योगिक शांति कायम रखने के लिये ही नहीं अपितु देश में हड़तालों की संख्या कम करने और औद्योगिक प्रगति के हित में संविधान के दोनों अनुच्छेदों तथा २२६ और १३६ का संशोधन कर दिया जाय जिससे न्यायपालिका, श्रम न्यायाधिकरणों के द्वारा किये गये निर्णयों में हस्तक्षेप न कर सके।

†**सभापति महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय : घंटी बजाई जाती है—अब गणपूर्ति हो गई है ।**

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता पड़ गई है कि क्या संविधान का अनुच्छेद १३६ औद्योगिक विवाद अधिनियम के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है? क्या इससे औद्योगिक विवाद अधिनियम के पीछे सन्निहित उद्देश्यों को पूरा करना कठिन नहीं हो गया है? मेरा यह निवेदन है कि अनुच्छेद १३६ का जिस प्रकार से निर्वचन किया जा रहा है उसमें श्रमिकों की आवश्यकताओं आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस अनुच्छेद का निर्वचन करने वाले न्यायालय न्यायाधिकरणों के निर्णयों को 'कामन ला' के सिद्धांतों की कसौटी से परखते हैं जो कि किसी भी दशा में औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिये ठीक नहीं माने जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री प्रभात कार]

उच्चतम न्यायालय का औद्योगिक न्यायाधिकरणों पर कोई क्षेत्राधिकार होना चाहिये अथवा नहीं इस सम्बन्ध में सन् १९५० में सबसे पहला वाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उस समय ५ में से २ माननीय न्यायाधीशों ने यह राय प्रकट की थी कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों पर उच्चतम न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि वे सामान्य न्यायालय की भांति न्यायालय नहीं हैं। शेष तीन न्यायाधीशों ने भी यह कहा था कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल 'विधि विषयक प्रश्नों' तक सीमित रहना चाहिये। किन्तु आज उच्चन्यायालय व उच्चतम न्यायालय न्यायाधिकरणों की 'तथ्य विषयक उपपत्तियों' के बारे में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इससे औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्यों की कार्यान्विति में कठिनाइयां नहीं उत्पन्न हो रही हैं। औद्योगिक विवादों को परस्पर बातचीत द्वारा या किसी मध्यस्थ द्वारा या न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा शीघ्रता से हल किया जा सकता है। इन सब विधियों के मूल में यह भावना निहित है कि औद्योगिक विवादों का शीघ्रता से फैसला हो सके ताकि देश के उत्पादन पर उनका कोई बुरा प्रभाव पड़ न सके। किन्तु 'कामन ला' की प्राचीन परिपाटी के अनुसार न्याय में बरसों लग जाते हैं। आज भी हमारे उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई ऐसे मामले पड़े हुए हैं जो पिछले दस वर्षों से या इससे भी अधिक अवधि से चल रहे हैं और जिन का आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को औद्योगिक अधिकरणों पर क्षेत्राधिकार दे देने से इस अधिनियम की 'शीघ्रता से फैसला' करने की भावना ही नष्ट हो जाती है। इसका सारा उद्देश्य विफल हो जाता है। इससे देश के उत्पादन पर तथा औद्योगिक सम्बन्धों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने व मज़दूरों की हालत सुधारने में असाधारण विलम्ब हो रहा है।

इस संकल्प में इस बात पर बल दिया गया है कि औद्योगिक विवादों को सामान्य झगड़ों की भांति नहीं माना जाना चाहिये और न ही ऐसे झगड़ों का निपटारा करने वाली कार्यवाही को सामान्य मुकदमेबाजी की भांति समझा जाना चाहिये। मैं समझता हूं यह विचार बिलकुल सही है और सारी सभा इस विचार से सहमत होगी।

हम सब उच्चतम न्यायालय का आदर करते हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि जब संसद् यह निश्चय करती है देश में मज़दूरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये तथा श्रमिकों व मालिकों के बीच कैसे सम्बन्ध होने चाहियें तब उच्चतम न्यायालय को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर ऐसे निश्चयों के विरुद्ध कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस लिये हमें उच्चतम न्यायालय के ऐसे अधिकार को समाप्त करने के लिये कोई न कोई कदम उठाना चाहिये जिससे कि वह संसद् के निश्चयों के विरुद्ध निर्णय न दे सके। मैं आशा करता हूं सरकार इस संकल्प पर इसी दृष्टिकोण से विचार करेगी।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): श्रीमान्, आज देश के श्रमिक वर्ग में समान्य रूप से यह भावना फैली हुई है कि उनके साथ उनकी आशा के अनुकूल व्यवहार नहीं हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

उनमें सामान्य रूप से यह धारणा फैली हुई है कि उनके साथ ठीक न्याय नहीं किया जा रहा है । इस भावना को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह संकल्प बिल्कुल उचित है। किन्तु में इस संकल्प में सुझायी गयी प्रक्रिया को उचित नहीं समझता हूं। हम किसी एक वर्ग के दृष्टिकोण से देखने पर भले ही यह कह दें कि हमें उच्चतम न्यायालय के अधिकार को कम करना चाहिये, मगर में समझता हूं कि इस क्षेत्राधिकार का श्रमिकों तथा मालिकों दोनों को लाभ पहुंचा है। क्योंकि दोनों में से कोई भी वर्ग अपना मामला उच्चन्यायालय में ले जा सकता है ।

हमें जो शिकायत हो सकती है वह यह कि उच्चतम न्यायालय में किसी विवाद की सुनवाई व निर्णय में बहुत देर लग जाती है। इस देरी को किसी न किसी तरह से कम किया जाना चाहिये। क्योंकि विलम्ब में दिया गया न्याय कोई न्याय नहीं रहता। कदाचित इस संकल्प में भी इसी भावना से यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने की कोई शर्त नहीं होनी चाहिये।

हमारे मत में अपने देश की न्यायपालिका व देश के उच्चतम न्यायालय के लिये बड़ा आदर है। हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार तथा न्यायपालिका के अधिकारी आपस में बैठ कर कोई ऐसी प्रणाली निकालें जिससे कि औद्योगिक विवादों के निपटारे में अधिक विलम्ब न हो। यदि यह हो जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस से देश के मजदूरों को पूरा सन्तोष हो जायेगा।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच-बिहार) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मगर इस का यह तात्पर्य नहीं कि मैं 'देरी' को अच्छा समझता हूं। जहां तक इस बात का संबंध है कि औद्योगिक विवादों का शीघ्रता से निबटारा होना चाहिये। मैं समझता हूं देश का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। परन्तु यह संकल्प उस से आगे बढ़ कर यह कहता है कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों पर उच्चतम न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

हमारे न्यायालय बारम्बार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालय की भान्ति न्यायालय नहीं हैं। मगर उन का साथ ही यह भी कहना है कि जहां तक ये न्यायाधिकरण विधि के सिद्धान्तों के अनुसार न्यायनिर्णयन करते हैं तथा देश की विभिन्न विधियों को लागू करते हैं ये उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आ जाते हैं क्योंकि देश में प्रत्येक विधि का निर्वचन करने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय का ही है। जहां कहीं भी नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन होगा, विधि के उपबन्धों का उल्लंघन होगा, विधियों का गलत निर्वचन होगा वहां पर उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि 'उच्चतम न्यायालय तक मामला ले जाने का अधिकार' हमारे प्रजातंत्र की सब से सुदृढ़ प्रत्याभूति है। हमें इस अधिकार को कभी नहीं समाप्त करना चाहिये। ऐसा करना मूलाधिकारों का खंडन करना होगा। हम लोगों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रं० घोष]

को हरगिज़ यह नहीं कह सकते कि क्योंकि न्यायालयों में न्याय प्राप्त करने में देरी लग जाती है इसलिये हम आप मामले को न्यायालय में ले जाने का अधिकार ही समाप्त कर देते हैं। यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे अगर किसी का सिर दर्द करे तो वह दर्द का उपचार न करके सिर को काटने को तैयार हो जाये। भारत के किसी भी नागरिक को हम उच्चतम न्यायालय से परित्राण पाने से बंचित नहीं कर सकते। हम देरी के बहाने से उच्चतम न्यायालय के अधीक्षण का अधिकार नहीं ले सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो यह देश के लिये बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : श्रीमान्, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस संकल्प का यह उद्देश्य नहीं है कि कुछ विधियों से उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार हटा लिया जाये। इस संकल्प का आशय केवल यही है कि केवल औद्योगिक विवादों में कुछ अधिकार कम कर दिये जाय।

औद्योगिक विवादों के निपटारे का सब से उत्तम ढंग यह है कि उन्हें परस्पर बातचीत द्वारा तय किया जाये। इस के लिये दोनों पक्षों को सामूहिक बातचीत का अधिकार दिया गया है सामूहिक बातचीत द्वारा जो बातचीत तय होती है वह विधि की सामान्य ही मान्य होती है। जब कोई बात इस तरह से नहीं तय हो सकती है तब उसे न्याय निर्णयन के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरणों के सपुर्द कर दिया जाता है। किन्तु किसी मामले को न्यायाधिकरण तक लाने से पहले दोनों पक्षों को काफ़ी लम्बी चौड़ी कार्यवाही करनी पड़ती है और जब इस कार्यवाही के बाद सरकार भली भांति संतुष्ट हो जाती है कि यह मामला न्यायाधिकरण के सपुर्द किये जाने के योग्य है तभी उसे न्यायधिकरण को सौंपा जाता है। इस लिये हम ऐसे मामलों को सामान्य विधि वादों से उपमा नहीं दे सकते।

औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित करने में हमारा यही आशय था कि जिन मामलों को सामूहिक बातचीत द्वारा न तय किया जा सकता हो उनको न्यायालयों में ले जाने की बजाये विशेष न्यायाधिकरणों के सम्मुख पेश किया जाये ताकि वहां पर झगड़े का शीघ्रता से फैसला किया जा सके। परन्तु यदि न्यायाधिकरण के फैसलों को फिर से न्यायालयों में चुनौती दी जाने लगी तो फिर यह अधिनियम बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे उच्च न्यायालयों को विभिन्न श्रम विधियों का निर्वचन करने का अवसर मिला है। श्रम विधियां हमारे न्यायालयों के लिये बिलकुल नये प्रकार की विधियां हैं। हमारे न्यायालयों को कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं इनका निर्वचन कैसे करना है। एक ही उच्च-न्यायालय के दो बैंच एक ही जैसे दो मामलों में भिन्न भिन्न निर्णय दे रहे हैं। ऐसी दशा में इस क्षेत्र म बड़ी अनिश्चितता आ गई है। मेरा निवेदन है कि औद्योगिक मामलों की सुनवाई करने वाले औद्योगिक बैंच औद्योगिक मामलों में विशेष अर्हता रखने वाले व्यक्ति होने चाहियें तभी इन विधियों का ठीक पालन हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक बात और है हमारे न्यायालय निर्णय देते समय प्रायः नीति निदेशक सिद्धान्तों व सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय देने का प्रयास करते हैं । अब यह सामाजिक न्याय क्या है ? इसकी धारणा बड़ी गतिशील है । यह धारणा प्रति वर्ष बदलती रहती है। न्यायालय अपने निर्णयों को इतना समयानुकूल नहीं बना सकते कि बदलते हुए समाज के साथ हर वर्ष अपने निर्णयों को नहीं बदल सकते । इसलिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवादों जैसी गतिशील समस्याओं का इन न्यायालयों के बाहर ही रखा जाये ।

जुलाई १९५७ में भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें सम्मेलन में भी सरकार, श्रमिकों तथा मजदूरों के बीच यह फैसला हुआ था कि कोई भी पक्ष अपने मामले को उच्चतम न्यायालय में नहीं ले जायेगा। उस समय एक अनुशासन संहिता तैयार की गई थी जिसमें यह माना गया था कि जो भी पक्ष अपने मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जायेगा वह अनुशासन भंग करने का दोषी होगा। इस लिये यह कहने से कि हम उच्चतम न्यायालय के बाहर ही मामले का फैसला करना चाहते हैं, उच्चतम न्यायालय पर कोई लांछन नहीं आता ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायालय किसी भी समय मामले की सुनवाई बन्द कर सकता है और इस तरह उसके फैसले में असाधारण देरी हो सकती है जब कि इसके विरुद्ध धारा १४ के अन्तर्गत कोई भी न्यायाधिकरण मामले की सुनवाई तब तक नहीं बंद कर सकता जब तक कि वह यह आश्वासन न दिला दे कि उस से 'उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा'। न्यायाधिकरण के मामले की सुनवाई बन्द करने के लिये लिखित कारण बताने पड़ते हैं। इस तरह मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाना मानों उसमें और उलझनें खड़ी करना है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प बिल्कुल ठीक समय पर रखा गया है। उद्योगों में शान्ति व औद्योगिक संबंधों में उचित सुधार लाने के लिये इस विषय पर विचार करना बड़ा आवश्यक हो गया है और मैं आशा करता हूं कि सभा इस संकल्प पर सही रूप से विचार करेगी।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्रीमान्, मैं प्रारम्भ में एक बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं । यह विषया गृह मंत्रालय के अधीन है। इसीलिये मैं पहले सभा में नहीं आया। श्री दातार यहां पर बैठे थे। वह सम्पूर्ण सरकार की ओर से बैठे थे। केवल अपने मंत्रालय की ओर से नहीं। किन्तु जब मुझे पता चला कि कुछ सदस्य चाह रहे हैं कि मेरा भी सभा में उपस्थित होना आवश्यक है मैं यहां पर आ गया हूं ।

इस विषय के बारे में मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उस समय अनुच्छेद १३६ में 'न्यायाधिकरण' शब्द नहीं था। किन्तु बाद में संविधान सभा द्वारा विचार होने के बाद इस में संशोधन कर के यह शब्द रखा गया है। उस सभा की यही राय थी कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों का "न्यायाधिकरणों" पर भी क्षेत्राधिकार होना चाहिये ।

मैं कोई वकील नहीं हूं । किन्तु मैं अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था तो उन्होंने यह बताया कि आज तक ऐसी कोई विधि नहीं बनी है जिस में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को न

† मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

स्वीकार किया गया हो। इसलिये अब यदि हम इस सुझाव को मान लेते हैं तो यह एक अपवाद बन जायेगा। और फिर यह भी कहा गया है कि यदि हम एक बार इस प्रकार की विधि बना लेंगे तब हमें और प्रोत्साहन मिलेगा और हम लगातार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम कर सकते हैं। इसलिये देश का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार सर्वोच्च होने चाहियें और उन में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की भरमार लग गई है। मैं समझता हूं यह बात गलत है। पिछले एक या दो वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोड़ कर उच्चतम न्यायालय के पास बहुत कम अपीलें आई हैं और हम उनके आधार पर उसके क्षेत्राधिकार को कम करना उचित नहीं समझते।

१९५६ में न्यायाधिकरणों ने ३,१३३ मामलों में निर्णय दिये थे। उन में से केवल १४७ मामलों में उच्चन्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। १९५७ में ३,७४६ मामलों में से १२५ मामलों में अपील की गई। इस प्रकार १९५६ में केवल ४.७ प्रतिशत मामलों की अपील हुई और १९५७ में ३.३३ प्रतिशत मामलों की।

केन्द्रीय सरकार के न्यायाधिकरणों ने १९५६ तथा १९५७ में क्रमशः २० तथा १७ मामलों में निर्णय दिये थे। इन में से १९५६ में केवल तीन के विरुद्ध अपील की गई और १९५७ में किसी मामले में अपील नहीं की गई।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह आंकड़े गलत हैं। दिल्ली से ही कई मामलों की उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है।

†**श्री आबिद अली** : मैं अपने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बता रहा हूं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को कहां से सूचना उपलब्ध हुई है। पिछली बार भी जब मैंने यह आंकड़े बताये थे माननीय सदस्य ने बताया था कि ये आंकड़े गलत हैं। तब मैं ने इसकी जांच की मगर उस समय भी यही नतीजा निकला कि यह आंकड़े सही थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आंकड़े सही हैं।

जहां तक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अपीलों का संबंध है शायद उन में से केवल एक ही अपील ऐसी थी जो एक कर्मचारी द्वारा की गई थी। शेष मालिकों या कर्मचारियों द्वारा मिल कर की गई थी। मगर कर्मचारियों की अपीलें बहुत कम थीं।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : वे कितने प्रतिशत हैं?

†**श्री आबिद अली** : शेष मामलों के बारे में क्योंकि मैं वाद विवाद के समय यहां नहीं था। इसलिये मेरे वरिष्ठ साथी उनका उत्तर देंगे।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाला साहेब पाटिल** : मैं श्री नारायणन् कुट्टि मेनन के संकल्प का समर्थन करते हुये यह बताना चाहता हूं कि बहुत से मामलों में कोई एक मामला उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है और उस मामले पर उच्चतम न्यायलय जो निर्णय देता है उसके आधार पर अन्य मामलों पर, जो उस मामले के समान हो, निर्णय किया जाता है। मेरा यही कहना है कि हमें अन्य मामलों को भी महत्वपूर्ण समझना चाहिये। दूसरे उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में श्रम के मामलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप फैसला होने में बहुत देर लग जाती है।

इस के अतिरिक्त औद्योगिक मामला धनिकों तथा मजदूरों के बीच होता है। बेचारे मज़दूर अकेले तो यह साहस नहीं कर ही नहीं सकते कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील करें क्योंकि अपने संघों की सहायता से ही वह केवल न्यायाधिकरण तक अपनी बात कहने पहुंच पाते हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में लगभग २५०० रुपये जमा करने पड़ते हैं। इतने रुपये जमा करना ऐसे मजदूरों जो अपने वेतन तथा भत्ते के लिये लड़ रहे हों बड़ा कठिन है। मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस पर छुट्टी दी जानी चाहिये। परन्तु मान लीजिये कि छुट्टि देने के पश्चात् यदि मिल मालिक वेतन न दे और मजदूर मामले को सरकार को भेजे तो लग भग तीन महीने बाद उस पर सुनवाई होती है और तब तक मालिक उस पैसे से बहुत सा धन बना लेते हैं। हमारा अनुभव यह कहता है कि इस प्रकार के एक दिन के वेतन के मामले लगभग ६ अथवा ७ महीने में तय किये जाते हैं और उच्च न्यायलय के तो इस पर दो वर्ष लग जाते हैं।

इललिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री कृपा करके इसके लिये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में एक विशेष बैंच बना दें तथा श्रम मंत्रालय को ऐसी निधि बनानी चाहिये जिससे मजदूर पैसा लेकर अपना पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर सकें।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय शीघ्र ही संविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर देंगे।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : माननीय प्रस्तावक महोदय द्वारा उठाया गया प्रश्न मूल प्रकार का है। उनके कथनानुसार इसका सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम करने से है। उच्चतम न्यायालय उच्चतम है तथा उसी प्रकार राज्यों में अधिकतम न्यायिक शक्तियों वाले उच्च न्यायालय हैं।

इन परिस्थितियों में यहीं प्रश्न उठता है कि क्या उच्चत्तम न्यायालय की शक्तियां कम की जानी चाहियें और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों की शक्तियां भी कम की जानी चाहियें।

भारत का संविधान देखने पर पता लगेगा कि उस में ऐसे अनुच्छेद तो हैं कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बढ़ा दी जायें परन्तु ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसके अनुसार उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया जा सके। इसलिये इस सम्बन्ध में विचार करते समय हमें इस बात पर सोचना होगा कि क्या इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि संविधान

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दातार]

में जिसको बहुत दिनों तक विचार करने के पश्चात् सावधानी से बनाया था कोई संशोधन करना उचित होगा । इस लिये हमें इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है कि देश का हित किस में है तथा इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है कि कुछ दलों को कुछ असुविधा हो रही है । आप जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ही है ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने बताया कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है तथा संविधान में उसकी शक्तियों को कम करने के बारे में कुछ नहीं दिया गया है । कृपा करके वह अनुच्छेद १३६ को देखें, उसमें दिया है कि सशस्त्र सेनाओं के लिये बनाये गये किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये फैसले पर उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा । जब सैनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय विचार नहीं कर सकता तो हम यही चाहते हैं कि मज़दूरों के न्यायाधिकरण के निर्णयों पर भी विचार करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को नहीं होना चाहिये ।

†**सभापति महोदय :** मंत्री महोदय ने यह कहा है कि संविधान में ऐसा तो अनुच्छेद है जिस से उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बढ़ाईं जा सकें परन्तु उसकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाने वाला कोई अनुच्छेद नहीं है । उसकी शक्तियों पर जो कुछ नियंत्रण लगाये गये हैं उनको अनुच्छेद १३६ में बता दिया गया है । उनका यही कहना है कि इन नियंत्रणों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ।

†**श्री दातार :** यदि यह संकल्प स्वीकार कर लिया गया तो संविधान के तीन अनुच्छेदों का संशोधन किया जायेगा—अनुच्छेद १३६, २२६ तथा २२७ का । आप देखें कि इन तीन अनुच्छेदों में से दो में 'न्यायालय' शब्द के साथ 'न्यायाधिकरण' शब्द भी रखा गया है । मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई थी । संविधान सभा में प्रस्तुत प्रारूप में 'न्यायाधिकरण' शब्द नहीं रखा गया था परन्तु एक सदस्य ने इसके बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिस को सरकार ने स्वीकार कर लिया था और तभी दोनों अनुच्छेदों में न्यायाधिकरण शब्द रखा गया था । न्यायाधिकरण, सामांन्यतः न्यायिक होता है और कभी कभी अर्द्ध-न्यायिक भी होता है परन्तु मेरे विचार से इस सम्बन्ध में यह दोनों सहमत होंगे कि न्यायाधिकरण को न्यायिक प्रकार के काम करने होते हैं ।

मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम को जिसका जिक्र माननीय प्रस्तावक ने किया है, देख रहा था उसमें धारा ७ तथा ७—क में दिया है कि इन न्यायाधिकरणों के निर्णय न्यायिक ही होते हैं । धारा ७ में दिया है कि "उपयुक्त सरकार, सरकारी गज़ट में अधिसूचना के द्वारा, औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिये एक अथवा अधिक श्रम न्यायालय बना सकती है" ।

इस में यह भी बताया गया है कि न्यायिक न्यायाधिकरण नियुक्त करते समय कुछ अर्हताओं पर जो उच्च न्यायिक अर्हतायें होंगी ध्यान रखा जायेगा । उप-खण्ड (३) में दिया है :

> "श्रम न्यायालय का सभापति ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा जिसने भारत में कम से कम सात वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो"।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

न्यायालय शब्द के साथ साथ न्यायाधिकरण शब्द इसी लिये रखा गया था जिससे इन संस्थाओं के निर्णयों तथा कार्यवाहियों पर उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का पूर्ण अधिकार हो । इसी कारणवश अनुच्छेद १३६ तथा २२७ में न्यायाधिकरण शब्द खास तौर पर रखा गया था ।

अनुच्छेद २२७ के बारे में आप देखेंगे कि न्यायाधिकरणों पर उच्चन्यायालय के अधीक्षण संबंधी अधिकार संविधान सभा में विचार के समय मूल प्रारूप के एक संशोधन द्वारा रखे गये थे । संविधान सभा के एक सदस्य के भाषण के निम्नलिखित उद्धरण से स्पस्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने निश्चित उद्देश्य से यह शब्द रखे थे :—

"मैं डाक्टर अम्बेदकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन से बड़ा प्रसन्न हूं । जिसमें उन्होंने यह व्यवस्था की है कि सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों पर उच्चन्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा । मैं डाक्टर साहब का ध्यान श्रम न्यायालयों की ओर आकर्षित कराना चाहता था। प्रतिदिन श्रम न्यायाधिकरणों का महत्व बढ़ता जा रहा है । इन न्यायाधिकरणों के सम्बन्ध में हमारा बुरा अनुभव है । न्याया-लयों की प्रथाओं को उन्हें अभी अपनाना है । मैं अब आशा करता हूं कि जब उच्चन्यायालयों का उन पर अधिकार हो जायेगा तो यह उसके अधिकरण तथा नियंत्रण में आ जायेंगे जिससे श्रम न्यायाधिकरणों में न्याय हो सकेगा और प्रक्रिया भी ठीक रहेगी" ।

इससे पता लग जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का भी यह मत था कि इनको उच्च न्या-यालयों के अधिक्षण में रखा जाये । दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय का अधिकार इसीलिये रखा गया था कि इनमें जो कुछ किया जाये वह ठीक प्रकार से किया जाये । ऐसा न हो कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जाये ।

जिस प्रकार एक राज्य के सभी न्यायालय उच्चन्यायालय के अधीन होते हैं उसी प्रकार समस्त भारत के न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हैं । इसके दो लाभ हैं । एक तो यह कि न्यायनिर्णयन पर देश का सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा और उसकी अन्तिम जांच करेगा । दूसरे सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में उचित प्रक्रिया अपनाई जायेगी । इसीलिये न्यायाधिकरण शब्द जान बूझ कर इसमें रखा गया था । संविधान निर्माताओं के विचार में श्रम न्यायाधिकरण ही थे जिन्होंने काम करना आरम्भ कर दिया था । इन परिस्थितियों में यही प्रश्न उठता है कि क्या माननीय प्रस्तावक मामला ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर पाये हैं ?

उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं । अपीलीय क्षेत्रा-धिकार के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु मूल क्षेत्राधिकार के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । मूलभूत अधिकारों को ले लीजिये । अनुच्छेद ३२ में दिया है कि :

'इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय को समु-चित कार्यवाहियों द्वारा प्रचलित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है ।'

यह समझते हुए कि किसी श्रम न्यायाधिकरण में संभव है कि कुछ ऐसे प्रश्न उठें जिस से कोई व्यक्ति अथवा पक्ष यह समझे कि उसके अधिकारों का समुचित संरक्षण नहीं किया गया है,

[श्री दातार]

उन को भंग किया गया है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि पीड़ित व्यक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी आवाज़ उठाये। इसलिए अधीक्षण का अधिकार तो अवश्य किया जाना चाहिए। परन्तु साथ ही साथ हमने अनुच्छेद १३६ तथा २२६ में उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालयों को यह अधिकार भी दिया है कि वह इसकी जांच करें कि की गई शिकायत ठीक है अथवा नहीं। और अधिकारों का उल्लंघन उठा है अथवा नहीं।

यह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च-न्यायालयों को यह सर्वोच्च अधिकार दिया गया है और इसको आसानी से अलग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सी तथा कथित असुविधायें हो सकती हैं परन्तु एक सीमा तो होनी ही चाहिए और वह सीमा उच्चन्यायालय रखी गई है। जो बातें बताई गई क्या उनके आधार पर उच्चतम न्याया-लय तथा उच्चन्यायालयों को इन अधिकारों का दिया जाना भारत के नागरिक के हित में नहीं होगा और क्या यह श्रम संघों के तथा मजदूरों के हित में नहीं होगा ?

हमें इन न्यायालयों की प्रतिष्ठा अथवा क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत विचारों को कहीं कहीं हुई कुछ असुविधाओं के कारण प्रभावित नहीं होने देना चाहिये। अभी तक मैंने ऐसा पाया है कि एडवोकेट तथा वकील उच्चन्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को कम करना नहीं चाहते हैं। यद्यपि इस संकल्प के प्रस्तावक श्री मेनन एक वकील हैं लेकिन चूंकि श्री मेनन का संबंध कई श्रम संघों से है इसलिये शायद उन्होंने इन अधि-कारों को कम कराना चाहा है। मेरा निवेदन है कि हमें उच्चतम न्यायालय अथवा उच्चन्यायालयों के अधिकारों को कम नहीं करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से उच्चन्यायालयों के सम्बन्ध में कुछ असम्मानीय शब्द कहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के फैसले ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरह की कमी नहीं रहती। वे सभी बातों पर बड़े ग़ौर से विचार करते हैं और इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह सामाजिक न्याय नहीं करते हैं। इसलिये तो कभी कभी उनमें आपस में भी मत भेद हो जाता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि मजदूरों आदि सभी लोगों के सभी अधिकार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के हाथों में सुरक्षित रहेंगे।

†**श्री वें० प० नायर:** माननीय मंत्री ने कहा था कि यदि संकल्प स्वीकार किया जाय तो संविधान के तीन अनुच्छेदों का संशोधन करना होगा। इन तीनों अनुच्छेदों से उच्चतम न्यायालय को सशस्त्र सेनाओं के ऊपर क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है। हमारा कहना यही है कि न्यायाधिकरण के बारे में भी ऐसा ही परन्तुक रखा जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : यह आप बिल्कुल नया तर्क प्रस्तुत कराते हैं । आप तो केवल एक प्रश्न पूछना चाहते थे ।

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन : 'न्यायाधिकरण' शब्द के रखे जाने के पश्चात हमने देख लिया है कि बहुत सी प्रशासनिक कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। यदि हम अनुभव से भी कुछ न सीखें तो अनुभव का क्या लाभ है ?

सरकार ने आज से थोड़े ही समय पहले जब यह देखा कि राज्य के निदेशक तत्वों के अनुसार काम नहीं चलाया जा सकता तब एक दम से अनुच्छेद ३१ में संशोधन कर डाला । क्या अब संविधान में संशोधन नहीं हो सकता । माननीय मंत्री ने कहा है कि आज न्यायाधिकरण के मामले में हम इस अनुच्छेद को संवारें कल किसी और चीज के लिये। इसका तो कोई अन्त ही न होगा किन्तु कहीं आवश्यकता पड़ने पर ही सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये ।

मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्रीय क्षेत्रों से एक भी अपील नहीं आई किन्तु मैं उन्हें दिल्ली की ही एक अपील के बारे में बता सकता हूं। आसाम तेल कम्पनी तथा श्रमिकों का झगड़ा है वह जिसमें अपील हुई है । माननीय मंत्री को इस मामले का ज्ञान है तब वह उन्होंने इस प्रकार का झूठ बोला । मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि मामलों की संख्या पर हमें महत्व न देकर यह देखना चाहिये कि इन मामलों में कितने श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं ।

यह झगड़े कोई मामूली झगड़े नहीं हैं। इनमें लाखों मजदूरों के जीवन का प्रश्न होता है और उसका प्रभाव देश के औद्योगिक ढांचे पर पड़ता है ।

हमें चाहिये कि मजदूरों के हित के लिये हम संविधान में संशोधन करें । हमारा संविधान लग्नशील है । संशोधन की प्रक्रिया इसमें स्वतः दी गई है । इसका प्रयोजन ही यही है ।

सरकार तो विरोधी दल की प्रत्येक बात का विरोध करती है । किन्तु उसे कम से कम ठीक ढंग से कभी सोचना तो चाहिये । सरकार को इन सब अड़चनों को दूर करके श्रमिकों की भलाई करनी चाहिये ।

†श्री आबिद अली : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। यह अनुचित है ।

†सभापति महोदय : श्रम मंत्री तथा श्रम नेतागणों के बीच तो विवाद नहीं होना चाहिये । अतः माननीय सदस्य वह शब्द वापस ले लें अन्यथा मैं उसे वाद-विवाद से निकलवा दूंगा ।

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन : श्रीमान्, मैं उस शब्द को सहर्ष वापस लेता हूं ।

†श्री आबिद अली : इस त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में हमने एक मत होकर यह निर्णय किया है कि श्रम विवादों को उच्च या उच्चतम न्यायालयों में न ले जाया जाये । हम यह प्रयास करेंगे कि स्थिति में पूर्ण सुधार हो जाये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : वे तो विलम्ब को दूर करने के बारे में जानना चाहते हैं।

†**श्री आबिद अली** : इसलिये तो अपीलीय श्रम न्यायाधिकरण का उत्सादन कर दिया गया है। हमारी तो यही इच्छा है कि विवादों का निबटारा शीघ्रातिशीघ्र हो।

†**सभापति महोदय** : क्या संकल्प सभा के समक्ष रखा जाये ?

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : जी हां।

सभापति महोदय द्वारा संकल्प सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प

†**श्री महन्ती** (ढेकानल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि गांव को इकाई मान कर उड़ीसा और बिहार तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक सीमाआयोग नियुक्त किया जाये।"

मेरी यह इच्छा नहीं कि मैं किसी राज्य विशेष का क्षेत्र विस्तृत करना चाहता हूं किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि इन झगड़ों का इतिहास बड़ा दुखपूर्ण है। आज हमें यह मानना ही पड़ेगा कि भारत में भाषावार राज्य बन ही चुके हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दानक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	२९४१—६६

तारांकित
प्रश्न संख्या

११८५	मैंगनीज अयस्क का निर्यात . .	२९४१—४३
११८६	तृतीय पंचवर्षीय योजना . .	२९४३-४४
११८७	डालमिया व्यापार संस्थाओं के बारे में जांच .	२९४४-४५
११८८	ग्रेफाइट . .	२९४६-४७
११९०	मैंगनीज अयस्क का व्यापार . .	२९४७-४८
११९१	समाचार-पत्रों के लिये मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची	२९४९—५१
११९२	मैसूर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास . .	२९५१—५३
११९३	एशिया के लिये सामान्य विपणि	२९५३
११९४	जूतों का बिना बिका स्टाक . .	२९५४-५५
११९५	बम्बई की कपड़ा मिलें	२९५५—५७
११९६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	२९५७-५८
११९८	पंजाब में चाय के छोटे उत्पादक .	२९५८-५९
११९९	अमरीका को कपास का संभरण .	२९५९—६२
१२००	ताज ग्लास फैक्टरी लिमिटेड . . .	२९६२-६३
१२०१	भारत की हस्तशिल्प सन्थाएं . . .	२९६३
१२०२	विदेशी फिल्मों का आयात	२९६४
१२०३	जूट मिलें . .	२९६५
१२०७	दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति . .	२९६५—६६
१२०८	आसाम में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी .	२९६६

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

९	भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद . . .	२९६६-६९
१०	पत्र-पत्रिकाओं का डाक से भेजा जाना	२९६९-७०

[दैनिक संक्षपिका]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर . .	२९७०—३०१०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११८९	ऐसेटिलीन	२९७०
११९७	आकाशवाणी . .	२९७०-७१
१२०४	आन्ध्र प्रदेश में सिल्क तैयार करने का कारखाना	२९७१
१२०५	आन्ध्र में विद्युत् परियोजनायें .	२९७१
१२०६	दिल्ली में मकानों का अधिग्रहण .	२९७१-७२
१२०९	कलकत्ता में पटसन मिलें . .	२९७२
१२१०	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुखों द्वारा भारत को रुपया भेजा जाना .	२९७२
१२११	बीड़ी की तम्बाकू तथा पत्तों का मूल्य	२९७२
१२१२	ैकिंग के लिये टीन की चादरें.	२९७३
१२१३	पाकिस्तान द्वारा फिजो को शरण दान	२९७३
१२१४	मोटर गाड़ी उद्योग .	२९७४
१२१५	भारत बर्मा व्यापार करार . .	२९७४
१२१६	प्रति—जारणकर्ता (एण्टी—आक्सीडेंट)	२९७४-७५
१२१७	अंशों का हस्तेकरण .	२९७५
१२१८	लघु सिंचाई निर्माण कार्य .	२९७६
१२१९	भारत- पाकिस्तान व्यापार करार .	२९७६
१२२०	मिदनापुर में विस्थापितों का पुनर्वास .	२९७६-७७
१२२१	सोवियत रूस को जूतों का निर्यात . . .	२९७७
१२२२	सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण	२९७७
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
१९१९	प्रधान मंत्री की पहाड़-यात्रा .	२९७७-७८
१९२०	कपड़े का उत्पादन	२९७८
१९२१	अम्बर चर्खा कार्यक्रम के संगठन तथा तरीकों सम्बन्धी जांच समिति	२९७८
१९२२	बम्बई की श्रम सहकारी समितियां .	२९७९
१९२३	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	२९७९
१९२४	पहाड़ी रंगचित्रों पर आधारित फिल्म . . .	२९७९
१९२५	पाकिस्तानियों का भारत आगमन . .	२९७९-८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९२६	भारत का विदेशी व्यापार . .	२९८०
१९२७	मराठवाड़ा प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	२९८०
१९२८	हिमाचल-प्रदेश में गृह-निर्माण ऋण	२९८०-८१
१९२९	श्रमिक विवाद . . .	२९८१
१९३०	नागा विद्रोही . .	२९८१
१९३१	उड़ीसा का औद्योगिक विकास .	२९८१
१९३२	"आकाशवाणी भवन" .	२९८२
१९३३	सुगम संगीत .	२९८२
१९३४	काम दिलाऊ दफ्तर	२९८३
१९३५	कपड़ा निर्यात	२९८३
१९३६	बेरोजगारी सहायता निधि . . .	२९८३
१९३७	इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा पारित संकल्प	२९८३-८४
१९३८	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२९८४
१९३९	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना .	२९८४
१९४०	वनस्पति तेल के कारखाने .	२९८४-८५
१९४१	मालनाड क्षेत्र का विकास . .	२९८५
१९४२	लिवर एक्स्ट्रेक्ट .	२९८५
१९४३	सेंधा नमक .	२९८५-८६
१९४४	पंजाब में ग्रेफाइट	२९८६
१९४५	तम्बाकू का आयात	२९८६-८७
१९४६	सिंध में साम्प्रदायिक दंगे	२९८७
१९४७	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन .	२९८७-८८
१९४८	अस्वायत्त राज्य-क्षेत्र .	२९८८
१९४९	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा छात्रवृत्तियां	२९८८-८९
१९५०	पश्चिमी अफ्रीका के देशों से व्यापार	२९८९-९०
१९५१	फिल्म्स डिवीजन .	२९९०
१९५२	कुटीर उद्योग	२९९०
१९५३	व्यापार करार .	२९९१
१९५४	चाय उद्योग .	२९९१
१९५५	बेतिया शरणार्थी शिविर	२९९१-९२

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१९५६	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	२९९२
१९५७	उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति .	२९९२
१९५८	महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग	२९९३
१९५९	लघु उद्योग . .	२९९३
१९६०	सहकारी पद्धति के बारे में प्रकाशन . .	२९९३
१९६१	अन्बरनाथ वूलन मिल्स .	२९९३–९४
१९६२	रायसीना रोड मार्केट, दिल्ली . .	२९९४
१९६३	चीनी की फैक्टरियों के लिये मशीनें .	२९९४
१९६४	खाल और चमड़े की चीजें .	२९९५
१९६५	खानों में दुर्घटनायें. . . .	२९९५–९६
१९६६	अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति .	२९९६
१९६७	रूसी सहायता से फिल्मों का निर्माण	२९९६–९७
१९६८	न्यास राज्य-क्षेत्र .	२९९७
१९६९	स्वचालित करघे . .	२९९८
१९७०	आकाशवाणी में महिला कर्मचारी	२९९८
१९७१	उड़ीसा में कुटीर उद्योग .	२९९८–९९
१९७२	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम . . .	२९९९
१९७४	पटसन की मिलों के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण के लिये ऋण .	२९९९
१९७५	खादी ग्रामोद्योग भवन . .	३०००
१९७६	पंजाब में निष्क्राम्य सम्पत्तियां . .	३०००
१९७७	भूमि सुधार की कार्यान्विति के सम्बन्ध में गवेषणां	३००१
१९७८	नाटक मण्डली . .	३००१
१९७९	लघु उद्योगों के लिये इस्पात . . .	३००१
१९८०	दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में लघु उद्योग.	३००२
१९८१	बम्बई राज्य में शक्ति-चालित करघे. . .	३००२
१९८२	विस्थापित व्यक्तियों के लिये गृह-निर्माण अनुदान .	३००२
१९८३	जापान को फिल्मों का निर्यात . .	३००३
१९८४	पंजाब की खादी सहकारी संस्था को निधि आवंटन	३००३
१९८५	हथकरघे के कपड़े का बिना बिका स्टाक	३००३
१९८६	पश्चिमी जर्मनी को फिल्मों का निर्यात. .	३००४

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या		**पृष्ठ**
१९८७	आयरलैंड में राजदूतावास की इमारत . .	३००४
१९८८	हिन्द-चीन में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	३००५
१९८९	दवाइयों के लिये कच्ची सामग्री . .	३००५
१९९०	फिल्म उद्योग के लिये सामग्री . .	३००५
१९९१	हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प . .	३००५–०६
१९९२	सरकारी बस्तियों में बाजार . . .	३००६
१९९३	प्रेस सहचारी	३००६–०७
१९९४	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रविधिक अधिकारी	३००७
१९९५	नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	३००७–०८
१९९६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसचिवीय कर्मचारी	३००८
१९९७	विदेशों में भारतीय व्यापारी . . .	३००८–०९
१९९८	नाभिकीय परीक्षण	३००९
१९९९	औद्योगिक विकास	३०१०

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३०१०

अध्यक्ष ने सरदार सम्पूर्ण सिंह के निधन का उल्लेख किया जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य थे।

इस के पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०१०–११

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :--

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :--

(एक) भाखड़ा बांध की मध्यवर्ती पानी की (स्पिलवे) दीवार को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य।

(दो) आंध्र प्रदेश में कद्दम बांध को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य।

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५७ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) जी० एस० आर० संख्या ७६४ दिनांक ६ सितम्बर, १९५८।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७६५ दिनांक ६ सितम्बर, १९५८।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--जारी

(३) नारियल जटा उद्योग अधिनियम १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७ दिनांक २२ फरवरी १९५८ में प्रकाशित नारियल जटा उद्योग (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना) नियम, १९५८ की एक प्रति।

(४) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५० की एक प्रति।

(५) भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के बारे में वक्तव्य।

राज्य-सभा से सन्देश ३०११

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा को १ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा द्वारा पारित किये गये सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक १९५८ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०११–१६

श्री स० म० बनर्जी ने ९ और १० सितम्बर, १९५८ को भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणामों की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ३०१६–३०१८

(१) पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्पत्ति विषय अधिकारों के बारे मे ४ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

(२) वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २३२ पर १९ अगस्त, १९५८ को श्री कन्सारी हाल्दर द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

(३) खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने खम्भात में तेल की खोज के बारे में एक वक्तव्य दिया।

सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य ३०१७

संसद्-कार्य मंत्री ने १५ सितम्बर, १९५८ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी विधान-कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

समिति के लिये निर्वाचन ३०१८–१९

श्री ब० गो० मेहता ने प्रस्ताव किया कि प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा अपने में से एक सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक—पुरःस्थापित	३०१६
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९५८।	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	३०१६—२५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
विधेयक—विचाराधीन	३०२५—३१
परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	३०३१–३२
छब्बीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापिस लिया गया . . .	३०३२—३४
राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प तथा उसके संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हो गई और संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत	३०३५—४८
श्री नारायणन् कुट्टिमेनन ने कतिपय न्यायाधिकरणों पर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटा लेने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा के पश्चात् संकल्प अस्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	३०४८
श्री महन्ती ने उड़ीसा और बिहार तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त करने के लिये एक संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा।